Seventeenth Series, Vol. XXVIII No. 3 | Wednesday, December 6, 2023
Agrahayana 15, 1945 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Fourteenth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XXVIII contains Nos.1 to 14)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General

Lok Sabha

Mamta Kemwal

Joint Secretary

Bishan Kumar

Director

Narad Prasad Kimothi

Sunita Thapliyal

Joint Director

Meenakshi Rawat

Maneesha Bhushan

Editor

© 2023 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XXVIII, Fourteenth Session, 2023/1945 (Saka)
No. 3, Wednesday, December 6, 2023/ Agrahayana 15, 1945 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 41 to 44	11-28
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 45 to 60	29-100
Unstarred Question Nos. 461 to 530, 532 to 690	101-679

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 680-696

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Study Visit Report 697

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Statements 698

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

25th Report 699

STATEMENTS BY MINISTERS 700-702

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 382nd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 375th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research

Dr. Jitendra Singh 700

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 176th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 172nd Report of the Committee on "Promotion and Regulation of E-Commerce in India" pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry 701

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 180th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2023-24) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry

Shri Som Parkash 702

ELECTION TO COMMITTEE

National Jute Board 703

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS– FIRST BATCH, 2023-2024 704

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021 704

MATTERS UNDER RULE 377 731-755

(i) Need to establish a GST Office in Balurghat, West Bengal

Dr. Sukanta Majumdar 731-732

(ii) Regarding status of various NH projects in Gwalior region in Madhya Pradesh

Shri Vivek Narayan Shejwalkar 733

(iii) Regarding computerized land holding records in urban areas

Shri Ghanshyam Singh Lodhi 734

(iv) Regarding early completion of bridge at Lakdidhahi area in Muzaffarpur, Bihar

Shri Ajay Nishad 735

(v) Need to set up Dairy Research Institute and Commercial Farming Training Centre in Salempur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ravindra Kushawaha 736

(vi) Regarding introduction of flexible working hours for women

Shrimati Sangeeta Kumari Singh Deo 737

(vii) Need to release arrear of payments to farmers cultivating 'Moong' and 'Chana' in Gangapur Parliamentary Constituency, Rajasthan

Shri Nihal Chand Chouhan 738

(viii) Need to provide railway connectivity to Deobhog in Gariaband district, Chhattisgarh with Junagarh in Odisha

Shri Chunnilal Sahu 739

(ix) Need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists

Shri Vinod Kumar Sonkar 740

(x) Need to impart technical and vocational education in local/regional languages of the states

Shri Subhash Chandra Baheria 741

(xi) Need to correct the spelling of 'Dhangadh' caste as 'Dhangar' in the list of Scheduled Tribes in Maharashtra

Shri Ranjeetsingh Naik Nimbalkar 742

(xii) Need to run a direct train between Bulandshahr and Delhi and provide goods and passenger services at Bulandshahr Railway Station.

Shri Bhola Singh 743

(xiii) Regarding conservation of Hindu religious and cultural heritage sites by Archaeological Survey of India

Shri Gopal Shetty 744

(xiv) Need to develop a Mega Textile Park in Solapur city, Maharashtra

Dr. Jai Sidheshwar Shivacharya Swamiji 745

(xv) Regarding discharge of duties under Article 355 of the Constitution

Sushri S. Jothimani 746

(xvi) Regarding settlement of EPF claims of employees of Thirupathy Mills

Shri K. Sudhakaran 747

(xvii) Regarding operational issues pertaining to AMU Centre in Kishanganj

Dr. Mohammad Jawed 748

(xviii) Need to release the dues of West Bengal under MNREGS and Awas Yojana programmes

Sushri Mahua Moitra 749

(xix) Regarding stoppages of trains at railway stations in Ongole Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh

Shri Magunta Sreenivasulu Reddy 750

(xx) Need to give approval of Khamgaon to Jalna railway line project

Shri Prataprao Jadhav 751

(xxi) Need to construct a four-lane National Highway and bridge over Ganga river in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

Shri Dulal Chandra Goswami 752

(xxii) Regarding six laning of Ichapur Tangi section of NH-16 in Odisha

Shri Chandra Sekhar Sahu 753

(xxiii) Need for comprehensive reforms in the functioning of investigative agencies

Shri E. T. Mohammed Basheer 754

(xxiv) Need to release pending dues of central share of financial assistance to Kerala

Adv. A. M. Ariff 755

JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (AMENDMENT) BILL, 2023

AND

JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) BILL, 2023 756-836

Shri Jagdambika Pal 756-761

Shri Nama Nageswara Rao 762-763

Dr. Nishikant Dubey 764-770

Shri Vinayak Bhaurao Raut 772-774

Shri K. Navaskani 776-777

Shrimati Pratima Mondal 778-780

Dr. Sanjeev Kumar Singari 781-783

Shri P. P. Chaudhary 784-787

Dr. K. Jayakumar	788-790
Shri Ravi Shankar Prasad	791-794
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	795-804
Shri Amit Shah	804-830
Jammu And Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023	
Clauses 2 and 1	833-834
Motion to Pass	834
Jammu And Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023	
Clauses 2, 3 and 1	834-835
Motion to Pass	835-836
CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2023	837-885
Motion to consider	837-839
Dr. Subhas Sarkar	837-838
Shri Saptagiri Sankar Ulaka	839-843
Sushri Sunita Duggal	844-848
Shri A. Raja	849-855
Shrimati Aparupa Poddar	856-860
Shri Lavu Srikrishna Devarayalu	861-865
Shri Chandra Sekhar Sahu	866-867
Shrimati Sangeeta Azad	868-870
Dr. Alok Kumar Suman	870-871
Shri B.B. Patil	872-873

Shri Rajendra Dhedya Gavit 874-875

Shrimati Supriya Sadanand Sule 876-882

Shri Rajiv Pratap Rudy 883-885

[*]ANNEXURE – I

Member-wise Index to Starred Questions 832

Member-wise Index to Unstarred Questions 833-838

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 839

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 840

[*] Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, December 6, 2023/ Agrahayana 15, 1945 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**HON. SPEAKER** *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल - प्रश्न संख्या 41,

श्री रवि किशन जी।

… (व्यवधान)

(Q. 41)

श्री रवि किशन: अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति अत्यन्त आभारी हूं। माननीय मंत्री जी ने विस्तृत उत्तर दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। … (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया की आपरेशनल एफीशिएंसी बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? मैं माननीय मंत्री जी से यह भी जानना चाहता हूं कि कोल इंडिया के वृहत्तर डिजिटाइजेशन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं पहली बार नये सदन में बोल रहा हूं, इसके लिए धन्यवाद।

श्री प्रहलाद जोशी: सर, ओवर ऑल कोल प्रोडक्शन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मेन क्वैश्चन कोल प्रोडक्शन के ऊपर है। कोल प्रोडक्शन में नयी टेक्नोलॉजी, ओवर ऑल कोल इंडिया में और जो हमारी सब्सिडियरीज़ हैं, उनमें डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत बड़ी मात्रा में काम चल रहा है। लेटेस्ट एवलेबल टेक्नोलॉजी**,** जिसकी प्रोडक्शन के लिए जरूरत है**,** उसे हमने इस्तेमाल किया है। इसमें पॉलिसी चेंजेज़ हुए हैं। 2014 में माननीय मोदी जी के प्रधान मंत्री बनने से पहले, जो कोल इंडिया उत्पादन करती है, उसके कोयला आबंटन और कोल ब्लॉक आबंटन, दोनों में घपला होता था। आज हम इसमें बहुत ट्रांसपेरेंसी लाये हैं। किसी भी लेवल का व्यक्ति, मंत्री सहित कोई भी व्यक्ति एक किलो कोयला किसी को डिस्क्रिशनरी नहीं दे सकते हैं। एक भी कोल ब्लॉक हम डिस्क्रिशनरी आधार पर नहीं दे सकते हैं, इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम हम लाये हैं। इसके कारण देश में कोयले का उत्पादन भी बढ़ा है। जो पहले सिर्फ 540 से 565 मिलियन टन होता था, इस बार 1 बिलियन टन उत्पादन करके देश को आत्मनिर्भर बनाने के

लिए हमने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। आने वाले दो वर्षों में जो पूरा सब्टीट्यूटेबल कोल है, उसका इम्पोर्ट हम बंद करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : ऑनरेबल मेबर, सप्लीमेंट्री क्वैश्चन।

श्री रवि किशन : नो सप्लीमेंट्री।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती लॉकेट चटर्जी।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी: अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। My question is this. Will the Minister of Coal be pleased to state whether any cases of over-reporting of production of coal and differences in the physical stock and the book stock in West Bengal have come to the notice of the Government during the last two years and in the current year? If so, the details thereof may be given. Has the matter been investigated?

Secondly, regarding the number of new coalmines that have been opened by the Government since the last three years in various areas of the country, please provide the data, State-wise.

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष महोदय, ओवरऑल कोल प्रोडक्शन और माइनिंग में जो कुछ भी इरेगुलेरटिज होती है, उस पर कार्रवाई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ही होनी चाहिए। हम बार-बार लिखते रहते हैं, जो कुछ इरेगुलरिटीज और इलीगलिटीज हो रहा है, अवैध खनन हो रहा है, उसके बारे में हम स्टेट्स को लिखते रहते हैं। वेस्ट बंगाल में जो रहा है, उसके बारे में हमने स्टेट गवर्नमेंट को कार्रवाई करने के लिए कई बार लिखा है, हम आगे भी लिखते रहेंगे। अभी तक कमर्शियल कोल माइनिंग में 91 कोल ब्लॉक का ऑक्शन किया है। यह रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। उसमें कुछ प्रोडक्शन शुरू किया है, इस बार कमर्शियल कोल माइन्स से ही हमारा 15 मिलियन टन उत्पादन हो जाएगा। कमर्शियल कोल माइन में यह पहली बार रिकार्ड है, पहली बार कमर्शियल कोल माइनिंग में कोल का प्रोडक्शन शुरू किया है।

SHRI RAMESH CHANDRA MAJHI: Thank you, Speaker Sir. The State Government of Odisha has been demanding that the rate of royalty on coal should be enhanced from 14 per cent to 20 per cent on the sale value. The rate of royalty on coal has not been revised even after a lapse of more than nine years. Will the Government consider enhancement of royalty on coal?

SHRI PRALHAD JOSHI: As far as royalty is concerned, whatever is the rate of the royalty, it does not mean that every three years, we have to revise it. प्रत्येक तीन साल में हमें रिवाइज करना ही है**,** ऐसा नहीं है। But the question is this. In recent years, after the hon. Prime Minister gave a direction for auction, after that ऑक्शन रिजीम शुरू होने के बाद अभी जो प्रिमियम है, वह प्रिमियम भी राज्यों को मिल रहा है, उसके साथ डीएमएफ भी मिल रहा है। कुल मिलाकर हमको इनमेट में भी पैसा मिल रहा है। कुल मिलाकर राज्यों को प्रिमियम भी मिल रहा है, रॉयलिटी के साथ प्रिमियम भी मिल रहा है। It is on *ad valorem* basis. आज का जो प्राइस है, उसके ऊपर ऐड वेलोरम बेसिस पर रॉयलिटी और प्रिमियम दोनों चार्ज होता है। गत तीन-चार वर्षों में कम से कम प्रिमियम के साथ हमने ऑक्शन शुरू किया। वर्ष 2015 कैप्टिव माइन में हमने ऑक्शन की शुरूआत की है, उसमें प्रिमियम भी मिल रहा है, रॉयलिटी भी मिल रही है। अभी यह विचाराधीन नहीं है, जब हमारे कन्सीडरेशन में आएगा तो सोच-विचार करके बताएंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 42,

श्री सुनील कुमार पिन्टू।

(Q. 42)

श्री सुनील कुमार पिन्टू: अध्यक्ष महोदय, उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी ने तीन पन्नों में इसका विस्तार से जवाब दिया है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38/7 में निर्धारित है कि प्रत्येक शिकायत का यथा संभव शीघ्र निपटान कर दिया जाएगा। परंतु आज राज्यों में कन्ज्यूमर कोर्ट में जितने केस लंबित हैं, यहां तक कि कन्ज्यूमर्स कोर्ट में मेंबर नहीं हैं, कहीं चेयरमैन नहीं हैं। अगर हैं भी तो इतनी तारीखें पड़ रही हैं कि उपभोक्ता कन्ज्यूमर्स कोर्ट के चक्कर लगाते थक रहा है। जो कानून बना है, उस कानून से उसे सही न्याय नहीं मिल रहा है।

उपभोक्ता को न्याय नहीं मिल पा रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं, आपने तो समय सीमा निर्धारित कर दी, लेकिन उस समय सीमा में कन्ज्यूमर कोर्ट उपभोक्ताओं को न्याय नहीं दे पा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप स्टेट के कन्ज्यूमर कोर्ट की बात कह रहे हैं या सैंटर की बात कह रहे हैं?

… (व्यवधान)

श्री सुनील कुमार पिन्टू: मैं दोनों कोर्ट की बात कह रहा हूं।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: हमारे यहां जो भी लंबित केस हैं, उसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। राज्यों में बहुत जगह उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष, मैम्बर और कार्यालय सहायक तक के पद रिक्त हैं। हमने कई बार रिमाइंडर दिया है और कई बार राष्ट्रीय आयोग द्वारा निरीक्षण भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जगह काम होता है और कई जगह नहीं होता है। हम इसके लिए तत्पर हैं कि राज्यों द्वारा इसका इम्पलीमेंटेशन शीघ्र कराया जाए।

जहां तक केंद्रीय आयोग का मामला है, इसमें पूरे पद भरे गए हैं। दो पदों का विज्ञापन निकाला गया है और इस पद को भरने की प्रक्रिया जारी है। माननीय सदस्य ने उपभोक्ता की बात कही है, हम

उपभोक्ता मामलों में शतप्रतिशत पहले की अपेक्षा कह सकते हैं कि “जागो ग्राहक जागो” पूरे देश में कामयाब हुआ है और हमारा विभाग पूरी तरह से सतर्क है।

श्री सुनील कुमार पिन्टू : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने विस्तार से जवाब दिया है। “जागो ग्राहक जागो” तो है, उपभोक्ता पूरी तरह जागे हुए हैं और उपभोक्ता जागकर न्याय की ओर देख रहे हैं। आप राज्य सरकार पर और राज्य सरकार आपकी ओर देख रही है, लेकिन उपभोक्ता कहां जाएंगे? उपभोक्ता तो ठगा गया है, उसे तो न्याय चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण कानून तो बना है लेकिन उपभोक्ता को न्याय मिलने में विलंब हो रहा है और इससे कानून पर प्रश्न चिह्न उठ जाता है। उपभोक्ता तो आपने जाग्रत कर दिया लेकिन न्याय मिलने में विलंब हो रहा है, इसका समय निर्धारित हो ताकि हर हालत में उपभोक्ता को दो से तीन महीने में न्याय मिल सके। इसे सुनिश्चित करना सरकार का दायित्व है।

श्री अश्विनी कुमार चौबे: माननीय अध्यक्ष जी, जिन उपभोक्ताओं की शिकायतें आती हैं और जिनमें बहुत ज्यादा परीक्षण का सवाल नहीं होता है, उनमें 21 दिनों के अंदर जवाब देना होता है और तीन महीने में निपटान करना होता है। जिनमें परीक्षण का सवाल होता है, उनमें पांच महीने में निपटान करना होता है। अगर माननीय सदस्य शिकायत के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं राज्यवार अलग से ब्यौरा प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री महाबली सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 38(7) में यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी मामले को पांच माह के अंदर निपटाया जाएगा। जिला, राज्य और केंद्र में आयोग वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 इन तीन सालों में लगभग 24 लाख ऐसे मामले पड़े हुए हैं, जिनका निपटारा अभी तक नहीं हुआ है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 24 लाख मामले अभी तक पड़े हुए हैं तोकिन कारणों से इनका निपटारा नहीं हो पाया है? अब तक कितने मामलों का निपटारा हो पाया है? कब तक इनका निपटारा होगा?

माननीय अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप भी बिहार से हैं और वह भी बिहार से हैं। आप बिहार सरकार को निर्देश दे दें कि कम्पलीट कर दे।

… (व्यवधान)

श्री अश्विनी कुमार चौबे: माननीय अध्यक्ष जी, मैं वही कह रहा हूं। बिहार सरकार को कई बार निर्देश दिया गया है और अब आपके माध्यम से भी निर्देश जा रहा है, यह अच्छी बात है।

जहां तक माननीय सदस्य ने जो कहा है, उपभोक्ता मामलों के लिए हैल्पलाइन है, हमने शतप्रतिशत नमूनों का निपटान किया है।

वर्ष 2020-21 में कुल शिकायतें 6 लाख 74 हजार 820 थीं, जिनका हमने निस्तारण किया, यानी पूरे 100 प्रतिशत निस्तारण किया गया। उसी प्रकार से वर्ष 2021-22 में 7 लाख 44 हजार 625 शिकायतें थीं, हमने उन सभी का निस्तारण किया। वर्ष 2022-23 में भी हमने 100 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण किया। उपभोक्ता हेल्प लाइन के लगभग शत-प्रतिशत मामलों का निस्तारण हो रहा है।

दूसरी बात, इन्होंने उपभोक्ता आयोग की बात की, तो आप देखेंगे कि वर्ष 2021 में हमारे पास 1 लाख 98 हजार 468 मामले दर्ज किए गए। उनमें से 99 हजार 23 मामलों का हमने निपटारा किया, यानी 66 प्रतिशत का निपटारा हमने कर दिया है। वर्ष 2022 में हमने 103 प्रतिशत निपटारा किया है। वर्ष 2023 का निपटारा अभी तक 107 प्रतिशत चल रहा है। इन लोगों के वक्त का सारा निपटारा हम कर रहे हैं। यूपीए सरकार में जो मामले लंबित किए गए थे, उनका निपटारा हम कर रहे हैं। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। अत: आप निपटारों के मामले में चिंता मत कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, ये तो बिहार सरकार करे।

… (व्यवधान)

श्री महाबली सिंह : अध्यक्ष महोदय**,** यह केवल बिहार का मामला नहीं है, यह देश का मामला है। … (व्यवधान) यह सदन देश का है, यह मामला देश का है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बैठ जाएं।

मनीश तिवारी जी।

… (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI: Mr. Speaker, Sir, pendency in the Consumer Courts is a definite problem and you cannot run away from that problem. Today, it takes as much time to get a consumer complaint redressed as it takes for a civil suit to be disposed of.

My question is in two parts. Has the Ministry done any study whereby they have analysed the time which is taken on an average to dispose of a complaint in the District Forum, in the State Commission and in the National Commission vis-à-vis the disposal of the civil suit in a Court of Original Jurisdiction and the appeals thereto?

Number two, does the Ministry given the level of pendency which is available have any plan to increase the capacity of the District Forums and possibly provide for far more Benches than which are there? It is because the problem is that complaints are many. The people who have to redress or adjudicate on those complaints are very few and obviously, there will be a pendency and the only solution is an exponential increase in the capacity at the level of the District Forums so that it can be addressed.

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY; MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI PIYUSH GOYAL): Hon. Speaker, Sir, I think Mr. Manish Tewari has raised

a very important point particularly given that he is an eminent lawyer. I am sure he understands how the process has been crafted and how it is being implemented.

At the outset, let me also share with Mr. Tewari and all the other hon. Members through you, Sir, that this was an area which had remained neglected for far too long before 2014. You could make complaints on a variety of numbers. There were eight or ten different numbers on which complaints could be registered. You could register complaints in only a few languages, possibly, only two languages when we came in 2014. The process of disposal was completely unmonitored and in 2014, when we came in, we inherited a broken system. I am happy to share with the House, through you Sir and I am sure Manish ji will be happy to hear, that we have introduced now several languages in which consumers can make their complaints. For the record, I think today there are 17 languages in which a complaint can made through a tollfree number, a single number 1915, and I would urge Members to propagate this in their respective areas. 1915 is a simple one number for all consumer complaints in 17 languages. We expanded the call centre capacity significantly so that it works for 12 hours against the six or seven hours it used to work earlier, that is from 8.a.m. to 8.p.m.

It works for 12 hours. Earlier, it used to work for six or seven hours. It works from 8 am to 8 pm. We were ready to make it available for 24 hours. But we found that there was not much transaction beyond 8 o'clock in the evening. So, we have helpline in place for 12 hours.

I would like to thank the omnichannel which we have used through an IT-enabled portal. It could be WhatsApp; it could be SMS; it could be email; it could

be the National Consumer Helpline App; it could be the web portal that we have; UMANG App etc. So, we have a variety of ways through which we are encouraging the consumers. जो उन्होंने एक बात कही 'जागो ग्राहक जागो' तो हम वास्तव में ग्राहकों को उनके अधिकारों के लिए जागृत कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनकी बात सुनी जाए। उसके कारण कंज्यूमर कम्प्लेंट्स बड़ी मात्रा में बढ़ी हैं। It is far more than we have ever seen in the past. अब लोगों में विश्वास आया है कि अगर हम कम्प्लेंट करेंगे तो उस पर उचित कार्रवाई होगी।

दूसरी बात, हमने टेक्नोलॉजी की सहयता ली, चाहे वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अलग-अलग कम्प्लेंट्स के मूल बेस में जाना, उसकी जड़ों में जाना, रूट कॉज एनालिसिस करना कि कम्प्लेंट का कारण क्या है और उसको इंटर मिनिस्ट्रियल, राज्य सरकार हो या लोकल बॉडिज हो, उनके साथ बात करके और कई बार इंडस्ट्री एसोसिएशन्स के साथ बात करके इसके मूल जड़ में जाकर समस्या का समाधान करना शुरू किया है।

तीसरी बात, समय कितना लगता है, उसके ऊपर मनीष जी ने विस्तार से कहा है। स्वाभाविक रूप से इसमें भी एक कानूनी प्रोसेस है। हम हरेक को मौका देना चाहते हैं कि वह अपनी बात रखे, लेकिन हम यह भी नहीं बनाना चाहते हैं कि कोई इससे गलत काम करे। जिसके खिलाफ कम्प्लेंट होती है, उसकी बात भी सुननी पड़ती है। कई बार कम्प्लेनेंट नहीं आ पाते हैं। हमने ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया है। हमने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी है। हमने सोचा कि छोटे लोग, गरीब लोग कैसे दूर जाएंगे, कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे या डिस्ट्रिक्ट ऑफिस जाएंगे। अब हमने यह व्यवस्था शुरू कर दी कि वे किसी नजदीकी, मोदी जी ने देश में लगभग साढ़े तीन लाख से अधिक हेल्प सेंटर्स शुरू किए हैं, वे हेल्प सेंटर पर जाकर अब ऑनलाइन भी अपनी पेशी कर सकते हैं। अब वे जो बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। … (व्यवधान) टेक्नोलॉजी के माध्यम से कंज्यूमर्स सीएफसीज के पास जाकर अपनी कम्प्लेंट के ऊपर कार्रवाई मांग सके, वह भी सुनिश्चित किया।… (व्यवधान) लेकिन, जो कानूनी प्रक्रिया है, जिस पर हियरिंग देनी पड़ती है, जिस पर वकील आते हैं, वकील को सुनना पड़ता है और वकील कई बार एडजॉर्नमेंट मांगते हैं, उसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। यह कानून की प्रकिया मनीष जी मेरे से

ज्यादा जानते हैं। ... (व्यवधान) प्रक्रिया के हिसाब से न्याय भी मिलता है और लोगों को विश्वास भी है कि न्याय मिलेगा। इससे आज लोग आ रहे हैं और जो रिड्यूस करने की बात है तो मुझे लगता है कि मनीष जी आप अगर अपने जो मित्र-बंधु हैं, उनसे यह कहकर हमें सहायता दिलवा दें कि वे एडजॉर्नमेंट नहीं मांगेंगे, वे अलग-अलग प्रकार के एविडेंस और डॉक्यूमेंटेशन में नहीं चलेंगे तो अवश्य पूरे देश में कानून जल्दी अपना निर्णय ले सकेगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 43,

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर ।

(Q. 43)

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में पीडीएस प्रणाली में कई बदलाव करके लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कार्य कर रही है।

मैं मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते आए हैं कि हमारे देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा।

मैं दादरा और नगर हवेली क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है। इसके साथ ही साथ वहां गरीब और कुपोषित लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2019 में तत्कालीन सांसद श्री मोहनभाई देलकर जी ने हमारे प्रदेश के आदिवासी, गरीब एवं कुपोषित जनता को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन केन्द्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान जी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का अनुरोध किया था। इसके साथ ही मौजूदा योजना में चावल, गेहूं, शक्कर, दाल, फोर्टिफाइड नमक, कपास, तेल आदि अन्य वस्तुएं दीएनएच की जनता को मिले, जिससे गरीब, आदिवासी एवं कुपोषित जनता को पौष्टिक आहार सुलभ हो सके।

माननीय अध्यक्ष : आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर : महोदय, जिसका संज्ञान लेते हुए सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा दादरा और नगर हवेली प्रशासक को पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था, परंतु अभी तक वहां ये खाद्य पदार्थ सब्सिडी दर पर जनता को नहीं मिल पा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता को ये खाद्य पदार्थ कब तक उपलब्ध होंगे।

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न स्मार्ट पीडीएस योजना से संबंधित है। माननीय सदस्या ने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करना चाहूंगी कि यह एकमात्र विश्वस्तरीय योजना है, जिसके तहत भारत के अंदर तकनीक के माध्यम से

लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को राशन दिया जा रहा है, जिसमें बीच में कोई बिचौलिया नहीं है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस योजना के आने के बाद से लाभार्थियों को हर महीने राशन मिल रहा है। बीच में कहीं कोई बिचौलिया नहीं है। यह सवाल इससे हटकर है, इसमें दूसरा सवाल लगा हुआ है।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करना चाहती हूं कि जिस प्रदेश में, जिस ब्लॉक के कोटे में राशन नहीं मिल रहा है**,** हमने उसके लिए एक डैशबोर्ड बनाया है, जिसके द्वारा उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे देख सकते हैं। मैं माननीय सांसद महोदया से अनुरोध करूंगी कि कोई ऐसा गोडाउन है या कहीं कोई ऐसे राशन कार्ड धारक हैं, वे उसकी जानकारी दें। यद्यपि आपके प्रदेश यानी दादरा एवं नगर हवेली में लगभग 76 प्रतिशत लोगों को दिया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि जो छूटा हुआ है, हम उसका भी समायोजन करेंगे।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर : महोदय, पिछले कुछ समय से मेरे प्रदेश में नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया भी बंद है। नए राशन कार्ड्स बनाने की प्रक्रिया फिर से कब बहाल होगी और 100 प्रतिशत डिजिटलीकरण की बात भी की गई है। मेरे प्रदेश में नेटवर्क का भी बहुत बड़ा इश्यू है। इसके लिए सरकार की तरफ से क्या सुविधा की जा रही है?

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि आज के युग में कुछ पहाड़ी और आदिवासी एरियाज़ को छोड़ दें, तो लगभग सभी जगह नेटवर्क की व्यवस्था है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहती हूं कि इसमें देश के सभी राज्य शामिल हैं। तीन राज्य जिसमें केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु हैं, इनको छोड़कर हमारे पोर्टल पर सभी राज्य आ चुके हैं। ये पोर्टल सिर्फ लाभार्थियों के लिए नहीं है, बल्कि यह पोर्टल किसानों से संबंधित है, खरीददारी से संबंधित है। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी का उद्देश्य है कि एक पोर्टल के अंदर सारी खरीददारी से लेकर उपभोक्ता के वितरण तक सब कुछ आ जाए। यह विषय इससे संबंधित है।

SHRI B. MANICKAM TAGORE: Thank you, Sir. We are all aware of the historical National Food Security Act which came into existence in 2013. The aim of this Act was to provide quality food to the poor Indians. In that process, ONORC plays an important role and I appreciate the work of the Government on building that thing.

Will the hon. Minister share the details of those States where the maximum number of labourers migrated from one State to another? What is the grievance redressal mechanism in this respect?

THE MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY; MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION AND MINISTER OF TEXTILES (SHRI PIYUSH GOYAL): Hon. Speaker Sir, the hon. Member has raised a very important point. Of course, as is the habit, a lot of schemes were started towards the end of their term but sadly, they never reached for the benefit of the people. … (*Interruptions*) Fortunately, we have been able to expand the coverage of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana through which today, 81.35 crore people across the country are getting free food grains बिना एक रुपया खर्च किए, मुफ्त पूरा पैसा केन्द्र सरकार देती है, शत-प्रतिशत पैसा केन्द्र सरकार देती है। … (व्यवधान) पूरे देश में गरीबों, निम्न मध्यम वर्ग के लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम, यह पुण्य का काम माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। हमारे पास राज्यों ने लिखकर भेजा है कि एक भी व्यक्ति भुखमरी के कारण अपनी जान नहीं गंवाता है। भारत की आज यह ताकत है कि एक भी व्यक्ति को भुखमरी के कारण अपनी जान नहीं देनी पड़ती है। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप पहले सवाल को समझिए। प्रश्न कुछ और पूछा जा रहा है, लेकिन आप जवाब दूसरे प्रश्न का देते हैं।

श्री पीयूष गोयल : परिप्रेक्ष्य तो देना पड़ता है। अधीर रंजन जी, जब आप बोलते हैं तो विषय क्या और क्या बोलते हैं, हमें तो वह भी समझ नहीं आता है। मैं तो परिप्रेक्ष्य दे रहा हूं। … (व्यवधान) क्या आपको कुछ चुभ रहा है? गरीबों को अनाज मिलता है तो क्या आपको चुभ रहा है? अगर प्रधान मंत्री जी गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं और आपको कोई तकलीफ है तो आप खुलकर बोलिए कि गरीबों को अनाज नहीं देना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, आप चेयर को एड्रेस कीजिए। आपस में डिबेट न करें। मैंने उनको अलाउ ही नहीं किया तो आप उनको जवाब क्यों दे रहे हैं?

… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल : माननीय स्पीकर सर, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं। मुझे हैरानी हो रही है कि माननीय लीडर ऑफ द अपोज़िशन पार्टी को इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं। इससे उनको तकलीफ हो रही है। … (व्यवधान) ये अपनी मानसिकता दिखाते हैं। कर्नाटक में भी इन्होंने झूठे वादे किए कि हम मुफ्त में पांच किलो नहीं, दस किलो देंगे, लेकिन पांच किलो ही देते हैं, बाकी एक दाना नहीं दिया। … (व्यवधान) जहां तक मणिक्कम टैगोर जी की बात है तो हम इस देश में लोगों को नहीं बांटते हैं। इनकी इच्छा यही रहती है कि कितने माइग्रेंट हुए, इधर से उधर कितने लोग गए और यह मानसिकता तो इनके रोज के बयानों में भी दिखती है।… (व्यवधान) कभी देश को उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांट देते हैं और कभी अलग-अलग जातियों में बांट देते हैं। वह यही चाहते हैं कि माइग्रेशन कितना हुआ है? प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' लाकर देश को जोड़ा है, बजाय बांटने के। अब हम यह नहीं देखते हैं कि व्यक्ति किधर से माइग्रेट हुआ, अब हम किसी को लिंक नहीं करते हैं कि मेरा राशन इस दुकान से, इस जिले से और इस गांव से जुड़ा हुआ है, बल्कि अब पूरे भारत में मेरा राशन कार्ड चलता है। … (व्यवधान)

स्पीकर साहब, अब राशन कार्ड जेब में लेकर नहीं घूमना पड़ता है, अब अंगूठा ही राशन कार्ड है, हमारा आधार नंबर ही हमारा पहचान पत्र है। उसको लेकर 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' के तहत मोदी

जी ने जो टेक्नोलॉजी इस देश को दी है, उससे आज व्यक्ति देश में कहीं भी जाए, उसको राशन मिलेगा, जब चाहे उसको राशन मिलेगा और अगर वह टुकड़ों में चाहे तो टुकड़ों में मिलेगा।… (व्यवधान) देश को जोड़ने का काम टेक्नोलॉजी की सहायता से किया गया है। कृपया करके देश को बांटने का काम मत कीजिए, माइग्रेशन की बात मत कीजिए। यह टुकड़े-टुकड़े की मानसिकता देश को बहुत खतरनाक नुकसान दे रही है। … (व्यवधान) कभी कोई इनका व्यक्ति बोलता है कि दक्षिण भारत में कुछ है, उत्तर भारत में कुछ है। क्या ये सब उस माननीय सांसद से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, जिसने सदन में कल वक्तव्य दिया था? क्या ये उनसे अपने आपको जोड़ते हैं? क्या 'इंडी अलायंस' के सब माननीय सांसद इस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं? इसका जवाब जरूर देना चाहिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 44

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा ।

… (व्यवधान)

(Q. 44)

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा : महोदय, किसानों को गन्ना भुगतान जारी करने और चीनी क्षेत्र को वित्तीय संकट से बाहर लाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा पिछले नौ वर्षों में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है … (व्यवधान) और उसमें गुजरात राज्य को कितनी राशि जारी की गयी है?

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, हमें भी प्रश्न पूछने का मौका दीजिए। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने उनको प्रश्न पूछने का मौका दिया है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सवाल कुछ किया और जवाब कुछ दिया गया। … (व्यवधान)

साध्वी निरंजन ज्योति : माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग के नियमों के अनुसार चीनी विकास निधि ऋणों के पुनर्जीवित करने के लिए दिनांक 3 जनवरी, 2022 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। जो हमारी पांच मिलें थीं, उनको हम पहले दे चुके हैं, अब दो शेष बची हैं, उनको पुनर्विचार के लिए रखा गया है, लेकिन अभी आपको एक जानकारी देते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारा यह विभाग, जहां माननीय प्रधानमंत्री जी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारतवासियों का आह्वान करते हैं और उसी क्षेत्र में मेरा विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग इथेनॉल के क्षेत्र में, शुगर मिल्स से इथेनॉल बनाने का जो काम किया गया है, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वर्ष 2014 में सिर्फ डेढ़ पर्सेंट इथेनॉल बनता था, आज हम लोग इसमें दस पर्सेंट को पार कर चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि हम वर्ष 2025 तक इथेनॉल के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होंगे। इसीलिए मैं शुगर मिलों का भी अभिनंदन करती हूं कि उन्होंने इसमें बहुत प्रोग्रेस किया है।

श्री राजेश नारणभाई चुड़ासमा : माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में तलाला और कोड़िना मिलें काफी समय से बंद पड़ी हैं, क्या चीनी विकास निधि के अंतर्गत बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई वित्तीय सहायता का प्रावधान है? यदि हां, तो इनका विवरण प्रदान करें।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री (श्री पीयूष गोयल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पहले हमारे गन्ना किसानों को जो तकलीफें झेलनी पड़ती थीं और गांव-गांव लोग यह दृश्य देखते थे कि किसान गन्ना भुगतान के लिए भटक रहे हैं, चीनी मिलों के पीछे भाग रहे हैं और महीनों-महीनों तक या कई बार वर्षों तक चीनी मिलों की तरफ से भुगतान नहीं होता था। गन्ना किसान परेशान रहते थे। आज पूरे देश में, पिछला चीनी का जो सीजन था उसका लगभग 98-99 प्रतिशत गन्ना किसानों का भुगतान पूरी तरह से हो गया है। देश में मात्र दो-तीन मिल रह गयी हैं, जो अपना भुगतान नहीं कर पायी हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की जो सोच है, उसके कारण इथेनॉल के बारे में अभी बहन ने बताया कि इस साल इतना प्रोडक्शन बढ़ा है कि 12 प्रतिशत तक ब्लैंड हो रहा है। उसके कारण कई सारी चीनी मिलें जो बंद हो गयी थीं, वे अब शुरू हो गयी हैं। उनके शुरू होने के कारण और प्रोफिट में आने के कारण नई नौकरियों के अवसर प्रदान कर रही हैं। इससे गन्ना किसान भी प्रोत्साहित हो रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने क्षेत्र की मिल की स्टडी करवाएं, कुछ जरूरत पड़े तो हमारा विभाग मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन जो भी चीनी का क्षेत्र है, वहां जब आप साथ में इथेनॉल का प्लांट लगाते हैं तो चीनी बेचने से जो कमाई होती है, उसके साथ जो रेसिड्यूर रह जाता है- सी-मोलेसिस, उसको इथेनॉल में कंवर्ट किया जा सकता है। एक प्रकार से सर्क्यूलर इकोनॉमी के कारण आज देश की सभी चीनी मिलें प्रोफिट में आ रही हैं। देश भर में सहकारिता क्षेत्र में तकलीफ थी, चीनी मिलें बंद थीं, वे सब चीनी मिलें आज शुरू हो गयी हैं और सहकारिता के क्षेत्र में भी आज बहुत बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है।

माननीय अध्यक्ष: श्री टी.आर. बालू जी.

… (व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री; कोयला मंत्री तथा खान मंत्री (श्री प्रहलाद जोशी): अध्यक्ष महोदय, इनको माफी मांगनी चाहिए।… (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल: माफी तो मांगनी ही चाहिए। वे इनके नेता हैं। उन्होंने सदन में जिस प्रकार का बयान दिया है, उसके लिए पहले बालू जी को माफी मांगनी चाहिए।… (व्यवधान) ऐसे कैसे सदन चलेगा? यह क्या तरीका है कि कोई भी व्यक्ति सदन में कुछ भी बोलकर चले जाएगा।… (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: Mr. Baalu should apologize. *....(Interruptions)*

SHRI T. R. BAALU: What is your problem? Please tell me. *....(Interruptions)* You should not behave like this. This is the Question Hour. *....(Interruptions)* I have the right to ask questions.

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यह प्रश्न काल है। प्लीज, प्रश्न काल है।

… (व्यवधान)

SHRI PRALHAD JOSHI: You are trying to divide the country. *....(Interruptions)*

SHRI T. R. BAALU: How can you say like this? *....(Interruptions)* You are a senior Minister.

SHRI PRALHAD JOSHI: Mr. Rahul Gandhi made a statement when he lost in Amethi about dividing India into North India and South India. *....(Interruptions)* इन लोगों ने देश को डिवाइड करने का काम किया है।… (व्यवधान)

SHRI PIYUSH GOYAL: What statement is he making! *....(Interruptions)* You should apologize for it. *....(Interruptions)* You should apologize for the statement made by him. *....(Interruptions)* You should apologize. *....(Interruptions)*

---

*WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

(Starred Question Nos. 45 to 60
Unstarred Question Nos. 461 to 530, 532 to 690)
(Page No. 29 to 679)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

11.42 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library

12.00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी स्थगन प्रस्ताव के नोटिस को स्वीकृति नहीं दी है।

12.02 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

आइटम नंबर 2, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी।

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Kindly take your seat.

… (*Interruptions*)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10117/17/23]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत कोयला खान पेंशन (दूसरा संशोधन) योजना, 2023, जो दिनांक 4 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 4336(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10118/17/23]

(2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राइट्स लिमिटेड, दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10119/17/23]

(ख) (एक) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10120/17/23]

(ग) (एक) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10121/17/23]

(घ) (एक) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10122/17/23]

(ङ) (एक) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नवी मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10123/17/23]

(च) (एक) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10124/17/23]

(छ) (एक) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10125/17/23]

(ज) (एक) मुम्बई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मुम्बई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10126/17/23]

(झ) (एक) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10127/17/23]

(ञ) (एक) वैबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) वैबटेक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10128/17/23]

(ट) (एक) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10129/17/23]

(3) (एक) भारतीय रेलवे कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय रेलवे कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10130/17/23]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): सभापति महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :-

(1) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 4099(अ), जो दिनांक 19 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 8

फरवरी, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 371 (अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 की धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.आ. 698(अ), जो दिनांक 14 फरवरी, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि भांडागारण विकास विनियामक प्राधिकरण और उसकी सहायिकियों को उसमें उल्लिखित प्रयोजनों के लिए स्वैच्छिक आधार पर आधार प्रमाणीकरण निष्पादित करने की अनुमति दी जाती है, की एक प्रित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 10131/17/23]

(4) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केंद्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केंद्रीय भण्डारण निगम, नई दिल्ली का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 10132/17/23]

(5) भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2013 की धारा 52 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारणों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2023, जो 13 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.503(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारणों का रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियम, 2023, जो 18 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि.676(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भांडागारण (विकास और विनियमन), भांडागारणों का रजिस्ट्रीकरण (दूसरा संशोधन) नियम, 2023, जो 20 अक्तूबर, 2023 के भारत के राजपत्र में धिसूचना सं. सा.का.नि.791(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 10133/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Cochin Special Economic Zone Authority, Cochin, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Cochin Special Economic Zone Authority, Cochin, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10134/17/23]

(2) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Review by the Government of the working of the STCL Limited, New Delhi, for the year 2021-2022.

(ii) Annual Report of the STCL Limited, New Delhi, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10135/17/23]

(b) (i) Review by the Government of the working of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the MMTC Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10136/17/23]

(c) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the State Trading Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at Item No. (a) of (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 10137/17/23]

(4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 19 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O.3042(E) published in Gazette of India dated 10th July, 2023 notifying revision of General Notes regarding Import Policy under Schedule 1(Import Policy) ITC (HS), 2022.

(ii) S.O.3111(E) published in Gazette of India dated 12th July, 2023 notifying amendment in import policy and policy condition of Gold Covered under HS code 71131911, 71131919 & 71141910 of Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022.

(iii) S.O.3471(E) published in Gazette of India dated 3rd August, 2023 notifying amendment in Import Policy of Items under HSN 8471 of Chapter 84 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022.

(iv) S.O.3507(E) published in Gazette of India dated 4th August, 2023 notifying amendment to Notification No. 23/2023 dated 03.08.2023.

(v) S.O.3818(E) published in Gazette of India dated 28th August, 2023 notifying amendment in Registration Fees under Steel Import Monitoring System (SIMS).

(vi) S.O.4331(E) published in Gazette of India dated 4th October, 2023 notifying amendment in Policy condition No.07 (ii) of Chapter - 27 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022.

(vii) S.O.4423(E) published in Gazette of India dated 11th October, 2023 notifying amendment in import policy condition of silver covered under Chapter-71 of Schedule-I (Import Policy) of ITC (HS), 2022.

(viii) S.O.4578(E) published in Gazette of India dated 19th October, 2023 notifying amendment in Policy Condition No. 4 of Chapter 84 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS), 2022.

(ix) S.O.4633(E) published in Gazette of India dated 23rd October, 2023 notifying amendment of Import Policy Conditions for item under ITC(HS) Code 0511 99 99 of Chapter 05 of ITC(HS), 2022, Schedule –I (Import Policy).

(x) S.O.4692(E) published in Gazette of India dated 26th October, 2023 notifying amendment in Policy Condition 1 of Chapter 15 of ITC (HS), 2022, Schedule – I (Import Policy).

[Placed in Library, See No. LT 10138/17/23]

(5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) issued under sub-section (3) of Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992:-

(i) S.O.3249(E) published in Gazette of India dated 12th July, 2023 notifying amendment in Export Policy of Non-Basmati rice under HS code 1006 30 90.

(ii) S.O.3405(E) published in Gazette of India dated 28th July, 2023 notifying amendment in Export Policy of De-Oiled Rice Bran.

(iii) S.O.3415(E) published in Gazette of India dated 31st July, 2023 notifying amendment in Export Policy of Food Supplements containing botanicals.

(iv) S.O.3494(E) published in Gazette of India dated 3rd August, 2023 notifying amendment in Export Policy of Red Sanders wood exclusively sourced from cultivation origin obtained from private land (including Pattaland) and Confiscated source.

(v) S.O.3838(E) published in Gazette of India dated 29th August, 2023 notifying amendment in Export Policy of Non-Basmati Rice under HS Code 10063090

(vi) S.O.3843(E) published in Gazette of India dated 31st August, 2023 notifying Export of Non-Basmati White Rice (under HS Code 10063090) to Bhutan, Mauritius and Singapore.

(vii) S.O.3975(E) published in Gazette of India dated 11th September, 2023 notifying amendment in Export Policy of Food Supplements containing botanicals.

(viii) S.O.4224(E) published in Gazette of India dated 25th September, 2023 notifying export of Non-Basmati White Rice (under HS Code 10063090) to UAE through National Cooperative Exports Limited (NCEL) .

(ix) S.O.4568(E) published in Gazette of India dated 18th October, 2023 notifying extension of date for restriction on export of Sugar beyond 31st October, 2023.

(x) S.O.4569(E) published in Gazette of India dated 18th October, 2023 notifying export of Non-Basmati White Rice (under HS Code

10063090) to Nepal, Cameroon, Cote d' Ivore, Republic of Guinea, Malaysia, Philippines and Seychelles.

(xi) S.O.4717(E) published in Gazette of India dated 27th October, 2023 notifying streamlining of Halal Certification Process for Meat and Meat Products.

(xii) S.O.4719(E) published in Gazette of India dated 30th October, 2023 notifying imposition of Minimum Export Price on export of Onions.

(xiii) S.O.4898(E) published in Gazette of India dated 11th November, 2023 notifying Incorporation of Policy Condition for export of Non-basmati rice under HS Code 10063090.

[Placed in Library, See No. LT 10139/17/23]

(6) A copy of the Notification No. S.O.3816(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 28th August, 2023 notifying amendment in Appendix 3 (SCOMET items) to Schedule 2 of ITC(HS) Classification of Export and Import items 2018, issued under Section 5 and Section 14A of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992.

[Placed in Library, See No. LT 10140/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(i) Review by the Government of the working of the Cotton Corporation of India Ltd., Navi Mumbai, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Cotton Corporation of India Ltd., Navi Mumbai, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10141/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Textiles Committee, Mumbai, for the year 2021-2022.

(3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 10142/17/23]

(4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Jute Board, Kolkata, for the year 2021-2022, alongwith Audited Accounts.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Jute Board, Kolkata, for the year 2021-2022.

(5) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (4) above.

[Placed in Library, See No. LT 10143/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I rise to lay on the Table A copy of the following notifications (Hindi and English versions) issued under Section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016:-

(1) The Plywood and Wooden flush door shutters (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3841(E) in Gazette of India dated 31st August, 2023.

(2) The Fire Extinguishers (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3585(E) in Gazette of India dated 10th August, 2023.

(3) The Bolts, Nuts and Fasteners (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3267(E) in Gazette of India dated 21st July, 2023.

(4) The Resin treated compressed wood laminates (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3139(E) in Gazette of India dated 14th July, 2023.

(5) The Insulated Flask, Bottles and Containers for Domestic Use (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3140(E) in Gazette of India dated 14th July, 2023.

(6) The Domestic Gas Stoves for use with Piped Natural Gas (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3584(E) in Gazette of India dated 10th August, 2023.

(7) The Solar DC Cable and Fire Survival Cable (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3807(E) in Gazette of India dated 25th August, 2023.

(8) The Electric Ceiling Type Fans (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3641(E) in Gazette of India dated 14th August, 2023.

(9) The Cast Iron Products (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3806(E) in Gazette of India dated 25th August, 2023.

(10) The Cookware and Utensils (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3583(E) in Gazette of India dated 10th August, 2023.

(11) The Welding Rods and Electrodes (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3153(E) in Gazette of India dated 17th July, 2023.

(12) The Smart Meters (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3154(E) in Gazette of India dated 17th July, 2023.

(13) The Wood Based Boards (Quality Control) Order, 2023 published in Notification No. S.O.3604(E) in Gazette of India dated 11th August, 2023.

[Placed in Library, See No. LT 10144/17/23]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI DEVUSINH CHAUHAN): Sir, I rise to lay on the Table:-

(1) A copy of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Fifth Amendment) Regulations, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. F.No. C-1/2/(1)/2021-B AND CS(2) in Gazette of India dated 15th September, 2023 under Section 37 of Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

[Placed in Library, See No. LT 10145/17/23]

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Centre for Development of Telematics (C-DOT), New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts.

(ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Centre for Development of Telematics (C-DOT), New Delhi, for the year 2022-2023.

[Placed in Library, See No. LT 10146/17/23]

(3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

(a) (i) Statement regarding Review by the Government of the working of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Mahanagar Telephone Nigam Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10147/17/23]

(b) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Bharat Broadband Network Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10148/17/23]

(c) (i) Review by the Government of the working of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2022-2023.

(ii) Annual Report of the Bharat Sanchar Nigam Limited, New Delhi, for the year 2022-2023, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

[Placed in Library, See No. LT 10149/17/23]

(4) A copy of the Indian Telegraph Right of Way (Amendment) Rules, 2023 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.594(E) in Gazette of India dated 8th August, 2023 under sub-section (5) of Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885.

[Placed in Library, See No. LT 10150/17/23]

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 9, श्री छेदी पासवान जी।

12.04 hrs

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

Study Visit Report

श्री छेदी पासवान (सासाराम): सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 24 अगस्त 2023 से 29 अगस्त, 2023 तक हैवलॉक द्वीप, पोर्ट ब्लेयर, महाबलीपुरम और मुम्बई का अध्ययन दौरा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.05 hrs

STANDING COMMITTEE ON SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

Statements

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): महोदय**,** मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2023-24) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं:-

(1) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय **(**दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग**)** के 'दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (एसआईपीडीए) के कार्यान्वयन के लिए योजना का आकलन**'** के संबंध में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 23वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के बारे में समिति के 36वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2022-23) के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2021-22) के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 37वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) 'विभिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं के लिए स्थापित राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यकरण की समीक्षा' के बारे में सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी स्थायी समिति (2022-23) के 42वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी समिति के 49वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई अंतिम कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

12.06 hrs

STANDING COMMITTEE ON EXTERNAL AFFAIRS

25th Report

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): महोदय, मैं वर्ष 2023-24 के लिए विदेश मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के बारे में विदेशी मामलों संबंधी समिति (17वीं लोक सभा) के 20वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 25वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.07 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Status of implementation of the recommendations contained in the 382nd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 375th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research*

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY; MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES; MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE; MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS; MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 382nd Report of the Standing Committee on Science and Technology, Environment, Forests and Climate Change on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 375th Report of the Committee on Demands for Grants (2023-2024) pertaining to the Department of Scientific and Industrial Research.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10114 /17/23.

12.07½ hrs

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 176th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 172nd Report of the Committee on "Promotion and Regulation of E-Commerce in India" pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 176th Report of the Standing Committee on Commerce on Action Taken by the Government on the recommendations/observations contained in the 172nd Report of the Committee on 'Promotion and Regulation of E-Commerce in India' pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10115/17/23.

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 180th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2023-24) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI SOM PARKASH): Sir, I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 180th Report of the Standing Committee on Commerce on Demands for Grants (2023-24) (Demand No. 11) pertaining to the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 10116/17/23.

12.08 hrs

ELECTION TO COMMITTEE

National Jute Board

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRIMATI DARSHANA VIKRAM JARDOSH): Sir, I beg to move:

> "That in pursuance of clause (b) of sub-section 4 of section 3 of the National Jute Board Act, 2008, read with Rule 5 of the National Jute Board Rules, 2010, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, two members from amongst themselves to serve as members of the National Jute Board, subject to the other provisions of the said Act and the rules made thereunder."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि राष्ट्रीय जूट बोर्ड नियम, 2010 के नियम 5 के साथ पठित राष्ट्रीय जूट बोर्ड अधिनियम, 2008 की धारा 3 की उप-धारा 4 के खंड (ख) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अध्यधीन राष्ट्रीय जूट बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

12.08½ hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS- FIRST BATCH, 2023-2024

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, वर्ष 2023-24 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें – प्रथम बैच को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.09hrs

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2020-2021

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी): महोदय, मैं, अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से, वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

माननीय सभापति : अभी शून्य काल शुरू होगा।

श्री नारणभाई काछड़िया जी।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अधीर रंजन जी, आप बैठ जाइये। बाद में बात करेंगे।

… (व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको बाद में बुलवाएंगे।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You will be given the opportunity.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सिर्फ श्री नारणभाई काछड़िया जी की ही बात रिकॉर्ड में जाएगी।

… (*Interruptions*)…*

श्री नारणभाई काछड़िया : देश में स्वदेशी ईंधन और बायो-डीजल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बायो-डीजल का उपयोग भूमि, वायु और जल के प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे स्वस्थ वायुमंडल बना रहेगा और इससे जन-स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है। इसके अलावा, बायो-डीजल के उत्पादन से नये रोजगार के अवसर भी प्रदान किये जा सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।… (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री; संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): ये नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली जो संस्कृति है, जिसका उल्लेख कल सेंथिल कुमार जी ने किया, क्या बालू जी उसके साथ खड़े हैं? … (व्यवधान) ये ऐसा कैसे बोल सकते हैं? … (व्यवधान) क्या कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है? …

---

* Not recorded.

(व्यवधान) नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली जो सोच है, उसके बारे में सेंथिल कुमार जी ने कल जम्मू-कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल पर बोलते हुए कहा, तो क्या राहुल गांधी जी उनकी सोच के साथ खड़े हैं? … (व्यवधान) क्या श्री बालू भी उनकी सोच के साथ खड़े हैं? … (व्यवधान) इसलिए हम कह रहे हैं कि आप माफी मांगिए।… (व्यवधान) वे कैसे ऐसा बोल गए? … (व्यवधान) तीन राज्यों में मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को भयंकर जीत दिलायी। वे कैसे ऐसा बोल गये? … (व्यवधान) यह भारतीय संस्कृति का अपमान है।… (व्यवधान) क्या बालू जी नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली सोच का हिस्सा बन रहे हैं? … (व्यवधान) इनको माफी मांगनी पड़ेगी।… (व्यवधान)

जब राहुल गांधी जी अमेठी से हार गये थे, तो उन्होंने भी साउथ में जाकर ऐसा ही बोला था। यह नॉर्थ और साउथ को डिवाइड करने वाली सोच नहीं चलेगी।… (व्यवधान) इनको माफी मांगनी पड़ेगी।… (व्यवधान) इनको देश से माफी मांगनी पड़ेगी।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। आप बैठिए।

… (व्यवधान)

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, Point of Order. … (*Interruptions)*

माननीय सभापति : श्री नारणभाई काछड़िया।

कृपया आप लोग बैठ जाइए। आपको बाद में बोलने का मौका देंगे।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You will be allowed.

… (*Interruptions*)

श्री नारणभाई काछड़िया : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।… (व्यवधान) माननीय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार देश में स्वदेशी ईंधन और बायो-डीजल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। बायो-

डीजल का उपयोग भूमि, वायु और जल के प्रदूषण को कम करने में मदद कर सकता है, जिससे स्वस्थ वायुमंडल बना रहेगा और इससे जन-स्वास्थ्य को भी सुरक्षित रखा जा सकता है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग सभी वरिष्ठ सदस्य हैं। Kindly take your seats.

… (*Interruptions*)

श्री नारणभाई काछड़िया: इसके अलावा, बायो-डीजल के उत्पादन से नये रोजगार के अवसर भी प्रदान किये जा सकते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: You are a very senior Member. Kindly take your seat. We will allow you later on.

… (*Interruptions*)

श्री नारणभाई काछड़िया : महोदय, देश में स्वदेशी ईंधन एवं बायो-डीजल के उत्पादन और उपयोग से जुड़ी कुछ समस्याओं से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ।… (व्यवधान) बायो-डीजल का उत्पादन कई ग्रेड्स में होता है और हरेक ग्रेड की लागत मूल्य अलग-अलग होती है। परंतु, जब ओएमसी कंपनियाँ बायो-डीजल की खरीद के लिए टेंडर निकालती है, तो उसमें सबसे कम दर वाली ग्रेड की कीमत रखती है।… (व्यवधान) इससे बायो-डीजल के उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ता है।… (व्यवधान) बायो-डीजल के उत्पादन की गति धीमी हो रही है।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly take your seats.

… (*Interruptions*)

श्री नारणभाई काछड़िया: मेरा आपके माध्यम से, पेट्रोलियम मंत्रालय से आग्रह है कि बायो-डीजल के ग्रेड्स के अनुसार टेंडर करके दाम तय किये जाएं ताकि बायो-डीजल के उत्पादकों को कोई नुकसान उठाना न पड़े।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Kindly take your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : कृपया आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

… (व्यवधान)

श्री नारणभाई काछड़िया : गैर-मिश्रित डीजल की बिक्री पर दो रुपए प्रति लीटर उत्पादन शुल्क पर दण्ड का प्रावधान है। परंतु, इसे लागू करने में मंत्रालय की ओर से विलम्ब किया जा रहा है। यदि इसी शुल्क को दण्ड के रूप में लागू कर दिया जाए, तो ओएमसी कंपनियों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी बायो-डीजल खरीदना आवश्यक हो जाएगा। इससे स्वदेशी ईंधन के रूप में बायो-डीजल को बढ़ावा मिलेगा और सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 5 परसेंट बायो-डीजल सम्मिश्रण करने का जो लक्ष्य रखा गया है, उसे भी पूर्ण किया जाएगा।

इसलिए मैं आपके माध्यम से, पेट्रोलियम मंत्रालय से कहना चाहता हूँ कि बायो-डीजल के लिए ग्रेड्स के हिसाब से उसका टेंडर निकाला जाए और उसको आगे बढ़ाया जाए।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर) : सर, बालू जी को नैचुरल कलैमिटी पर बोलने का मौका दीजिए।… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: We will give him chance later on.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सुश्री एस. जोतिमणि जी।

***SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. Under the Mahatma Gandhi NREGA Scheme, the 100-day employment Guarantee Scheme, wages were not provided for 12 weeks for the beneficiaries till Deepavali festival. People throughout the country including Tamil Nadu faced severe difficulties due to this non-payment of wages under MGNREGA. I was pained to see many people in my constituency who were disturbed and seen unmanageable for several weeks as the wages due to them were not provided well in time. After so much of persuasion, two weeks ago the pending dues were cleared. With a motherly attitude, this Scheme was brought under the UPA regime led by Dr. Manmohan Singh and on the guidance of Smt. Sonia Gandhi Ji aiming to provide 100 days of work to poor households. During the rule of the Congress Government, in every 15 days, these wages were distributed without any delay. But the BJP Government led by Shri Modi has been regularly reducing the allocation of funds for this Scheme. As against the need of an allocation of Rs 2, 72,000 Crore for this Scheme, only an amount of Rs 60,000 Crore is being allocated. If I say Rs 5 is required for this MGNREGA Scheme, against that requirement, only one Rupee is being allocated. It is 18 per cent less when compared to the last year's allocation. As the allocation of funds for this Scheme is being reduced time and again, the money could not be distributed to the beneficiaries well in time and it results in inordinate delay. As they were not provided wages for almost 12 weeks, people were left with no money in hand even to celebrate Deepavali festival. This Modi led Government waived off the loans taken by 10 business giants amounting to Rs 5

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

lakh Crore. But it is gross injustice that the Union Government is not ready to allocate Rs 3 lakh Crore for the MGNREGA Scheme, under which around 14 Crore people are being benefitted. I urge that sufficient funds should be allocated for 100 day employment guarantee Scheme besides expanding this Scheme for the benefit of the farming community at large.

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया) : माननीय सभापति महोदय, मुझे इस नए सदन में नई बात कहने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : बालू जी, आप बाद में बोलिएगा। यह विषय खत्म होने के बाद बोलिएगा। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Shri Baalu, I will give you a chance to speak after this. Please sit.

… (*Interruptions*)

श्री प्रदीप कुमार सिंह : महोदय, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी इस न्यू पार्लियामेंट को लोग गारंटी हाउस के नाम से जानेंगे। … (व्यवधान) आज हमारे यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी पर हम भारतवासियों को पूरा भरोसा है। … (व्यवधान) मुझे गर्व है कि मैं इस गारंटी देने वाली सरकार का एक हिस्सा हूं।

महोदय, नेपाल सीमा सड़क परियोजना के अंतर्गत मेरे संसदीय क्षेत्र अररिया में करीब 100 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य होना था। … (व्यवधान) वर्ष 2013 से अब तक मात्र 25-30 परसेंट ही सड़क निर्माण का कार्य पूरा हो पाया है। पुल-पुलिया सब अधूरे हैं। जानकारी के मुताबिक 1,377 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना में तकनीकी खामियां और राशि के अभाव के कारण विगत 10 वर्षों से अब तक मात्र 40 प्रतिशत काम पूरा हुआ है।

महोदय, मेरे जिले अररिया से यह सड़क नरपतगंज से शुरू होकर फारबिसगंज, जोगबनी, कुर्साकांटा, सिखटी, पलासी होकर गलगलिया, बंगाल तक जाती है। विगत कई वर्षों से लोग इस सड़क के निर्माण कार्य के पूर्ण होने की राह देख रहे हैं।

महोदय, हमें भरोसा है कि 'मोदी है, तो मुमकिन है'। मैं आपके माध्यम से अपनी सरकार से आग्रह करता हूं कि इस परियोजना के पूर्ण होने में आ रही खामियों को दूर किया जाए। सुरक्षा एवं सुगमता की दृष्टि से यह सड़क लोकहित में आवश्यक है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि नेपाल और भारत की सीमा की सुरक्षा के लिए एसएसबी का भी वहां आना-जाना होता है। गोरखपुर के आसपास से बंगाल तक यह सड़क बन रही है। यह परियोजना दस वर्षों से लंबित है। अत: देश हित में, सुरक्षा हित में, जनहित में इस लंबित परियोजना को पूरा किया जाए।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति : श्री सी.एन. अन्नादुरई – उपस्थित नहीं।

श्री संतोष पान्डेय

… (व्यवधान)

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शून्यकाल के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया। संयोग और सौभाग्य से इस शून्यकाल में सम्माननीय मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी भी उपस्थित हैं। उनसे संबंधित ही मेरा यह प्रश्न है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र राजनंदगाँव में डाक विभाग का उप-संभाग है**,** किंतु संभागीय कार्यालय अन्यत्र जिला दुर्ग-भिलाई में होने के कारण राजनांदगाँव जिले सहित पास लगे हुए अन्य जिले व लोक सभा क्षेत्र के नागरिक एवं कर्मचारी डाक विभाग से संबंधित कार्य हेतु दुर्ग-भिलाई पर निर्भर रहते हैं।

महोदय, डाक संभाग कार्यालय दूरस्थ होने के कारण आम जनता का समय और आवागमन में पैसा दोनों बर्बाद होता है।

महोदय, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि गत दिनों मेरे संसदीय क्षेत्र के जिलों की संख्या 4 हो गई है, जिसमें एक जिला तो पूर्णतया आदिवासी है और दूसरे जिले बहुत दूर-दूर हैं।

महोदय, राजनंदगाँव उपसंभाग अंतर्गत वर्तमान में जिला कबीरधाम, जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, जिला मोहला-मानपुर-चौकी, जो कि पूर्णतया आदिवासी जिला भी है, विकासखंड डोंगरगढ़ व डोंगरगांव, उपसंभाग के रूप में यह कार्यरत है। उक्त सभी उपसंभागों की दूरी राजनांदगांव जिला मुख्यालय से समीप है, किन्तु वर्तमान में संभागीय कार्यालय की औसत दूरी सभी जिलों से 120 किलोमीटर है।

महोदय, मैं निवेदन करता हूँ कि उक्त उपसंभागों को जोड़कर राजनांदगांव को पूर्ण संभाग का दर्जा देने की कृपा करेंगे। संभाग बन जाने से डाक विभाग से संबंधित समस्त कार्य राजनांदगांव में होने लगेगा तथा सम्पूर्ण कार्य में अनावश्यक विलंब ना होकर कार्य त्वरित गति से होगा।

महोदय, सम्माननीय अश्विनी वैष्णव जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं निवेदन करता हूँ कि वे मेरा निवेदन स्वीकार करें।

SHRI K. MURALEEDHARAN (VADAKARA): Sir, I would like to raise a matter regarding the incompletion of Poozhithode - Padinjarathara alternative road at Kozhikode to connect Mysore and Bangalore. It is a 27.225-kilometre distance road starting from Poozhithode in Kozhikode district and ending at Padinjarathara in Wayanad district (State Highway 54). If the construction is completed, it will be connected to Bengaluru through Mananthavady and Mysore. Due to heavy traffic block at hairpin turning in Thamarassery and other passes to Wayanad, it will be really difficult for the public to reach their destination in time. It is estimated that around 52 acres of forest land will be lost for the construction of the said road, and 104 acres of land have been given in lieu of it by Padinjarathara Gram Panchayat

in Wayanad district and Changaroth Panchayat in Kozhikode district. But till now, the road has not received the permission of the Union Ministry of Environment.

I request the Environment Ministry to take necessary steps for the environmental clearance of this road project. It is a very important subject. I hope the Government will take appropriate steps on this subject.

SHRI S. R. PARTHIBAN (SALEM): In Salem District, more than 25,000 people are engaged in textile industry in Kakkapalayam, Elampillai and Vembadithalam area. More than 50,000 heavy vehicles pass through the railway subway at Vembadithalam area every day. As the bridge is a one-way road, there is a risk of traffic jams and accidents. This causes traffic jams in this area for several hours. I request the Railway Ministry, through you, to take immediate action to construct a railway overhead bridge or convert the existing subway into double track in this area.

On the Salem - Virudhachalam rail route, trains are always getting late due to the single track. The Salem - Virudhachalam route should be converted into a two-lane. Also, there should be a day time express train on the Salem-Virudhachalam route to Chennai.

Additionally, the daily running Yesvantpur-Kannur (16527) and Kannur-Yesvantur (16528) superfast express trains have become a lifeline for many residents of Omalur. However, the absence of a stop at Omalur station to travel to Salem is causing inconvenience.

Hence, I request the Railway Ministry, through you, to consider providing a stop for these trains in both directions at Omalur station.

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): सभापति जी, मेरे संसदीय क्षेत्र की एक ट्रेन के संबंध में आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कोरोना काल के समय काफी ट्रेनें बंद हुई थीं और कोरोना खत्म होने के बाद ट्रेनें वापस शुरू तो हो गईं, लेकिन जहां उनके स्टॉपेज पहले थे, वे शुरू नहीं हुए। मेरा आग्रह विशेष रूप से 14801 ट्रेन के बारे में है, जो जोधपुर से इंदौर चलती है। वह सरेडी पर रुकती थी, हमीरगढ़ पर रुकती थी, मांडल पर रुकती थी। यह ट्रेन कोरोना काल के बाद शुरू होने के बाद भी इन स्टेशनों पर आज तक नहीं रुकती है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इन स्टॉपेज को जल्दी से जल्दी वापस शुरू किया जाए। माननीय रेल मंत्री जी भी सदन में विराजमान हैं। मुझे आशा है कि वे जरूर इसका संज्ञान लेंगे।

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, I would like to raise a very important, crucial issue. In the entire State of Tamil Nadu, more than 1.2 crore people are suffering. They are reeling under severe flood and severe cyclone that has just receded yesterday only. After 47 years, this particular type of flood has occurred now. Heavy damages have been made to the properties and more than 17 people have died.

But in this context, is it not proper for the Government of India to declare this situation as a natural calamity? I think, by this time, the Home Minister should have done it. But so far, things are not moving in a proper way. More than four-feet water is still there and it is stagnated everywhere. Even food and relief materials are just being moved through boats only into the city of Chenni and other four districts. So, it is better and it is highly important that that particular area of Tamil Nadu should be declared as a natural calamity area. This is more important. This is what I wanted to insist upon in the House. I think the Government of India

should come forward very quickly for taking relief measures and it should also send a team quickly so that they can assess the situation, what went wrong, how much damage has been done. This assessment should reach Delhi so that quick relief measures could be undertaken. Thank you, Sir.

SHRI VINCENT H. PALA (SHILLONG): Thank you, Sir. Investment in the North-East for the last five years has been almost come to zero. For the last 20 years, the successive Governments had promoted North-East on a different policy … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Baalu ji, do you want to add something?

SHRI T. R. BAALU: Sir, the statement made by Dr. Senthilkumar yesterday, our Member of Parliament was not correct. My leader Dr. M.K. Stalin has also taken note of it. He was very serious about it. He has warned the particular Member. He is facing disciplinary action. I think, I can ask my Member to express apology in the House.

SHRI VINCENT H. PALA: Sir, through you, I would like to express my deep concern about the investment in the North-East. Since 1997, up to 2017, there used to be a North East Industrial and Investment Policy for the North-Eastern region, for the investors. But now, for the last five years, there is no policy for the North-East. Therefore, the inconsistency in the policy for investment in the North-East has driven away the investors from the North-East. This has brought a lot of unemployment in the North-East. As per the records, out of 6.4 crores of MSMEs in entire India, barring Assam, only six lakh MSMEs are there in the North-East.

Therefore, I would request the Government, through you, to have a policy as soon as possible for the North-Eastern region for working and employment in the North East. A consistent policy should be given to the people of the North-East. When Dr. Manmohan Singh was there as the Prime Minister he set up a Committee for survey and to find out what is the gap between the demand and the supply in the North East. So, I would request the Government that there should be survey to see what is the demand and supply, and an appropriate policy for the North-East should be given.

Thank you.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Hon. Chairperson, Sir, the statement made by me yesterday inadvertently, if it had hurt the sentiments of the hon. Members and sections of the people, I would like to withdraw it. I regret it and I request that the words be expunged from the record. Thank you.

HON. CHAIRPERSON: It has already been expunged. But you regret it. Now, it is over.

… (*Interruptions*)

श्री खगेन मुर्मु (माल्दहा उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से भूतपूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षी योजना 'नदी जोड़ो अभियान' को बढ़ाने के लिए आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं जल संसाधन मंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपने जल मार्गों का विकास करते हुए व्यापारियों, किसानों को बहुत बड़ी राहत दी है। जल संसाधनों का उपयोग करते हुए किसानों की आय बढ़ी है और देश सूखे और अकाल की स्थिति से उबर चुका है। इसके लिए मैं अपने क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बार-बार धन्यवाद देता हूं।

महोदय, मैं पश्चिम बंगाल के मालदा उत्तर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की नदियों के कारण हो रहे कटान और बाढ़ की समस्या की ओर माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मालदा जिले के अधिकांश भागों में गंगा और फुल्हर नदियों के कटान के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ जमीन नदियों मे समा चुकी है। इसके अलावा रिहायशी गांवों, जैसे महानंदा टोला, भिलाईमारी, कहला, देवीपुर, उत्तर और दक्षिण भकुरिया गांवों जैसे रसीदपुर इत्यादि का अस्तित्व विलीन होने के कगार पर है। जैसे कि जंजाली टोला, खास्साबरना, रामायणपुर, रोहीमारी इत्यादि गांवो का अस्तित्व समाप्त हो चुका है।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता गंगा और फुल्हर नदी की कटान और बाढ़ दोनों से ग्रसित है। उपजाऊ जमीनें नदियों मे विलीन हो रही हैं।

महोदय, मैंने इस सदन के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकार का ध्यान इस ओर बार-बार आकृष्ट कराया है, पर इसके ऊपर कोई ठोस कारवाई नहीं हो पायी है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कटान से बचाव के लिए ठोस कार्य योजना बनाई जाए, बाढ़ से बचाव हेतु नदियों के किनारे तटबन्ध बनाए जाएं, कटान से पीड़ित लोगों को मुआवज़ा दिया जाए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए; इसका आकलन करने के लिए केन्द्र सरकार के अधिकारियों की टीम भेजी जाए; केन्द्रीय जल आयोग का एक कार्यालय मालदा मे खोला जाए, जो सक्रिय होकर इस दिशा में ठोस कार्य करे।

*__KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR):__ Thank you Chairman Sir, I want to draw the attention of the Government to the increasing number of suicides among the paddy farmers of Kerala. The main reason that abets suicide of farmers is the inability of Civil Supplies Corporation, in paying procurement price. The PRS receipt given by the civil supplies corporation at the time of procurement, has to be produced in the banks, if the farmers are to get loans from banks. These loans are not repaid by the civil supplies corporation in time, and that pushes the farmer into

* English translation of the speech originally delivered in Malayalam.

debt trap. If his civil score is poor, he cannot avail loan from other banks as well. When the banks, go ahead with the procedures for confiscating the farmers property, he is forced to commit suicide. The paddy procured by supply is distributed through ration shops. The minimum support price, for paddy is given by the Centre. The State Government, says that Centre is not providing the MSP, in time. It is because the farmers are not getting the MSP, in time, at least twelve paddy farmers in Kerala committed suicide in the last two years. There was a demand that the minimum support price, for paddy should be fixed at Rs. 35 per kg. This is a common demand of all paddy farmers across the country, including the paddy farmers of Palghat, Kerala. Also, the farmers are saying that the interest due to delay in payment of procured paddy should be paid by the Government.

Sir, Palghat and my constituency Alathur is irrigated by the waters from Parambikulam, Aliyar irrigation projects. We depend waters from Chittar and Bharathapuzha for drinking as well as farming. Sir, the Government should ensure, that the water supply from these irrigation projects should be made available uninterruptedly.

The Central Government should also ensure that there will be a regular mechanism for procurement of crops, and the produce should be directly procured from the farmers. Dairy farmers are also a community that urgently needs Government help. The expenses for rearing cattle are going up. The prices of fodder are increasing. Veterinary medicines are also becoming expensive. Central Government should control the prices of fodder and medicines. The problems faced by coconut farmers, need to be addressed. The Centre, should directly

procure coconut from our coconut farmers. I hope, that through you, these pertinent demands will reach the Government.

Thank you very much.

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): सभापति महोदय, मैं वर्ष 2009 में पहली यहां पर सांसद बन कर आया था और इस 15वें साल में मुझे लगता है कि 100वीं बार यह मुद्दा मैं इस लोक सभा में उठा रहा हूँ। यहां पर देश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की बात होती है और मेरे झारखण्ड राज्य को एक आदिवासी बाहुल्य राज्य के तौर पर बिहार से अलग किया गया था।

सभापति महोदय, स्थितियां ये हैं कि सन् 1951 में झारखण्ड के आदिवासियों की आबादी 36 पर्सेंट थी और आज जब मैं सांसद होने के 15 सालों बाद यह बोल रहा हूँ तो आज मेरे राज्य में आदिवासियों की आबादी केवल और केवल 24 पर्सेंट है। यह केवल इस सदन को नहीं, पूरे देश के लिए सोचने और समझने वाली बात है कि हम आदिवासी कल्याण की बात कर रहे है लेकिन आदिवासियों की संख्या सन् 1951 से ले कर आज तक घटती ही गई है, जबकि सभी की जनसंख्या बढ़ रही है। हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है। जब भारत आज़ाद हुआ था, तब 33 करोड़ की आबादी थी। आज 140 करोड़ आबादी हो गई, लेकिन मेरे राज्य में आदिवासियों की संख्या 36 से 24 पर्सेंट हो गई है। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे देश में डीलिमिटेशन है। अभी जम्मू-कश्मीर ऑर्गेनाइज़ेशन बिल पर डिस्कशन चल रहा है। असम तक में डीलिमिटेशन हो गया है, लेकिन झारखण्ड ही एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण राज्य है, जहां कि वर्ष 2008 में डीलिमिटशन नहीं हुआ और उसका कारण यह है कि यदि डीलिमिटेशन हो जाएगा तो लोक सभा की अनुसूचित जातियों की सीटों में से एक सीट और विधान सभा की 3 सीटें घट जाएंगी। किसी भी आधार पर आदिवासियों के खिलाफ अन्याय नहीं होना चाहिए, इस कारण से पूरे देश में झारखण्ड ही ऐसा राज्य है, जिसने नहीं होने दिया।

आज स्थितियां ये हैं कि बांग्लादेश के घुसपैठिए आते हैं, आदिवासियों के साथ शादी करते हैं और जो मुसलमान की जनसंख्या है, खास कर झारखण्ड के कुछ जिले हैं – गोड्डा, साहबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और जहां से मैं सांसद हूँ – देवघर, उन सभी जिलों में लगातार मुसलमानों की जनसंख्या बढ़

रही है और आदिवासी महिलाओं की ज़मीनों के चक्कर में बांग्लादेशी घुसपैठिए उनसे शादी कर रहे हैं। यह हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है और जो काकोली घोष जी बता रही थीं।... (व्यवधान) मैं संयोग से वर्ष 2004, 2005, 2006 में दिया गया ममता जी का ही स्टेटमेंट इस पार्लियामेंट में ले कर आया हूँ। ... (व्यवधान) जब वे सांसद थीं तब उन्होंने कम से कम 10 बार कहा था कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण पूरे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाइए। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : कोई इतिहास को गलत नहीं कह सकता है। ... (व्यवधान) लेकिन वे जब से मुख्य मंत्री बनी हैं, तब से पूरे मालदा, मुर्शीदाबाद, कालियाचक में केवल बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़े हुए हैं।

यही हाल बिहार का है। कटिहार, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और भागलपुर सहित इन सभी जगहों में जो आदिवासी और जनरल पब्लिक हैं, बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है।... (व्यवधान)

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि यह केवल झारखंड के आदिवासियों का विषय नहीं है, बल्कि बंगाल का भी विषय है और बिहार का भी विषय है। भारत सरकार से मेरा आग्रह है कि एनआरसी लागू कीजिए, सारे बांग्लादेशियों को यहां से बाहर कीजिए और कम से कम झारखंड के आदिवासियों को बचाइए।

महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिन्द जय भारत।

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Thank you Chairman, Sir. There is a significant railway junction at Jolarpettai in Tamil Nadu with which various parts of south India are connected. Moreover, a major tourist hotspot, Yelagiri hill station is situated near Jolarpettai.

There is huge public demand for stoppage of Vande Bharat Express trains from Chennai to Coimbatore and Chennai to Mysore at Jolarpettai junction. I request the hon. Railway Minister to consider the demand of the people without any further delay. Thank you.

SHRI SURESH PUJARI (BARGARH): Thank you, Sir. As we all know, there were as many as 471 districts in India in 1992 as against a total number of 300 districts in India in 1952. This means that there was a rise of 57 per cent of districts at all-India level within a span of 40 years, as against absolutely no rise in Odisha. Former Chief Minister of Odisha, Late Shri Biju Patnaik did it in Odisha during 1993-94. He reorganised the districts in order to make administration transparent and bring it closer to the people, and converted 13 districts into 30 districts. Since then, no further district reorganisation has been done, though there have been agitations in different parts of Odisha demanding creation of new districts including a new district of Padampur in the Bargarh district of my parliamentary constituency.

Apart from that, there are 58 subdivisions in Odisha which need to be further bifurcated including the formation of a subdivision in Brajrajnagar Assembly constituency in the district of Jharsuguda which is also part of my parliamentary constituency.

Similarly, the Odisha government has not reorganised the blocks in the State for the last four decades. The last one was made in 1984, putting the number of blocks at 314 only. Now, the time has come for the bifurcation of large blocks and the formation of new blocks in Odisha including the bifurcation of Lakhanpur

block in Jharsuguda district having 33 gram panchayats into three blocks, and the formation of a new Melchhamunda block in the district of Bargarh.

Though the formation of districts/subdivisions/blocks is a State Subject under the federal system, I request the Union Government to impress upon the Government of Odisha for bifurcation and formation of new Districts, including Padampur, new subdivisions including one in Brajrajnagar of Jharsuguda District and new blocks in Odisha including two in Lakhanpur Block of Jharsuguda District and one in Melchamunda area in Bargarh District to make the administration more efficient and transparent and to ensure that Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana reaches the poorest of the poor perfectly and quickly. Thank you.

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): Sir, I would like to bring to the attention of this august House the problems of Gramin Dak Sevaks. Fortunately, hon. Minister for Communications, Shri Ashwini Vaishnaw is here. The postal employees provide all postal services including services like small saving banks and saving certificates to the rural people, which account for 60 per cent of population of this country.

The Kamlesh Chandra Committee appointed a pay commission on Gramin Dak Sevaks and made some important recommendations which have not been implemented so far. Supreme Court has declared Gramin Dak Sevaks as holders of civil posts, though outside regular civil posts.

As far as the demands of the Gramin Dak Sevaks are concerned, I wish to bring a few points to your knowledge. They demand the enhancement of group insurance up to Rs. 5 lakhs along with providing medical facilities to them. They

want removal of the maximum cap of amount of Rs. 1.5 lakh on gratuity and restoring it to maximum Rs. 5 lakh as recommended by the Kamlesh Chandra Committee. They further demand grant of three-time financial upgradation as recommended by the Kamlesh Chandra Committee. They further request for confirming the status of civil servants by giving a separate clarification on eight-hour work.

I request the hon. Minister to consider their requests and do the needful to save these Gramin Dak Sevaks from avoidable inconvenience. Thank you, Sir.

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत गढ़वा जिला के भवनाथपुर में 1,180 हेक्टेअर भूमि पर केन्द्र सरकार का राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड, एनआईसीडीसी के तहत अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट का झारखंड राज्य में इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग सेंटर स्थापित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। उक्त संबंध में एनआईसीडीसी के सीईओ कम एमडी के द्वारा डिप्टी कमिश्नर, गढ़वा से एक प्रतिवेदन मांगा गया था। डिप्टी कमिश्नर, गढ़वा ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन समर्पित किया है। राज्य सरकार के स्तर से उस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार गढ़वा जिले के भवनाथपुर के अंतर्गत इस आईएमसी को स्थापित नहीं करना चाहती है। उनका झुकाव बोकारो जिला की तरफ है।

अत: आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि झारखंड सरकार से बातचीत कर उक्त स्थान पर इंटीग्रेटेड मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए। साथ ही यह भी आग्रह है कि राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड की टीम भेजकर उक्त जमीन एवं बोकारो में प्रदत्त जमीन का कंपैरिटिव इवैल्युएशन कराया जाए, ताकि राज्य सरकार का बोकारो के पक्ष में जो झुकाव है, उसके औचित्य-अनौचित्य पर निष्पक्ष निर्णय लिया जा सके।

महोदय, उल्लेखनीय है कि सेल के द्वारा भवनाथपुर में 1,180 हेक्टेअर जो जमीन ऑफर की गई है, उसकी तुलना में बोकारो स्थित जमीन 700 हेक्टेअर के आसपास है। भविष्य में यदि आईएमसी का विस्तार किया जाएगा तो उसके लिए वहां जमीन उपलब्ध नहीं है, जबकि भवनाथपुर में जमीन उपलब्ध है। यह भी कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि गढ़वा जिला देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में आता है। आदरणीय प्रधान मंत्री जी की यह इच्छा है कि जो भी आकांक्षी जिले हैं उनमें विकास की गति को तीव्र किया जाए, ताकि वे विकसित जिलों की सूची में आ सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री आर. के. सिंह पटेल (बांदा): सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र बांदा, चित्रकूट के अंतर्गत उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज जोन के बरगढ़ रेलवे स्टेशन एवं खुरहंड रेलवे स्टेशन में बुंदेलखंड एक्सप्रेस ट्रेन तथा सारनाथ एक्सप्रेस, इन दोनों ट्रेनों का ठहराव था। ये दोनों ट्रेनें कोरोना काल के पहले वहां रुकती थीं। कोरोना काल समाप्त हो गया, ट्रेनें चल गईं, लेकिन ये दोनों ट्रेनें 15159/15160 सारनाथ एक्सप्रेस और 11107/11108 बुंदेलखंड एक्सप्रेस खुरहंड रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती हैं। 11107/11108 और 15205/15206, ये दोनों ट्रेनें कोरोना काल के बाद से बरगढ़ और खुरहंड रेलवे स्टेशन पर नहीं रुक रही हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन दोनों ट्रेनों का ठहराव बरगढ़ और खुरहंड रेलवे स्टेशन्स पर कराया जाए, क्योंकि इससे जनता में आक्रोश व्याप्त हो रहा है। मैं दोनों ट्रेनों का ठहराव जल्द से जल्द वहां कराने की मांग करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): Sir, I would draw your kind attention towards the functioning of the National Highways Authority of India. In my Parliamentary Constituency, Berhampur, Odisha, ten projects were sanctioned in 2022 which include three flyovers and seven bridge under passes. The projects are Surla Road Junction, Bhairavi Junction, Panchama Junction, Kanisi Junction, Haldiapadar Junction, Lanjipoli Flyover, Pukdibandha Flyover, DRDA Flyover, Chatarapur College Junction and Mandia Palli Junction. However, there is no

progress so far at ground level as far as these ten projects are concerned. I am also not aware of the status or progress of tender process of these projects.

There have been a large number of accidents at all these points which are also black spots of this NH. About 30 persons have lost their lives annually in different accidents at these points. Due to delay in these projects, people of my Parliamentary Constituency have been facing so much inconvenience and difficulties in their day-to-day activities. They are now fed up with the attitude of the National Highways Authority of India, and are ready for an agitation to block the National Highway at various stretches if work on these ten projects does not start by 30th December, 2023.

Sir, I request the hon. Union Minister concerned to look into this matter and issue necessary instructions to the authorities concerned to start work before 30th December, 2023 so that the work on these ten projects completes expeditiously in my Parliamentary Constituency. Thank you.

श्री गुरजीत सिंह औजला (अमृतसर): सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में एक बुखार ने लोगों को भयंकर चपेट में लिया है। हमारे क्षेत्र का जो छेयाडा एरिया है, पिछले छह महीने से भी ज्यादा समय हो गया है, लगभग एक साल से लोग इस बुखार से परेशान हो रहे हैं। लोग इसे चिकनगुनिया बोल रहे हैं। लेकिन चिकनगुनिया का टेस्ट निगेटिव आने के बावजूद उनको बुखार होता है, उनके हाथ-पांव सूज जाते हैं। जब वे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो अलग-अलग तरह के टेस्ट होते हैं, ये गरीब लोग हैं और बहुत परेशान हैं। टेस्टों कराने में भी ये लोग उजड़ रहे हैं, लेकिन कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। वे स्टेरायड दे देते हैं या एंटी एलर्जीक मेडिसिन्स दे देते हैं। स्टेरायड देने की वजह से इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, फिर उनको

आंखों का फ्लू हो जाता है, किसी को जुकाम हो जाता है और तरह की इलामते आ जाती हैं और इम्यून सिस्टम डाउन होता है।

इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसके बाद आदमी छह महीने तक पानी की एक बोतल नहीं खोल सकता, वह इतना कमजोर हो जाता है। इसमें बीस साल के नौजवान ज्यादा चपेट में हैं। लोग हॉस्पिटल में दाखिल हैं, कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। सरकार को बार-बार बोला गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया है।

कुछ डॉक्टर कहते हैं कि यह कोविड का बिगड़ा हुआ रूप है क्योंकि इसके लक्षण का पता नहीं चल रहा है। मैं सरकार से विनती करता हूं कि सरकार इसको महामारी की तरह ले। केन्द्र सरकार एक टीम सेट-अप करे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देशों में कोविड के बाद अलग-अलग तरह की बीमारियां आ रही हैं। क्या पता यह उसी का कोई रूप न हो? छह महीने हो गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है, बार-बार चिट्ठी लिखी है, बार-बार उनको एप्रोच किया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से विनती करता हूं कि आप तुरंत एक टीम बनाइए। डॉक्टरों की टीम वहां जाए और उस पर रिसर्च हो कि यह क्या बीमारी है, जो देशवासियों को परेशान कर रही है।

मेरे संसदीय क्षेत्र में करीब 25 लाख लोगों में से 5 लाख गरीब परिवार हैं, करीब ढ़ाई लाख परिवार इससे प्रभावित है। उनकी रोजी-रोटी जा चुकी है। सारा परिवार इससे परेशान है। उनके घर लोन पर हैं, लोन पर गाड़ी है, उनकी किश्ते ड्यू हैं। वे लोग बहुत परेशानी के हाल में हैं। सरकार तुरंत इसके ऊपर एक्शन ले और वहां एक टीम भेजे। धन्यवाद।

*__DR. AMAR SINGH (FATEHGARH SAHIB):__ I thank you, Chairman Sir, for giving me the opportunity to speak on an important subject pertaining to my State Punjab.

Sir, this pertains to a part of history of Punjab and I want to draw the attention of this august House and the entire country. Punjab is the shield of the entire country. Whenever a foreign invader came to attack India through the

* English translation of the speech originally delivered in Punjabi.

Western borders, the Punjabis rose as one man and opposed these invaders. Punjabis fought against Mughals, Ahmad Shah Abdali and the British tooth and nail.

During the freedom struggle too, Punjabis were at the vanguard as far as fighting against British rule is concerned. In Cellular Jail in Andaman Islands in Port Blair, State-wise lists have been displayed of freedom fighters incarcerated there. The list of Punjab is unending. Lot of Punjabis sacrificed their lives for the sake of the motherland India. Shaheed Bhagat Singh, Lala Lajpat Rai, Rajguru, Sukhdev, Madan Lal Dhingra, Kartar Singh Sarabha etc. sacrificed their lives for this country.

I urge upon the Government and this august House to grant 'Bharat Ratna' award to all these martyrs so that the youth of this country should feel that we remember and honour our martyrs.

Thank you.

श्री नव कुमार सरनीया (कोकराझार): माननीय सभापति जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने संसद में पहली बार मुझे बोलने का मौका प्रदान किया।

असम में मेरे लोकसभा क्षेत्र में कोच राजबंग्शी, आदिवासी, मोरान, मोटोक, आहोम और चुटिया समुदाय वर्षों से एसटी स्टेटस की मांग कर रहे हैं। राज्य सभा में यह बिल प्लेस किया गया, मॉडल बिल बनाया गया लेकिन अभी तक कुछ भी रिजल्ट नहीं आया है। मैं जानना चाहता हूं कि वास्तव में यह किस स्टेज पर है? कलिता, नाथ योगी, गोरखा भी यही मांग कर रहे हैं। मुझे इनका स्टेटस भी जानना है। सरनिया कछारी असम के आदिवासियों में आते हैं, लेकिन इनको बोडो कछारी/कछारी का स्टेटस मिलता है, इनको आठ महीने से सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, इस कारण सैंट्रल यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं मिल रहा है और नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं। इनको असम सरकार ने बोडो कछारी/कछारी के

साथ सरनिया कछारी के नाम से असम की आदिवासी लिस्ट में लिस्टिंग करने के लिए भेजा है। मैं पूछना चाहता हूं कि कब तक यह बिल आएगा? यह इश्यू सात साल से है। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार अगर पोजीटिवली रोल निभाएगी तो जल्दी इसका समाधान होगा। हमारा यही आग्रह है और हम चाहते हैं कि जब असम सरकार इसे पोजीटिवली भेज रही है तो इस प्रपोजल के ऊपर केंद्र सरकार जल्दी से जल्दी बिल लेकर आए। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय सभापति जी, मैं आपकी इज़ाज़त से माननीय रेल मंत्री अश्विनी जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इसके बारे में जानकारी भी दे चुका हूं। मेरे लोकसभा क्षेत्र के मुर्शिदाबाद में रेलवे की तरफ से एक अजीबोगरीब नियम अभी भी चालू है। नदी के पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ रेलगाड़ियां चलती हैं, एक सियालदाह डिवीजन है और एक हावड़ा डिवीजन है। कोविड के समय से एक अद्भुत नियम के कारण वहां की सवारियों को आज तक रिजल्ट भुगतना पड़ रहा है। नदी के पश्चिम पर कटवा से लेकर अमगंज तक स्पेशल ट्रेन चलाई और बहाना बनाकर किराया 30 रुपये और सेम डिस्टेंस में पूर्व की तरफ दस रुपये लिए जाते थे। अभी भी यही नियम चालू है। इसका क्या मतलब है? कोविड तो गायब हो गया लेकिन आपने जो नियम चालू किया था, वह नियम गायब नहीं हुआ और इस कारण आम लोगों को इस सुविधा से वंचित होना पड़ता है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक ही दूरी यानी पूर्व के लिए 10 रुपये और पश्चिम के लिए 30 रुपये कैसे हो सकते हैं? अब तो कोविड का कोई नामोनिशान ही नहीं है। मुझे कई सालों से वहां के आम लोग बार-बार शिकायत कर रह हैं। कृपया आप इस विषय पर ध्यान दें और इसमें सुधार करें।

LIST OF MEMBERS WHO HAVE ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Dr. Nishikant Dubey	Shri P. P. Chaudhary Shri Gopal Shetty
Shri T.R. Baalu	Shrimati Supriya Sadanand Sule Shri Malook Nagar DR. DNV Senthilkumar S. Shri B. Manickam Tagore Shri Girish Chandra
Shri K. Muraleedharan	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Santosh Pandey	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Pradeep Kumar Singh	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Vincent H. Pala	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Subhash Chandra Baheria	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Khagen Murmu	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri S.R. Parthiban	Shri Malook Nagar DR. DNV Senthilkumar S.
Sushri S. Jothimani	Shri B. Manickam Tagore DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Naranbhai Kachhadiya	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri Magunta Sreenivasulu Reddy	DR. DNV Senthilkumar S.
Shri Suresh Pujari	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar

Kumari Ramya Haridas	Shri Girish Chandra DR. DNV Senthilkumar S. Shri Malook Nagar
Shri Vishnu Dayal Ram	Shri Girish Chandra Shri Malook Nagar
Shri C. N. Annadurai	DR. DNV Senthilkumar S.
Dr. Amar Singh	Shri Girish Chandra

13.00 hrs

MATTERS UNDER RULE 377*

माननीय सभापति : जिन माननीय सदस्यों को आज नियम-377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वे अपने मामलों के अनुमोदित पार्ट को 20 मिनट के अंदर व्यक्तिगत रूप से सभा-पटल पर रख दें।

… (व्यवधान)

(i) Need to establish a GST Office in Balurghat, West Bengal

DR. SUKANTA MAJUMDAR (BALURGHAT): I want to draw the attention of the Hon'ble Minister of Finance towards a serious matter which has been affecting business community, tax professionals, and overall economic landscape of Balurghat. Unlike others, Balurghat lacks its own GST office and is currently attached to Malda, creating a significant inconvenience for the local stakeholders. Balurghat, despite being the second-largest land port in West Bengal, is devoid of a dedicated GST office. This is particularly disheartening given the district's economic significance, with numerous rice mills and growing business volumes in various sectors. The absence of a local GST office has resulted in considerable challenges for businesspersons and tax professionals who struggle with the distance to access essential facilities. The imprudent decision of the West Bengal circle authority has not only inconvenienced the local stakeholders but has also led to increased expenses for the GST department. The necessity for frequent tours

*Treated as laid on the Table.

and travels, especially for raids and personal monitoring, imposes financial burdens on both the department and the taxpayers. In light of these pressing issues and in consideration of serious lapses and negligence exhibited by the GST authorities in West Bengal, I kindly seek your support and approval for the establishment of a GST office in Balurghat at the earliest.

(ii) Regarding status of various NH projects in Gwalior region in Madhya Pradesh

श्री विवेक नारायण शेजवलकर (ग्वालियर): ग्वालियर अंचल में सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय की परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति एवं इनको पूरा करने की निर्धारित अवधि से अवगत कराने का कष्ट करें। ग्वालियर शहर में पश्चिम बायपास का निर्माण कार्य उक्त प्रस्तावित पश्चिम बायपास आगरा से शिवपुरी जाने वाले वाहनों की यात्रा की दूरी को लगभग 30 कि.मी. कम करेगा एवं यात्रा के समय को भी 30-45 मिनट कम करेगा। साथ ही साथ साडा क्षेत्र के विकास में भी गति आयेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं.-44 के आगरा - ग्वालियर खण्ड का 6-लेन (ग्रीन फील्ड) उक्त नवीन परियोजना उत्तर-दक्षिण ट्रेफिक को आगरा से ग्वालियर के मध्यम हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अटल प्रगति पर चंबल एक्सप्रेसवे उक्त परियोजना कोटा (राजस्थान), श्योपुर, भिण्ड, मुरैना (मध्यप्रदेश), इटावा (उत्तर प्रदेश) को जोड़ती है। सेतु बंधन योजना के अंतर्गत ग्वालियर जिले में स्वीकृत रेल ओवर ब्रिज एवं अंडर पास की वर्तमान स्थिति (क) स्थान- महलगांव एवं हरीशंकर पुरम के मध्य रेलवे अंडर पास (ख) स्थान- मोहना रेल्वे स्टेशन के समीप रेल ओवर ब्रिज इन सभी कार्यों के पूर्ण होने से यातायात व्यवस्था सुचारू करने एवं ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलेगी।

(iii) Regarding computerised land holding records in urban areas

श्री घनश्याम सिंह लोधी (रामपुर) : शहरी क्षेत्र में नॉन जेड ए की जमीनों की कम्प्यूटराइज्ड खतौनी नहीं हो पा रही है। जबकि नॉन जेड ए के जमीन की कम्प्यूटराइज्ड खतौनी जारी होने में किसी प्रकार का विधिक अवरोध नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि शहरी क्षेत्रों में अभी जमींदारी प्रथा टूटी नहीं है। नॉन जेड ए की जमीन पर मिलीभगत करके अवैध तरीके से भूमाफिया फायदा उठाते हैं। शहरों की जमीनों पर जींदारी विवाह एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू नहीं होने से जमीनों का ब्यौरा कम्प्यूटर में दर्ज नहीं किया जा सका है। ऐसी जमीनों का रकबा शहर में होता है। ब्यौरा न होने के कारण जमीनों का दाखिल खारिज कराने में काफी मुश्किलें आती है। शहर के कई मुहल्ले व स्थान में लोग वर्षों से मकान बनाकर रह रहे हैं। लेकिन तहसील के राजस्व अभिलेखों में उनके नाम दर्ज नहीं है। इससे तहसील के अधिकारी परेशान करते हैं। इस कारण जमीन विवाद के मामले अधिक आते है। इसके साथ ही ऐसी जमीनों पर भूमाफियों की नजर रहती है। नॉन जेड के जमीनों पर कम्प्यूटराइज्ड खतौनी जारी करता है तो जमीन का सत्यापन कर ब्यौरा फीड होगा और इससे शहरों में कई हजार लोगों को फायदा मिलेगा।

(iv) Regarding early completion of bridge at Lakdidhahi area in Muzaffarpur, Bihar

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर):उत्तर बिहार की व्यापारिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध हमारा क्षेत्र मुजफ्फरपुर से नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र के साथ-साथ सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा एवं अररिया आदि प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। उक्त सभी जगहों से मुजफ्फरपुर आने के लिए ब्रिटिश काल का बना एक अत्यन्त पुराना पुल है, जो अखाराघाट पुल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह पुल काफी जर्जर स्थिति में है। साथ ही भारी यातायात के कारण हमेशा जाम की स्थिति बनी रहती है। दरभंगा से वायुयान सेवा शुरू होने के कारण भी इस पुल पर काफी दबाव बढ़ गया है। इन्हीं स्थितियों को देखते हुए पिछले कुछ वर्ष पूर्व बिहार सरकार द्वारा एक अतिरिक्त पुल लकड़ीढ़ाही में निर्माण की योजना बनायी गई, लेकिन इसका निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। अखाड़ाघाट पुल की जर्जर अवस्था एवं भारी यातयात के दबाव से निजात दिलाने के मद्देनजर लकड़ीढ़ाही के निमर्णाधीन पुल को अति शीघ्र पूरा कराते हुए चालू कराने की अति आवश्यकता है। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा, कि बिहार सरकार को निर्देश दिए जाए, ताकि लोगों को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के मद्देनजर उक्त लकड़ीढ़ाही का निर्माणाधीन पुल निर्माण पूरा कराते हुए शीघ्र चालू करा सके।

(v) Need to set up Dairy Research Institute and Commercial Farming Training Centre in Salempur Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री रविन्दर कुशवाहा (सलेमपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया बलिया सहित पूरे पूर्वांचल के लोगों की आय कृषि व पशुपालन पर आधारित है। पूर्वांचल सहित पूरे उत्तर प्रदेश में किसानों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि करने हेतु डेयरी प्रोडक्ट का उत्पादन दोगुना और खाद्य सुरक्षा को आत्मनिर्भर एवं आत्म संपन्न बनाने के साथ-साथ रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न करने हेतु पशुपालन को व्यवसायिक डेरी फार्मिंग से जोड़ना अत्यंत लाभप्रद होगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर में खासकर देवरिया, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, आजमगढ़ सहित बिहार के दो जिले सिवान और गोपालगंज पूर्णता कृषि एवं पशुपालन के अनुकूल हैं। यहां व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग की असीम संभावनाएं हैं परंतु समुचित प्रशिक्षण एवं वैज्ञानिक मार्ग निर्देशन प्राप्त न होने के कारण पशुपालकों एवं किसानों को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं होता है। अतः मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र सलेमपुर के अंतर्गत देवरिया बलिया में डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित करने तथा व्यवसायिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण केंद्र विकसित करने की कृपा करें जिससे यहां के पशुपालकों एवं किसानों की आय में दोगुनी वृद्धि हो, प्रदेश में डेरी प्रोडक्ट का उत्पादन दोगुना हो तथा खाद्य सुरक्षा आत्मनिर्भर आदमी संपन्न बने, रोजगार एवं व्यापार के अवसर उत्पन्न हो।

(vi) Regarding introduction of flexible working hours for women

SHRIMATI SANGEETA KUMARI SINGH DEO (BOLANGIR): In India, in spite of their capabilities, education and aptitude, women are unable to enter into the workforce due to various cultural constraints. Women have only marginal representation in both the public and private sector. As per Periodic Labour Force Survey (PLFS) Report, the estimated Labour Force Participation Rate (LFPR) for women was 32.8% during 2021-22. As per World Economic Forum's Gender Gap Report 2022, India ranked 135 out of 146 countries. The Ministry of Labour and Employment is preparing its vision for 2047 in 'Amrit Kaal'. The Hon'ble Prime Minister during his address at the National Conference of Labour Ministers in 2022, has advocated that "the future needs flexible workplaces, a work-from-home ecosystem and flexible work hours. We can use systems like flexible workplaces as opportunities for women's labour force participation". There is an urgent need for the Government to make concerted efforts to increase the representation of women in the workforce through various policy interventions and special provisions. I request the Hon'ble Minister of Labour and Employment to introduce a policy for flexible work hours to realise the Prime Minister's vision to increase the participation of women in the workforce.

(vii) Need to release arrear of payments to farmers cultivating 'Moong' and 'Chana' in Gangapur Parliamentary Constituency, Rajasthan

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत जिला श्रीगंगानगर और जिला हनुमानगढ़ राजस्थान के मूंग व चना किसानों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिनका वर्ष 2020-21 का लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए हिंदुस्तान इंसेंटिसाइड लिमिटेड पर बकाया है और अनेकों बार अनुरोध करने पर भी मेरे संसदीय क्षेत्र के इन किसानों को इस राशि का भुगतान नहीं हो सका है। वर्ष 2020-21 में HIL द्वारा यहां के किसानों से लगभग 868 क्विंटल चना और लगभग 1710 क्विंटल मूंग खरीद की गई थी जिनका भुगतान अभी तक बकाया पड़ा हुआ है। भुगतान के अभाव में इन किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है और यह सभी लोग मानसिक और आर्थिक तौर पर बहुत परेशान हो रहे हैं इसी प्रकार वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय खाद्य निगम (फूड कॉरपोरेशन आफ इंडिया) के द्वारा खरीदे गए गेहूं की आढ़त राशि का भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया है भारतीय खाद्य निगम द्वारा मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिलों में गेहूं की खरीद की गई थी जो की 30 जून 2023 को बंद हो गए थे इसके पश्चात व्यापारियों द्वारा आढ़त बिल भारतीय खाद्य निगम के पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड कर दिए थे लेकिन काफी समय बीतने के बाद भी यहां के व्यापारियों को उनकी आढ़त का भुगतान नहीं हो सका। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस विषय में त्वरित कार्रवाई करते हुए किसानों और व्यापारियों को उनके भुगतान की संपूर्ण बकाया राशि को जल्द से जल्द जारी करने हेतु संबंधित विभागों को समुचित दिशा निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

(viii) Need to provide railway connectivity to Deobhog in Gariaband district, Chhattisgarh with Junagarh in Odisha

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ के जिला गरियाबंद जिला मुख्यालय से 127 कि.मी. दूर देवभोग विकास खण्ड को सीमावर्ती उड़ीसा राज्य के जूनागढ़ रेलमार्ग मे जोड़ने से क्षेत्र के लोगों को राजधानी रायपुर आने जाने एवं शिक्षा, चिकित्सा या व्यापार से जोड़ने में सुविधा होगी। क्योंकि जिला मुख्यालय गरियाबन्द और देवभोग के मध्य सघन वन एवं रिजर्व टाईगर क्षेत्र है। जहां राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण स्वीकृत है, लेकिन पर्यावरण विभाग से अनुमति मे विलंब होने से निर्माण कार्य में विलंब हो रहा है। अतएव देवभोग को उड़ीसा राज्य के पूर्वी-तटीय रेल अतर्गत जूनागढ़ रेलवे स्टेशन से जोड़ा जा सकता है। उसी प्रकार रायपुर राजिम छोटी लाईन को बड़ी लाईन मे परिवर्तित करने की कार्य प्रगति पर है उसे भी गरियाबन्द जिला मुख्यालय तक बढ़ाने से जनमानस को सुविधा होगी। अतः सरकार से गुजारिश है, कि उपरोक्त महत्वपूर्ण विषय को संज्ञान में लेकर उड़ीसा सीमा क्षेत्र देवभोग तक रेल सुविधा को अतिशीघ्र प्रारम्भ करने हेतु रेल मंत्रालय को निर्देशित करने की कृपा की जाए।

(ix) Need to enhance the honorarium of Accredited Social Health Activists

श्री विनोद कुमार सोनकर (कौशाम्बी): आशा बहुओं के मानदेय में वृद्धि अति आवश्यक है क्योंकि आशा कार्यकर्ता के पदों पर कार्य करनेवाली स्त्रियां बेहद निम्न और पिछड़े आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक पृष्ठभूमि से हैं, जो बेहद निम्न आय में जीवनयापन करने को अभिशप्त हैं। आशा बहुओं के पदों पर 80% दलित-बहुजन जातियों की स्त्रियां कार्यरत हैं। जबकि आशा संगिनी के पद पर दलित-बहुजन महिलाओं की भागीदारी केवल 20% प्रतिशत है। 20 आशा बहुओं का क्लस्टर बनाकर एक आशा संगिनी की नियुक्ति की जाती है। संगिनी का काम आशा कार्यकर्ताओं के कामों की निगरानी करना है। उत्तर प्रदेश में आशा कार्यकर्ताओं को आशा बहु की संज्ञा दी गई है। साल 2005 में आशा कार्यकर्ता के पदों का सृजन किया गया था तब जननी सुरक्षा के लिए खास करके इनकी नियुक्ति की गई थी और जच्चा-बच्चा की सुरक्षा के पांच मुख्य काम इनके जिम्मे थे। आज इनके जिम्मे 50-55 काम, डाटा इंट्री के काम मोबाइल के जरिए, जनगणना, पेड़-गणना, जानवर-गणना, कुष्ठ रोग का सर्वे, टीबी के सर्वे से लेकर तमाम काम करने पड़ रहे हैं, जो इनके नहीं है। आशा कार्यकर्ताओं की राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डूडा के तहत आने वाली मलिन बस्तियों और ग्रामीण/शहरी क्षेत्रो मे आशा बहुओं के रूप में नियुक्ति की जाती है।

(x) Need to impart technical and vocational education in local/regional languages of the states

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया (भीलवाड़ा): तकनीकी शिक्षा एक विशिष्ट प्रकार का शिक्षा रुप है जिनका व्यक्ति और समाज के साथ अभिन्न समन्वय है। जो शिक्षा विशेष व्यावहारिक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, तकनीकी शिक्षा किसी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मनुष्य रोटी के बिना नहीं रह सकता, रोटी कपड़ा और मकान अनिवार्य है। इसके लिए मनुष्य को कार्य करना ही पड़ता है। किन्तु बिना समुचित प्रशिक्षण के यह कार्य कठिन है। सिर्फ तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा ही हमें विशेषज्ञ इंजीनियर और तकनीशियन देती है। हमारे देश में बड़ी मात्रा में इनकी आवश्यकता है। वर्तमान में देश में तकनीकी शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही दी जाती है जिससे ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने में काफी परेशानी आती है।

अतः सरकार से मेरा आग्रह है कि सभी प्रकार की तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा को हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी भाषा एवं अन्य राज्यों में स्थानीय भाषा में भी पढ़ाया जाये ताकि ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा मिलेगी और बेरोजगारी में कमी आयेगी साथ ही मेरा यह भी निवेदन है कि व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा को शिक्षण में प्राथमिक स्तर के साथ ही प्रारम्भिक रूप से लागू किया जाए जिससे छात्र स्वरोजगार हेतु आत्मनिर्भर हो सकें।

(xi) Need to correct the spelling of 'Dhangadh' caste as 'Dhangar' in the list of Scheduled Tribes in Maharashtra

श्री रणजितसिंह नाईक निंबालकर (माधा): धनगर जनजाति देश के कई राज्यों में विद्यमान एक घुमंतु चरवाहा जनजाति है। यह जनजाति सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक दृष्टि से काफी पिछड़ी हुई है। पूरे देश में इस जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता मिली हुई है परन्तु महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में टाइपिंग की गलती के कारण इस जनजाति का नाम 'धनगर' के स्थान पर 'धनगढ' टाईप हो गया है तथा वर्तमान में यह जनजाति महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर 'धनगढ' शब्द के रूप में उल्लिखित है। वास्तविकता यह है कि महाराष्ट्र में धनगढ़ नाम की कोई जनजाति है ही नहीं और वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के धनगर जनजाति के एक करोड़ लोग टाइपिंग की गलती की वजह से अनूसूचित जनजाति को मिलने वाले सरकारी सुविधाओं से विगत 70 सालों से वंचित है। मेरा आपसे अनुरोध है कि महाराष्ट्र की अनुसूचित जनजाति की सूची में क्रमांक 36 पर उल्लिखित 'धनगढ' शब्द को स्थान पर 'धनगर' शब्द प्रतिस्थापित किए जाने हेतु शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचना जारी करवाने की कृपा करें ताकि सदियों से शोषित व वंचित 'धनगर' समाज को न्याय मिले तथा उन्हें अनूसूचित जनजाति को मिलने वाली सभी सुविधाओं के लाभ सहित तत्संबंधी प्रमाणपत्र जारी किए जा सके।

(xii) Need to run a direct train between Bulandshahr and Delhi and provide goods and passenger services at Bulandshahr Railway Station

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): बुलंदशहर जिले में गेहूं, चावल, चीनी, गुड़, फल, सब्जी और दूध की पैदावार ज्यादा होती है लेकिन पिछले 23 वर्षों में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं होने से जिले का विकास लटक गया है। वर्ष 2013 में 115 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनाकर रेल बजट में सर्वेक्षण के लिए प्रस्तावित कर दिया गया था इसके बाद इस मामले में सुनवाई नहीं हुई। यदि रेलवे लाइन का विस्तार हो गया होता तो बुलंदशहर खुर्जा की तरह देश और विदेश में जाना जाता। इस जिले की पहचान खुर्जा की पॉटरी और नरौरा परमाणु केंद्र तक ही सीमित होकर रह गई। रेल बुलंदशहर से सीधे दिल्ली के लिए जाती तो जिले का किसान गेहूं, चावल, चीनी, गुड़, फल, सब्जी और दूध को दिल्ली व अन्य शहर में सीधे पहुंचा सकते थे। वर्ष 1998 से लगातार रेल की मांग की जा रही है। मेरी मांग है कि बुलंदशहर से दिल्ली तक अविलंब सीधी रेल सेवा प्रारभ की जाए। बुलंदशहर स्टेशन पर माल उतारने के लिए नये प्लेटफार्म, बुलंदशहर स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन का मार्ग बढ़ाने और स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाएं के लिए संसाधनों की व्यवस्था की जाए। इससे बुलंदशहर में विकास की गंगा बहने लगेगी।

(xiii) Regarding conservation of Hindu religious and cultural heritage sites by Archaeological Survey of India

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण राष्ट्र की सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्त्वीय अनुसंधान तथा संरक्षण के लिये एक प्रमुख संगठन है तथा इसका प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसके अतिरिक्त, प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातत्वीय गतिविधियों को विनियमित करता है।

लेकिन, प्रायः यह देखने में आया है कि आज देश में जितनी भी गुफाए या गुम्बद हैं, वहां पर पहले हिन्दू सभ्यता के मंदिर थे या वहां पर हिन्दू देवी-देवताओं के मंदिर बनाए गए थे। लेकिन, कालांतर में मुगल शासकों और अंग्रेजों ने इनको जीर्णशीर्ण कर दिया। आज संरक्षित सांस्कृतिक धरोहर में नंदी बैल टूटे हुए हैं तो अनेक स्थलों पर अर्द्धनागेश्वर जीर्णशीर्ण स्थिति में है। इनको जीर्णशीर्ण स्थिति में संरक्षित रखने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः ए.एस.आई को चाहिए कि जीर्णशीर्ण सांस्कृतिक धराहरों को उन्हें उनका मूल रूप देकर संरक्षित किया जाए। अतः मेरा अनुरोध है कि ए०एस०आई० के अधीन हिन्दू धार्मिक सास्कृतिक धरोहर, जो जीर्णशीर्ण स्थिति में संरक्षित की जा रही है, उन्हें उनका मूल रूप देकर संरक्षित किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए।

(xiv) Need to develop a Mega Textile Park in Solapur city, Maharashtra

डॉ. जयसिद्देश्वर शिवाचार्य स्वामीजी (शोलापुर): शोलापुर शहर न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी वस्त्र केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता-पूर्व काल से ही यहां वस्त्र व्यवसाय चल रहा है। इस शहर में टेक्सटाइल पार्क के लिए आवश्यक सभी बुनियादी अवसंरचना मौजूद है। इस शहर में वस्त्र उद्योग से जुड़े प्रशिक्षित एवं कुशल कामगार बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। भौगोलिक दृष्टि से शोलापुर शहर तीन राज्यों से जुड़ा हुआ है। शोलापुर में इस मेगा टेक्सटाइल पार्क के विकसित होने से अन्य व्यवसायों को भी फलने-फूलने में सहायता मिलेगी और इसके माध्यम से कई बेरोजगार और कुशल कामगारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से शोलापुर शहर में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क विकसित किए जाने का अनुरोध करता हूं।

(xv) Regarding discharge of duties under Article 355 of the Constitution

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): The Governor of Tamil Nadu has been withholding assent to several crucial bills passed by the Assembly including the bill to ban the online gambling which had cost around 45 lives in Tamil Nadu. The Tamil Nadu government has observed the Governor's actions and has expressed concern about this. The government has also petitioned the Supreme Court to seek clarification on the Governor's role. The Supreme Court has now intervened in the matter, noting that the Governor does not have the discretion to withhold assent to bills that have been re-passed by the Assembly. The Court has also emphasized that Governors must act on the advice of the Council of Ministers, except in exceptional circumstances. The Supreme Court's intervention in the matter is a significant development, as it has reaffirmed the principle that Governors must act within the constitutional boundaries of their powers. Therefore, I urge the Union Government under Article 355 to ensure that governors function according to the Constitution.

(xvi) Regarding settlement of EPF claims of employees of Thirupathy Mills

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): The immediate attention of the Minister of Labour is requested regarding the pressing concerns raised by the Thiruvepathy Mills Employees Joint Action Committee in Kannur. This pertains to the demand of Rs. 44,34,291 by the Employee's Provident Fund Organisation for EPF contributions. Thiruvepathy Mills, classified as a sick industry in 1989 under the Sick Industrial Companies (Special Provision 1985), has initiated closure proceedings. The auction of movable and immovable properties yielded Rs. 7.92 Crores, settling workmen's liabilities at Rs. 16.63,49,339 by 2008. Surprisingly, only one-fourth of the legally entitled amount reached the workmen as the first dividend. The Assistant Provident Fund Commissioner claims Rs. 1,49,25,709, but the liquidator approved only Rs. 44,34,291 for EPF contributions. The remaining balance, covering interest, penal charges, and damages, remains unsettled. This situation jeopardizes workmen's interests as fulfilling EPFO claims leaves insufficient funds for their rightful dues. The plea urges withdrawal of EPFO's claim, citing the company's sick industry status and the potential undermining of workmen's demands for damages and interest. The Employees Provident Fund's core objective to protect workmen's interests faces a complex predicament in this unfolding scenario.

(xvii) Regarding operational issues pertaining to AMU Centre in Kishanganj

DR. MOHAMMAD JAWED (KISHANGANJ): The AMU Centre in Kishanganj, operational since 2014, faces financial constraints with only Rs 10 crore disbursed out of the allocated Rs 136.82 crore from the 12th Five- Year Plan. This hinders its ability to fulfill educational objectives. Additionally, despite a 2017 study clarifying the Center's location near the Mahananda River, progress has stalled due to concerns raised in a complaint to the NGT. Urgently, I implore the Ministry of Jal Shakti to expedite approval. Simultaneously, the Ministry of Education must promptly release the remaining funds for the AMU Centre. The collaborative efforts of both Ministries are crucial for a timely resolution. Furthermore, there's a staffing disparity as AMU Centres in Mallapuram and Murshidabad have received UGC-sanctioned teaching and non-teaching staff, while Kishanganj lacks such resources. This disparity hampers the Center's ability to deliver quality education. I request prompt attention to address this discrepancy, ensuring the allocation of necessary permanent UGC-sanctioned staffing for the AMU Centre in Kishanganj without delay.

(xviii) Need to release the dues of West Bengal under MNREGS and Awas Yojana programmes

SUSHRI MAHUA MOITRA (KRISHNANAGAR): I wish to draw the kind attention of the Hon'ble Minster of Panchayat and Rural Development towards the urgent need to release the long pending dues of West Bengal under the MNREGS and AWAAS Yojana Programmes. A total of Rs. 6907 crore under MNREGA and Rs. 8141 crore under AWAAS Yojana is due. According to the Act; interest on unpaid wages is also due. We expect the Government to release the funds immediately.

(xix) Regarding stoppages of trains at railway stations in Ongole Parliamentary Constituency, Andhra Pradesh

SHRI MAGUNTA SREENIVASULU REDDY (ONGOLE): I would like to bring to the kind notice of Hon'ble Minister of Railways that the trains that were stopping at Ongole, Singarayakonda, Donakonda and other railway stations in my Parliamentary Constituency prior to Covid have not been restored and the public, students and business commuters of my constituency are facing a lot of trouble due to the lack of sufficient express trains. They are requesting for restoration of these trains and also requesting for the stoppage of some other Express trains at these railway stations. I request the Hon'ble Minister of Railways for the restoration of all trains which were stopping prior to Covid at all stations and some more express trains for the convenience of the people and railway commuters of my Ongole Parliamentary Constituency in Andhra Pradesh.

(xx) Need to give approval for Khamgaon to Jalna railway line project

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा): मेरा संसदीय क्षेत्र बुलढाना एक अति पिछड़ा हुआ जिला है। मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ कि खामगांव जालना रेलवे मार्ग की स्वीकृति शीघ्र अति शीघ्र देने की कृपा करें। इस संबंध में डीपीआर भी हो चुका है और महाराष्ट्र सरकार ने भी 50 प्रतिशत भागीदारी की स्वीकृति दे दी है। इस संबंध में विगत 29 अप्रैल 2023 को एक मीटिंग भी हो चुकी है, जिसमें छोटी-मोटी खामियों को सुधार हेतु कहा गया है। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर संबंधित विभागों को शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही हेतु निर्देशित करने की कृपा करें। अतः मेरा पुनः अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र / जनपद बुल्ढाना में खामगांव - जालना रेलवे मार्ग की स्वीकृति शीघ्र अति शीघ्र देने की कृपा करें। धन्यवाद।

(xxi) Need to construct a four-lane National Highway and bridge over Ganga river in Katihar Parliamentary Constituency, Bihar

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (कटिहार): बिहार राज्य अंतर्गत हमारे संसदीय क्षेत्र कटिहार में एन.एच.-31 फुलवरिया चौक से राज्य राजमार्ग (मेजर डिस्ट्रिक रोड) जो बरारी प्रखण्ड के काढ़ागोला गंगा घाट तक जाता है और बीच में गंगा नदी उस पार भागलपुर जिला के पीरपैंती प्रखण्ड में, जो एन.एच.-80 के पास जाकर मिलता है। मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से माँग करता हूँ कि एन.एच.-31 फुलवरिया चौक से राज्य राजमार्ग (मेजर डिस्ट्रिक रोड) जो बरारी प्रखण्ड के काढ़ागोला गंगा घाट से पीरपैंती तक नया एन.एच. फोरलेन के साथ-साथ गंगा नदी पर ब्रिज का निर्माण कराया जाए इसके निर्माण हो जाने से बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल सहित पड़ोसी देश नेपाल को भी जोड़ेगा, और नया एन एच चार लेन के साथ-साथ गंगा नदी पर ब्रिज का निर्माण कराने के लिए नवीन राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की नीति के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त मार्गो को नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल किया जाए। धन्यवाद ।

(xxii) Regarding six laning of Ichapur-Tangi section of NH-16 in Odisha

SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR): National Highway 16 is a major National Highway in India. Its northern terminal starts near Kolkata and the southern terminal is at Chennai. It is a part of the Golden Quadrilateral project to connect India's major cities. The highway directly connects West Bengal and Southern States to Odisha. Odisha is an Indian State situated in the eastern part of India, Odisha also has a 500 km long coastline along with the Bay of Bengal. The route of NH 16 passes through important cities viz. Balasore, Bhadrak, Cuttack, Bhubaneswar, Khordha, Tangi, Balugaon, Chatrapur and Brahmapur. The major geographical attractions along the way to NH 16 would be the Sabamarekha River and Chillika Lake. Ichapur - Tangi Section is presently four lane and is a part of NH16 that lies in Odisha. It covers a distance of about 140 km from Ichapur to Tangi and the traffic volume is very high as it passes through the cities of Khordha and Balugaon. In view of high volume of traffic, I request the Hon'ble Minister to sanction upgradation of Ichapur - Tangi Section of NH 16 to Six lane as it will give great relief to large number of commuters of the states.

(xxiii) Need for comprehensive reforms in the functioning of investigative agencies

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): The assertion that 95% of political leaders investigated by the Central Bureau of Investigation (CBI) and the Enforcement Directorate (ED) belong to opposition parties raises concerns about the impartiality and neutrality of these investigative bodies. While it's crucial to acknowledge that investigations of politicians may be driven by legitimate concerns over corruption or misconduct, the disproportionate focus on opposition figures raises questions about the potential misuse of these agencies for political purposes. Such an imbalance could erode public trust in the independence of law enforcement agencies, as it might be perceived as an attempt to suppress dissent. It underscores the need for transparent and unbiased investigations, free from interference, to ensure the credibility of these institutions. To address these concerns, there is a pressing need for comprehensive reforms in the functioning of investigative agencies, ensuring that they operate independently. Additionally, promoting accountability, transparency, and adherence to the rule of law in the investigation process is essential for upholding the principles of democracy and maintaining public confidence in the system.

(xxiv) Need to release pending dues of central share of financial assistance to Kerala

ADV. A. M. ARIFF (ALAPPUZHA): The Union Government is withholding financial assistance eligible for the State of Kerala. Central shares of financial assistance of about Rs. 57,400 crore is pending to the State of Kerala which includes assistance towards paddy procurement, social security pensions, implementation of 7th Pay Commission, Pay & Pension Revision for UGC-scale teachers and Mid-Day Meal Scheme. The Union Government, which is relentlessly borrowing from open market is imposing unreasonable restrictions on Kerala's open market borrowings by not permitting even 3 percent of its Gross State Domestic Product (GSDP). In addition to this, the Union Government is insisting on display of the logo of PMAY on houses constructed under LIFE Mission in Kerala, as a condition for release of Central grants to Kerala which not acceptable on two grounds. First, decent housing being a basic right, displaying the logo is against human rights principles and secondly, while the Center's assistance is a meagre Rs. 72,000 per dwelling, the State Government is spending the remaining amount out of Rs. 4,00,000. Hence the Union Government should immediately release the pending eligible dues of Rs. 57,400 crore.

13.02 hrs

JAMMU AND KASHMIR RESERVATION (AMENDMENT) BILL, 2023 AND JAMMU AND KASHMIR REORGANISATION (AMENDMENT) BILL, 2023*

माननीय सभापति : आइटम नंबर 18 व 19, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023

श्री जगदम्बिका पाल जी।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि कल मैंने जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पर बोलना शुरू ही किया था।

HON.CHAIRMAN: Kindly conclude in five minutes.

श्री जगदम्बिका पाल : अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये दोनों जो संशोधन विधेयक हैं, ये अधिकारों के विधेयक हैं, ये विधेयक लोगों में सहभागिता करने वाले विधेयक हैं। ये विधेयक जम्मू-कश्मीर के सभी लोगों के भारत सरकार की योजनाओं के गुड गवर्नेंस में, सरकार के शासन-प्रशासन में हिस्सेदारी के विधेयक हैं। यह स्वाभाविक है कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग-ए-आजादी की लड़ाई लड़ने वाले हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने सपना देखा होगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सपना देखा, जिसके नाते उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। उनकी उस शहादत के बाद आज यकीनन उनका सपना पूरा हो रहा है। जम्मू-कश्मीर के तमाम आदिवासियों, जिनको एसटी का आरक्षण नहीं था, पहली बार हमारे गृह मंत्री जी उन आदिवासियों को 9 प्रतिशत आरक्षण देने का काम करेंगे। एसटी का आरक्षण पहली बार हो रहा है। एससी में भी 6 प्रतिशत था, जिसे हमने 7 परसेंट किया है। आज उस गवर्नेंस की बात हो रही है। सुप्रिया

* Further discussion on Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 moved by Shri Amit Shah on 5.12.2023

जी यहां मौजूद हैं, लेकिन हमारे एनसीपी के लोग नहीं हैं। कल जिस तरीके से कहा जा रहा था कि हमारे एक गवर्नर साहब चले गए हैं और पॉपुलर सरकार नहीं है, तो यह स्कीम क्यों आ रही है? आप यकीन कीजिए कि गवर्नर साहब के जाने के बाद उन्होंने गवर्नेंस की प्रक्रिया शुरू की है। जम्मू-कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी जबसे बने हैं, तब से जिलों में प्रशासन की योजानाओं का इम्पैक्ट हो, क्रियान्वयन हो, वास्तविकता के धरातल पर डिलीवरी हो, इस हेतु उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का कार्यक्रम शुरू किया है। यह जानकर अपको आश्चर्य होगा और पूरे सदन के लिए संतोष का विषय होगा कि जम्मू-कश्मीर में मनोज सिन्हा जी ने जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स का काम शुरू किया, आज उसको नीति आयोग ने, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, भारत सरकार ने पूरे देश के 35 राज्यों को इस इंडेक्स का आधार मानकर इस गुड गवर्नेंस डिस्ट्रिक्ट को लागू करने का काम जम्मू-कश्मीर में किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो चुनी हुई सरकारें थीं, तो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता था, जिसके प्रति बहुत अकीदा था। हमारे समुदाय के लोगों का उसके प्रति बहुत विश्वास था। उस जुलूस को 'जुलजनाह जुलूस' कहते हैं। हमारे मसूदी साहब यहां नहीं हैं। 'जुलजनाह जुलूस' वर्षों से बंद पड़ा था। लोगों की अपनी जो धार्मिक मान्यताएं होती थीं, रिचुअल्स होते थे, वे भी सिक्योरिटी रीजन से नहीं हो पाते थे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के हालात सामान्य नहीं होते थे। उस नाते मुहर्रम का 'जुलजनाह जुलूस' निकलना बंद हो गया था। लोग अपने घरों में बैठकर अपनी तकदीर के लिए आंसू बहाते थे कि वे अपने रिचुअल को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मनोज सिन्हा जी के जाने के बाद पहली बार फिर से मुहर्रम का 'जुलजनाह जुलूस' निकला है। सालों बाद जब ये जुलूस निकला, तो इसका सभी ने स्वागत किया। मनोज साहब भी उसमें शामिल हुए। हमारे फारुख अब्दुल्ला साहब यहां नहीं हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उनके बेटे ने भी मनोज सिन्हा जी का स्वागत किया। यह एक बहुत बड़ा कदम है। आज नए कश्मीर की बात हो रही है। नए कश्मीर में फर्क यह आ गया है कि अब राज्याभिषेक नहीं हो रहा है।

पहले क्या होता था, अगर फारूख अब्दुल्ला साहब नहीं हैं तो उमर अबदुल्ला साहब हो गए। अगर मुफ्ती साहब नहीं हैं तो महबूबा मुफ्ती हो गईं। आज भाजपा एनडीए की सरकार आने के बाद इस राज्यभिषेक की प्रणाली को बंद कर दिया गया है। अब यह एक के बाद एक राज्याभिषेक डायनेस्टी नहीं

चलेगी अब यह हुआ है कि निश्चित तौर से जो जनता के विश्वास से चुनकर आएंगे, जो जनता के द्वारा चुने जाएंगे, लोकल बॉडीज में, गाँव के प्रधान, सरपंच, क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद् में चुने जाएंगे, वे जम्मू-कश्मीर की तकदीर और तस्वीर का फैसला करेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया है। कल आदरणीय जितेन्द्र सिंह जी ने कहा था कि 60-70 सालों के बाद जिस तरीके से वहां लोकल बॉडीज का चुनाव हुआ है, इतनी बड़ी तादाद में जो स्थानीय सरकारें बनी हैं, गाँव के विकास का फैसला गाँव की चौपाल में बैठकर, बीडीसी की बैठक में बैठकर ब्लॉक और जिले में हुआ है।

13.05 hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

कल बात उठाई गई कि साहब वहां सैफरन था, जिसका बहुत नाम था। आज न कोई सैफरन पर ध्यान दे रहा है और न वहां के एग्रीकल्चर पर कोई ध्यान दिया जा रहा है। एक टूरिज्म की बात भी कही जा रही है। मैं कहा रहा हूं कि सैफरन की भी बात कर लीजिए। यह रिकॉर्ड है कि आज हमारी सरकार में, मैं कहना चाहता हूं कि किस तरीके से एग्रीकल्चर पर, किसानों पर और जम्मू-कश्मीर की इकोनॉमी पर वहां एक रिवॉल्यूशन लाने की बात हो रही है।

जनाब सौगत राय साहब ने भी कहा था कि कुछ नहीं है। आज जो वहां का सैफरन है, पिछले दस सालों में उतनी पैदावार नहीं हुई थी। इस बार पिछले 10 सालों में सैफरन का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है।

मैं यहां के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पुलवामा के बारे में कहा जाता था कि वह आतंकवाद का गढ़ है तो आज पुलवामा पूरी दुनिया में केसर की बागान के रूप में बदल गया है। यह कहीं न कहीं इस केंद्र सरकार की नीतियों की देन है, क्योंकि वहां गुड गवर्नेंस हो रहा है। आज सरकार ने रिसेंटली किश्तवार में सैफरन को जीआई टैग भी कर दिया है। इसका मतलब है कि अब जीआई टैग के बाद यह सैफरन केवल अपने प्रदेश और देश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की मॉर्केट में बिकेगा। मैं सैफरन की कीमत बता देता हूं। केसर को अब सोने से भी ज्यादा लाल सोना कहा जा रहा है। केसर का दाम चाँदी से बहुत ज्यादा है। वहां जो किसान केसर का उत्पादन कर रहे हैं, आज एक किलो सैफरन 3 लाख 25

हजार रुपये में बिक रहा है। आज निश्चित तौर से जम्मू-कश्मीर का किसान, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आज उनकी इकोनॉमी देश के पाँचवें नम्बर पर है।

इरीगेशन की बात की गई कि इरीगेशन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो रहा है? आज वहां के किसानों के इरीगेशन के लिए और फ्लड मैनेजमेंट के लिए जिस तरीके से झेलम और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उसके लिए 1 हजार 620 करोड़ रुपये झेलम की एक कांप्रिहेंसिव मैनेजमेंट के लिए दिए गए हैं। जिस तरीके से रावी का इश्यू था, वह पिछले 19 सालों से रुका पड़ा था, उसका पंजाब के साथ समझौता होना था, रावी नदी के पानी का हिस्सा जम्मू-कश्मीर को नहीं मिल रहा था, जो एक शाहपुर डैम प्रोजेक्ट कहलाता था, आज इसी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने पंजाब की सरकार से समझौता करके शाहपुर डैम के प्रोजेक्ट से जम्मू-कश्मीर के हितों के लिए 1150 क्यूसेक वाटर लेने का काम किया है। यह निश्चित तौर से जम्मू-कश्मीर के लिए अपने आप में एक बड़ी बात है।

अब मैं तवी बैराज प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहता हूं। आज वह प्रोजेक्ट जम्मू के टूरिज्म के लिए, जिस तरीके से जम्मू में आज एक आर्टिफिशियल लेक बनाकर, जो आठ साल से यह प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, उस प्रोजेक्ट को आज जारी किया गया। इससे जम्मू का डेवलपमेंट बढ़ेगा।

पॉवर कट की भी बात की गई है। आप देखिए, जैसा मैं कल आखिरी बात कह रहा था कि पूरे जम्मू-कश्मीर में शाम होते ही कोई जुलूस या धरना होता था तो फटाफट सारे शटर्स गिरने लगते थे और दुकानें बंद हो जाती थीं। महीनों तक श्रीनगर की दुकानें नहीं खुलती थीं। कहीं कोई पॉवर की डिमांड नहीं थी। लोग घरों मैं कैद रहते थे। आज पिक डिमांड जो वर्ष 2019 में थी, उसके मुकाबले 18 परसेंट और बढ़ गई है। पॉवर सप्लाई 19 परसेंट इन्क्रीज हुई है।

वर्ष 2019 में जहां 1,700 मिलियन यूनिट्स की खपत थी, आज वर्ष 2022 में जम्मू-कश्मीर में 20,400 मिलियन यूनिट्स की खपत हो रही है। चाचा, यहां नहीं हैं। मैं फारूख चाचा से पूछता कि आप कह रहे हैं या लोग कह रहे थे, सुप्रिया जी अभी यहां नहीं हैं, वहां तो लोड शेडिंग हो रही है। मैं कह रहा हूं कि जब सरकारें चुनी गई थीं, तो उन चुनी हुई सरकारों में 10-10 सालों तक कोई पीपीए नहीं हुआ। जब पापर परचेज एग्रीमेंट नहीं होगा, कोई नया पावर स्टेशन नहीं आएगा, तो निश्चित तौर से बिजली का

उत्पादन नहीं होगा। आज उसी का परिणाम है, जब आज हालात सामान्य हुए हैं, तो आज डेवलेपमेंट हो रहा है, कंजप्शन बढ़ रहा है। जम्मू-कश्मीर में हर साल लगातार बिजली की डिमांड औसतन 8 प्रतिशत बढ़ रही है। हमने पिछले 20 वर्षों में ट्रांसमिशन में एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। 5,000 करोड़ रुपये डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन में खर्च किए हैं।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अपना भाषण संक्षिप्त कीजिए और समाप्त कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय**,** आज 2,500 मेगावाट के नए पीपीए हुए हैं। आज हमने 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। किसी सवाल के जवाब में भी आ चुका है कि Kishtwar is now being developed as North India’s major power hub. केवल जम्मू-कश्मीर का ही नहीं, बल्कि किश्तवाड़ नॉर्थ इंडिया का पावर हब होगा। जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ में 6,000 मेगावाट यूनिट्स का उत्पादन होगा, जो हमारे सवाल्कोट में है, दुली हस्ती में है, उरी में है, रैटल में हैं। 4,134 मेगावाट का उत्पादन आने वाले समय में होगा।

माननीय सभापति : आप डिटेल्स को छोड़िए और अपनी स्पीच कन्कलूड कीजिए।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर केवल अपनी बिजली की डिमांड पूरी नहीं करेगा, बल्कि नेशनल ग्रिड पर सप्लाई करने का काम करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि क्या आज़ादी के बाद ये उपलब्धि नहीं दिखाई पड़ रही है? अगर हम जम्मू से श्रीनगर जाते थे, तो बनिहाल में 24-24 घंटे जाम लग जाता था और हम खड़े रहते थे। यहां रेल मंत्री जी बैठे हैं। मैं अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि आज पूरी दुनिया के समक्ष हमारे देश का सपना था कि जम्मू-कश्मीर के कश्मीर में वर्ष 2024 तक लोग रेल के माध्यम से जाने लगेंगे, जबकि पहले लोग बनिहाल में 24-24 घंटे फंसे रहते थे। इसके लिए रेल की कनेक्टिविटी श्रीनगर तक बढ़ाई जा रही है। जम्मू-कश्मीर के हर गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री जी ने ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ में 2,080 करोड़ रुपये दिए हैं और इस दौरान ऑलरेडी 8,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं।

मैं पिछले दिनों श्रीनगर गया था। हमारे लद्दाख के साथी बोल रहे थे कि वहां के लोग कह रहे हैं कि हमें चुनाव नहीं चाहिए, यही चाहिए। मैं अपना अनुभव बताता हूं। मैं टैक्सी पर बैठा और एक दुकान

पर गया। मैंने उनसे बात की। मैंने कहा कि चुनाव नहीं हो रहा, तो क्या होगा? उन्होंने कहा कि साहब बहुत बेहतर है। मैंने कहा कि क्या बेहतर है? उन्होंने कहा कि साहब बहुत रौनक है। मैंने कहा कि रौनक का क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि साहब शाम के बाद श्रीनगर अंधेरे में हो जाता था, लेकिन आज रात को 10-10 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, बिक्री हो रही है, टूरिस्ट्स आ रहे हैं।…(व्यवधान) 59 प्रतिशत टूरिज्म बढ़ा है। आज वहां पर बुकिंग होती है।…(व्यवधान)

माननीय सभापति : एक-एक मिनट करके आपको दो बार एक्सटेंशन दिया गया है।

श्री जगदम्बिका पाल : महोदय, मैं यूथ की बात करके अपनी स्पीच समाप्त करूंगा। आज वहां पर यूथ के लिए 'मुमकिन' और 'तेजस्विनी' नामक दो स्कीम्स शुरू की गई हैं, जिसमें 18,000 और 13,900 वैकेन्सीज़ के लिए सेलेक्शंस हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ के लिए एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम शुरू की गई है। फ्लैगशिप योजना है, जिसमें इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशंस से 54,000 करोड़ रुपये आए हैं। लोग कह रहे थे कि कहां आ रहा है। 1,984 करोड़ रुपये के अटके हुए प्रोजेक्ट्स निकाले गए हैं। जहां जम्मू-कश्मीर में इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, आज वहां पर इंडस्ट्री लग रही है। हाउसबोट की पॉलिसी आई है। सरकार पहली बार शिकारा के लिए वर्ल्ड क्लॉस टिप का पैसा दे रही है।…(व्यवधान)

SHRI NAMA NAGESWARA RAO (KHAMMAM): Thank you, Chairman Sir, for giving me this opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill as well as the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill.

चेयरमैन साहब, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) और पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक में जो अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, उसके मेन अमेंडमेंट्स में दो सीट्स कश्मीरी पंडितों के लिए है। एक सीट पीओके के लिए है। उसी के साथ ही साथ असेंबली की सीट्स 107 से बढ़ाकर 114 की गई हैं। इसमें एक और बात है कि 24 seats are set aside for the area that falls under PoK.

मगर वे 24 सीट्स 114 के अंदर हैं या 114 प्लस 24 सीट्स हैं, उसके बारे में ऑनरेबल मिनिस्टर जवाब देते समय क्लेरिफाई कर दें। इसी के साथ हम इस बिल को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग जेएडंके के एससी/एसटी रिज़र्वेशन के बिल और रीऑर्गेनाइजेशन के अमेंडमेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जब यह बिल हाउस में इंट्रोड्यूस हुआ था और बाद में पास हुआ था तो उस समय ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने दो बातें बताईं थीं। एक बात यह बताई थी कि जल्दी से जल्दी जेएंडके में असेंबली कॉन्स्टीट्यूट होगी ओर असेंबली के इलेक्शन होंगे, लेकिन अब बहुत डिले कर दिया है। इसके बाद कम से कम उसके इलेक्शन कराएं। उसके साथ एक बात और बताई थी कि अनुच्छेद 370 को रद्द करके जेएंडके का डेवलपमेंट करने के लिए इस बिल को लेकर आए हैं। इस बीच में हम भी जेएंडके में दो-तीन कमेटीज़ की मीटिंग्स में गए थे। वहां पर एलजी मनोज सिन्हा साहब ने वहां का डेवलपमेंट दिखाया। जेएंडके पार्ट ऑफ इण्डिया है तो उसका हम लोग डेवलपमेंट चाहते हैं।

ऑनरेबल चेयरमैन, इसके साथ-साथ एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसी हाउस में वर्ष 2014 में एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल पास हुआ था। अब दस साल हो रहे हैं। उस एक्ट के अंदर जिस तरीके से तेलंगाना की सीटों को 119 से 153 इंक्रीज करने की बात थी, उसी तरह से आन्ध्र प्रदेश असेम्बली की सीट्स 175 से 225 इंक्रीज करनी थीं, वह नहीं की गई हैं। हम चाहते हैं कि तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को भी इम्प्लीमेंट करें। अभी एससी/एसटी रिज़र्वेशन के अमेंडमेंट

की जो बात आई है, हम लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से तेलंगाना में भी एससी/एसटी के रिज़र्वेशन के लिए हम लोगों ने डिमाण्ड की थी। मेनली, हम लोगों ने तेलंगाना में बैकवर्ड क्लासेज, शेड्यूल कास्ट्स, शेड्यूल ट्राइब्स का सीट्स ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का बिल 2017 में पास करके इधर भेजा था। उसके लिए हमने हाउस में कई बार बात की है, लेकिन अभी तक वह बिल पेंडिंग है। एससी/एसटी का एजुकेशन रिज़र्वेशन बिल तेलंगाना का है, आप उसको भी तुरंत लेकर आएं।

सर, रीसेंट्ली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर तेलंगाना आए थे। तेलंगाना आने पर एससी कैटेगरी के रिज़र्वेशन के लिए वह प्रॉमिस करके आए हैं। हम लोग उधर एक कमेटी बना रहे हैं तो आप तुरंत उसके बारे में देखिएगा। एससी कैटेगरी के लिए हमारी तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेम्बली ने 29 नवंबर, 2014 में एससी रिज़र्वेशन कैटेगराइजेशन के लिए शेड्यूल कास्ट्स का रेज्योल्यूशन पास करके भेजा है। वह वर्ष 2014 से अभी तक पेंडिंग है। आप उसके बारे में इमिडिएटली देखिएगा। कल से एससी/एसटी और माइनोरिटीज़ के रिज़र्वेशन की बात हो रही है। देश में हर एक स्टेट्स से अलग-अलग कैटेगरीज़ के लिए जो रिकमेंडेशंस आई हैं, तो इस तरह से पूरे देश के बारे में सोचना चाहिए। देश में जनगणना करके जन-गण के साथ-साथ एससी/एसटी का रिज़र्वेशन करना चाहिए।

सर, हम लोगों की बहुत दिन से वड्डेरा के लिए डिमांड थी। वड्डेरा को एसटी में नहीं, तो कम से कम एससी में डालने की डिमांड थी। अन्य राज्यों और कनार्टक ने वड्डेरा को एससी/एसटी में डाला है, लेकिन हमारे तेलंगाना में नहीं है। हम इस बिल को सपोर्ट करते हुए यही कहना चाहते हैं कि पूरे देश की जनगणना करके जन-गण के साथ-साथ सब लोगों के लिए रिज़र्वेशन देने के लिए आपके माध्यम से सरकार को डिमांड कर रहे हैं। हम इस जेएंडके बिल को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। आज 6 दिसंबर है। इस संविधान को जिन्होंने दिया, उन बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है। दूसरा 6 दिसंबर का दिन है, जब इस देश के आम नागरिकों ने बाबर की निशानी को मिटाया था। इसलिए यह आज 6 दिसंबर का दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस बिल को माननीय गृह मंत्री जी लेकर आए हैं, हम उनके समर्थन के लिए खड़े हुए हैं।

कहा जाता है कि दाग बहुत छोटे हैं, लेकिन जख्म बहुत गहरे हैं। दो छोटे बिल दिखाई दे रहे हैं, एक ओबीसी को इनक्लूड करना है और दूसरा विस्थापितों को। पता नहीं कहां से इन लोगों ने कश्मीरी पंडित सीख लिया है, मैंने पूरे बिल को देख लिया है और उस बिल में साफ लिखा है कि कश्मीरी पंडित, सिख, ईसाई, मुस्लिम या जो भी डिसप्लेस हुए, उनके लिए हम ये रिजर्वेशन लेकर आए हैं। दो यहां के लिए और एक पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए लाए हैं। हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता होने के नाते एक नारा हमेशा लगाते रहते थे कि 'कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती। खून से तिलक करो, गोलियों से आरती।' और यह कंसिस्टेंट है। इसलिए कंसिस्टेंट है, और मैं यह बातें इसलिए कह रहा हूं कि वर्ष 1952 में जब यह आंदोलन हमारे तत्कालीन जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने चलाया, तो लोगों ने अपना इतिहास-भूगोल सब छोड़ दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आम कार्यकर्ता ने कभी इस मुद्दे को नहीं छोड़ा कि धारा 370 को खत्म करना है, 35ए खत्म करना है और जम्मू-कश्मीर जो हमारा इंटिग्रल पार्ट है, उसमें भारत का संविधान चलाना है। कल माननीय गृह मंत्री जी ने जो बातें कहीं, वे केवल यह नहीं है कि दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। यह केवल बीजेपी का नारा नहीं लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं पेपर लेकर आया हूं। एक प्रधानमंत्री वह हैं जो कि आतंकवादी के साथ, यासिन मलिक के साथ, अपना फोटो खिंचवाते हैं और खुश हो जाते हैं। एक प्रधानमंत्री वह हैं जो दिवाली में सैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए जाते हैं। उस प्रधानमंत्री का कंसिस्टेंसी देखिए, यह फोटो है, वर्ष 1952 में श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस आंदोलन को चलाया, उसको पूरे संघ परिवार ने और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया और आज के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने दिसम्बर, 1991 से जिस यात्रा को चालू किया और 26 जनवरी, 1992 को

उन्होंने श्रीनगर के लाल चौक पर झंडा फहराया। मुझे यह इसलिए पता है कि जब वह एकता यात्रा चली और डॉ. जोशी के नेतृत्व में कश्मीर पहुंचनी थी। उस समय उसके कंवीनर माननीय प्रधानमंत्री जी थे। जब वे कश्मीर पहुंचे, आज कश्मीर लोग यात्रा लेकर जाते हैं, कांग्रेस के बड़े लीडर यात्रा लेकर जाते हैं और उनको आतंकवादी भी दर्शन दे देते हैं, लेकिन उस सिचुएशन को क्रिएट करने में लाल चौक पर भारत का झंडा फहरे, इसके लिए क्या कुर्बानी भारत ने दी, ये उनको अंदाजा नहीं है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी वहां कंवीनर के तौर पर पहुंचे तो वह अड़ गए, क्योंकि भारत सरकार ने मना कर दिया था कि हम किसी भी कीमत पर भारत का झंडा लाल चौक पर नहीं फहरा सकते हैं, क्योंकि खून खराबा हो जाएगा। भारत का झंडा नहीं फहर सकता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं सामने से गोली खाऊंगा, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर जाऊंगा। आज भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी गोविंदाचार्य जी नहीं हैं। वह पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैडक्वार्टर थे। उनके साथ भारत सरकार का नेगोसिएशन हुआ। उस वक्त माननीय नरसिम्हा राव जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। मैं इस केस को इसलिए जानता हूं कि उस समय के सीआरपीएफ के तत्कालीन आईजी, कश्मीर डिवीजन के श्री एन.के. तिवारी मेरे अपने मामा थे। लोधी रोड के उनके घर में, बी-45 उनके मकान का नंबर था, हमने वहां नेगोसिएशन किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी अड़े हुए थे कि मुझे हर हालत में करना है और आज धारा 370 और 35ए हटाकर इस सरकार ने कितना बड़ा काम इस देश के लिए किया है और हमारा जो मुद्दा वर्ष 1952 से रहा, उसको किस तरह से पूरा किया है, यह इसकी सबसे बड़ी निशानी है।

सर, कल बहुत बातें धारा 370 के बारे में हुईं। जितने वक्ताओं ने इस बारे में कहा, मैं उनको कह देना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में केस जरूर चल रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पास किए हुए धारा 370 और 35ए को स्टे नहीं किया है। जब स्टे नहीं किया है तो जहां भी सुनवाई चल रही है, उसका क्या मतलब है। उन्होंने गलत बयानी की कि जो प्रेज़ीडेंशियल प्रोक्लेमेशन हुआ, उसमें जानबूझकर हमने अनुच्छेद 3ए का हनन किया है। वर्ष 2018 में कहा कि लेजिस्लेटिव असेम्बली की पावर पार्लियामेंट को चली जाएगी। वर्ष 1976 में तमिलनाडु में करूणानिधि जी की सरकार को करप्शन के आधार पर इंदिरा जी ने हटाया था, उसी का प्रोक्लमेशन मैं लेकर आया हूं।

यह सेम चीज कह रहा है। जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो असेंबली के जो अधिकार होते हैं, वे राष्ट्रपति को निहित हो जाते हैं। दूसरा, मैं सन् 1956 का स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन बिल का पेपर लेकर आया हूँ। जब भारत सरकार ने तय किया कि हम राज्यों का बँटवारा अलग-अलग ढंग से करेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने यह तय कर दिया था कि किसी भी राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। यदि लेजिस्लेटिव असेंबली यह तय भी कर दे कि हमारे राज्य का बँटवारा नहीं होगा, उसके बावजूद भी यह पार्लियामेंट सक्षम है और इसी के आधार पर आपको ध्यान होगा कि तेलंगाना, जहां के रेवन्त रेड्डी अभी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, तेलंगाना की असेंबली ने कहा कि हम पास नहीं कर सकते हैं, उसके बावजूद भी खून-खराबा हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि यह गलत बयानी पूरी तरह से गलत है।

दूसरा, मैं कश्मीर के बारे में कहना चाहता हूँ कि आखिर यह रिजर्वेशन की परम्परा कहां से स्टार्ट हुई? 13 जुलाई को कश्मीर बलिदान दिवस मनाता है। 13 जुलाई का दिन क्यों मनाया जाता है? मैं कुछ चीजों पर आना चाहता हूँ और एक्सेशन क्यों हुआ तथा हरिसिंह हमारे साथ क्यों नहीं आना चाहते थे, उस पर दो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, जिसे पूरे देश को जानने का सवाल है। पहला, 13 जुलाई को कश्मीर बलिदान दिवस क्यों मनाता है और हरिसिंह हिंदू राजा होने के बाद भी हमारे साथ आने को क्यों तैयार नहीं थे?

13 जुलाई, 1931 को राजा के खिलाफ जो एजिटेशन था, वह बेसिकली कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हो गया। कश्मीरी पंडितों में से कम से कम 100 कश्मीरी पंडितों की 13 जुलाई, 1931 को हत्या हुई थी। उन कश्मीरी पंडितों की हत्या को बचाने के लिए गोलियां चली थीं। 13 जुलाई को ये सारी पार्टिया, चाहे नेशनल कांफ्रेंस हो, मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सब लगातार 13 जुलाई को बलिदान दिवस मनाती हैं, लेकिन एक बार भी कश्मीरी पंडितों के बारे में नहीं कहती हैं। ये मुस्लिम कांफ्रेंस हुआ और यह नेशनल कांफ्रेंस हो गया। पूरे देशभर में सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, लेकिन कश्मीर ही एक ऐसी जगह थी, जहां सन् 1946 में राजा हटाओ का नारा चल रहा था। राजा हटाओ के नारे में जिन्ना बहुत तेज थे। उन्हें पता था कि कल भारत का बँटवारा होने

वाला है और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन राजा साइन करने वाले हैं। नेहरू जी का ब्लंडर क्या है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। हरिसिंह के खिलाफ जो शेख अब्दुल्ला का आंदोलन था, उस आंदोलन को नेहरू जी ने सपोर्ट कर दिया और जिन्ना ने राजा का साथ दे दिया। अब राजा डबल माइंड में हो गए कि मेरा साथ तो जिन्ना दे रहे हैं और मेरा विरोध नेहरू कर रहे हैं तो मुझे भारत के साथ रहना है या नहीं रहना है, पाकिस्तान के साथ मुझे नहीं जाना है और इसीलिए उनका डबल माइंड होने के कारण इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाद में साइन हुआ।

धारा 370 की जो वकालत करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के बाद सन् 1949 में मणिपुर ने भारत के संविधान में अपना मर्जर किया। सन् 1971 में सिक्किम ने हमारे साथ मर्जर किया तो क्या हम मणिपुर को एक स्पेशल स्टेटस धारा 370 की तरह दे दें कि तुम दो विधान चलाओ, प्रधान मंत्री बनाओ, राष्ट्रपति बनाओ। मैं यह कह रहा हूँ कि यह जो लॉजिक है, यह लॉजिक इतना घटिया और गलत है कि यह देश को गुमराह कर रहा है।

तीसरा, कल उन्होंने कोट किया कि सेना ने कहा था। मैं कुछ डेट्स लेकर आया हूँ। सर, मैं यह आर्मी का आर्काइव लेकर आया हूँ। यह डेट है कि हम 14 नवम्बर, 1947 को उरी सेक्टर से मुजफ्फराबाद जाने वाले थे, किसने रोका? दिनांक 22 मई, 1948 को हमने तिथवाल को जीत लिया था और हम मुजफ्फराबाद में घुसने वाले थे, किसने रोक दिया? हम लद्दाख और पुंछ के सेक्टर से दिसम्बर, 1948 में जाने वाले थे, आर्मी पूरे ऑक्यूपाइड कश्मीर को लाना चाहती थी, लेकिन किसने रोक दिया? इन्होंने रोक दिया। इन्होंने सीजफायर किया और मैं पेपर लेकर आया हूँ कि ये माउंटबेटन के साथ प्लेबिसाइट करने के लिए यू.एन. में गए थे। मैं अगस्त, 1947 का पाकिस्तान सरकार का जो प्रेस रिलीज है, वह लेकर आया हूँ। माउंटबेटन की किताब 'दी ग्रेट डिवाइड' में लिखा है कि जिन्ना प्लेबिसाइट के विरोध में थे। वे यू.एन. जाने के विरोध में थे। वे यह कह रहे थे कि यदि जनमत संग्रह होगा तो भारत का पूरा आवाम शेख अब्दुल्ला के साथ भारत के साथ जाएगा।

इसलिए किसी कीमत पर प्लेबिसाइट नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी नेहरू जी वहां गए और नेहरू जी ने इस तरह की सिचुएशन पैदा की कि आज हम तबाह हो रहे हैं। मैं सीआईए की रिपोर्ट

और चाउ एन लाई एवं नेहरू जी के बीच जो पत्राचार हुआ, वह लेकर आया हूं। जब एक बार ब्रिटिश सरकार ने यह तय कर दिया कि तिब्बत, भूटान और नेपाल बफर स्टेट्स रहेंगे। एक अलग देश बन कर रहेगा। रसिया, ब्रिटेन और भारत सरकार के साथ यह एग्रीमेंट साइन हुआ। जब चाउ एन लाई बार-बार यह कह रहे हैं कि तिब्बत चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, तो किस आधार पर आपने तिब्बत को एक देश के रूप में मान्यता दे दी? आज पूरा का पूरा कश्मीर और पूरा देश इन चीजों से तबाह है। हम चाइना से लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं और यह कह रहे कि नेहरू ने कोई बलंडर नहीं किया। मेरे पास कई चीजें हैं। मुझे पता है कि समय की कमी है। कश्मीरी पंडितों के बारे में बात हो रही है। मैं दो-तीन मिनट में अपनी बातें समाप्त कर दूंगा।

सभापति महोदय, मैं वर्ष 1950 का लैंड रिकॉर्ड लेकर आया हूं। कश्मीरी पंडित श्रीमान विद्यावली जी के पास 70 हजार हेक्टेयर जमीन थी, रामदास जी के पास 20 हजार हेक्टेयर जमीन थी, तेजराम जी के पास पांच हजार हेक्टेयर जमीन थी, किशन सिंह जी के पास छ: हजार हेक्टेयर जमीन थी, दिवान धनपत राय के पास आठ हजार हेक्टेयर जमीन थी। कश्मीर में जिन हिन्दुओं या कश्मीरी पंडितों के पास जमीन का पूरा अधिकार था, आज आपने उनको विस्थापित कर दिया। आप उनके बारे में कह रहे हैं कि आप उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। कश्मीरी पंडित माइग्रेट हो गए। आप उनके बारे में सोचने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारा एक सैनिक मरता है, तो भारत सर्जिकल स्ट्राइक करती है। वैसे सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में पूछते हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि वर्ष 1965 के वार में, यहां के सभी माननीय सांसदों ने देखा होगा कि कई पथों में एक बलवंतराय मेहता पथ है। मैं सोचने लगा कि बलवंतराय के नाम पर यह पथ क्यों है? बलवंतराय मेहता गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1962 के भारत-पाक युद्ध में बलवंतराय मेहता के हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज को पाकिस्तान ने उड़ा दिया। जब कांग्रेस के प्रधान मंत्री जी ताशकंद में समझौता करने के लिए गए, तो अपने माननीय मुख्यमंत्री की हत्या का भी बदला लेने के लिए भी इनके पास कोई शब्द नहीं था। यही कांग्रेस पार्टी है? ये कांग्रेस की बात कर रहे हैं। जिसको अपने माननीय मुख्यमंत्री की परवाह नहीं है। बलवंतराय मेहता के नाम पर एक स्टैचू नहीं है। बलवंतराय मेहता के नाम एक स्कॉलरशिप नहीं है। बलवंतराय मेहता को इस देश के इतिहास ने

भूला दिया, जो वर्ष 1965 में मुख्यमंत्री रहते हुए मारे गए। आप कहते हैं कि अनुच्छेद 370 और 35ए कैसे खत्म हो गया?

आज रिजर्वेशन की बात होती है। एससी और एसटी को रिजर्वेशन नहीं है। सर, यह माहौल कैसे पैदा हुआ? जब वर्ष 1943 से वर्ष 1953 तक शेख अब्दुल्ला से इनका नहीं पटा, तो कांग्रेस ने तीन मुख्यमंत्री बनाए - बख्शी गुलाम मोहम्मद, जीएम सादिक और मीर कासिम। उन्होंने क्या किया? वर्ष 1956 में कश्मीर ऐसा पहला राज्य था, जहां 70 प्रतिशत रिजर्वेशन केवल मुस्लिम को दिया गया, चाहे वे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों या सरकारी नौकरी हो, क्योंकि दो संविधान थे। भारत का संविधान वहां लागू नहीं था। जब आप सारे मुस्लिम को रिजर्वेशन देंगे, तो आप माइग्रेशन की स्थिति पैदा करेंगे या नहीं करेंगे? अनुच्छेद 370 और 35ए खत्म होने के बाद भारत का संविधान वहां लागू हुआ या नहीं हुआ? आपके माननीय प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इसके बदले इन्होंने क्या किया? वर्ष 2010 में इन्होंने टास्क फोर्स बना दिया और टास्क फोर्स बनाया कि आप उसकी ऑटोनॉमी की बात करिए।

मैं भारतीय जनता पार्टी का स्टेटमेंट लेकर आया हूं। एल. के आडवाणी जी, सुषमा स्वराज जी, अरूण जेटली जी और एस.एस. अहलुवालिया जी, उन्होंने कहा कि एक टास्क फोर्स बना कर तुम हुर्रियत कॉंफ्रेंस जैसे उग्रवादी तत्वों, गिलानी जैसे तत्वों को आगे बढ़ा रहे हो। इन्होंने कश्मीर के साथ केवल राजनीति की। इन्होंने इतनी राजनीति की कि जिस फारुख अब्दुल्ला के साथ आज रह रहे हैं, वे फारुख अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी की कैसे मदद कर रहे हैं? वे कहते हैं कि वाशिंग पॉडर में पार्टियां धूल जाती हैं। शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद फारुख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उसके घर को तोड़ दिया। गुल साहब को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया और पूरे कश्मीर में अनार्की ला दी। वर्ष 1987 में मफ को, इलेक्शन में रिगिंग कर दी और वर्ष 1989 में सारे कश्मीरी पंडितों को भगा दिया।

ये कहते हैं कि आप शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लिए क्या करते हैं? हम केवल प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति का आर्टिफिशियल चेहरा नहीं दिखाते हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि आज इस देश के जो चीफ इनफॉर्मेशन कमिश्नर (सीआईसी) सामरिया हैं, वह शेड्यूल्ड कास्ट से हैं।

जो सीएजी जीसी मुर्मू हैं, वह शेड्यूल्ड ट्राइब्स से हैं। हमने कोई राजनीति के लिए नहीं कहा। हम शेड्यूल्ड कास्ट और शेडयूल्ड ट्राइब्स को उनका सम्मान देना चाहते हैं। मैं राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री की बात नहीं करता हूं। ये जो झूठी बातें कहते हैं कि लम्बा-लम्बा कहने लगे, जातिगत रिजर्वेशन होना चाहिए। हम मुख्य मंत्री बनाते हैं। आज तो भूपेश बघेल जी हट गए, अशोक गहलोत जी हट गए। अब आपके पास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैं, क्या वह बैकवर्ड हैं? आपके पास चीफ मिनिस्टर सुक्खू हैं, क्या वह बैकवर्ड हैं? आपके नाना ने वर्ष 1961 में कहा कि किसी कीमत पर ओबीसी का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। जब मंडल कमीशन लागू हुआ, तो इसी हाउस में राजीव गांधी ने उसका विरोध किया। इनका ओबीसी का एकमात्र अध्यक्ष सीताराम केसरी हुए, जिसकी ... * इन्होंने बाहर कर दिया। इसलिए यह बैकवर्ड की बात गलत है, रिजर्वेशन की बात गलत है। ये जो बिल लेकर आए हैं, हम माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में इन बिलों का समर्थन करते हैं और सदन से आग्रह करते हैं कि इनको निर्विरोध पास किया जाए। जय हिंद, जय भारत।

* Expunged as ordered by the Chair.

माननीय सभापति : श्री विनायक भाउराव राऊत।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण): सर, मेरा सम्मानित सदस्य दुबे जी के भाषण पर एक ही… (व्यवधान) सर, एक मिनट सुनिये तो सही। वह आपके लिए भी अच्छा है। ... * बाहर निकाला, ये शब्द अच्छे नहीं लगे।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अरविंद साहब, नहीं नहीं, आप बैठिये।

… (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : अगर असंवैधानिक है तो उन शब्दों को निकालिये। … (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: No, Arvind sahab.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : विनायक राऊत जी, आपके सहयोगी हैं। उनको बोलने दीजिए। उनको नोट बनाकर दे दीजिए।

… (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : मेरी बात का जवाब तो दे दीजिए।… (व्यवधान) आप चेयर पर हैं। मैंने जो सवाल उठाया है, उसका जवाब दे दीजिए।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सावंत साहब, विनायक राऊत जी जवाब देंगे।

… (व्यवधान)

श्री अरविंद सावंत : ... * शब्द चले गए, फिर हम भी बोलेंगे।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : विनायक राऊत जी जवाब देंगे। आपकी कोई भी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

… (व्यवधान) …**

माननीय सभापति : विनायक राऊत जी, आप बोलिये।

… (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

** Not recorded.

HON. CHAIRPERSON: Only the speech of Raut sahab will go on record. Whatever you want to speak, please tell Raut Sahab. He will deliberate on that.

… (*Interruptions*)

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदय, मैं आदरणीय लोक सभा अध्यक्ष जी और आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने इस विषय पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए मौका दिया। खासकर जम्मू-कश्मीर के बारे में जब-जब सरकार के माध्यम से जो-जो कानून बनाए गए, चाहे वह अनुच्छेद 370 हटाने का कानून हो, एनआरसी का कानून हो, हमारे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे जी के आदेश से हमने हर बार केन्द्र सरकार को इस विषय के ऊपर समर्थन दिया है और इन दोनों बिलों के माध्यम से भी केन्द्र सरकार कश्मीरी लोगों के हित के लिए जो काम करना चाहती है, मैं अपनी पार्टी की तरफ से इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

जम्मू-कश्मीर अखंड भारत का एक पार्ट है। इसलिए इस देश में दो काननू नहीं होने चाहिए, दो संविधान नहीं होने चाहिए। सबसे पहले यह मांग और विचार हिन्दू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे जी ने कई वर्ष पहले रखे थे। सौभाग्य से आज प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी साहब के नेतृत्व में यह सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों को न्याय देने के लिए जो व्यवस्था कर रही है, वह अच्छी बात है। लेकिन जब ऐसी व्यवस्था करेंगे तो स्पष्ट रूप से यहां कुछ प्रश्नों का स्पष्टीकरण होने की आवश्यकता है। एक माइग्रेंट और दूसरा पीओके, इन दो पार्ट्स में बसे हुए लोगों को जम्मू कश्मीर की विधान सभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए जो बिल लाए हैं, उसका स्वागत है। वह तो होना ही चाहिए। लेकिन कई प्रश्न यहां निर्माण हो रहे हैं। उनका उत्तर अपने रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी को देने की आवश्यकता है। चाहे माइग्रेंट हो या पीओके के अंदर रहने वाले लोग हों, उनको प्रतिनिधित्व देने की जो बात हो रही है, उनको असलियत में फायदा कब मिलेगा? सभी सदस्यों ने जैसे कहा है कि अभी वहां चुनाव हुआ नहीं है, होने की सम्भावना है या नहीं, उसके बारे में भी पता नहीं है। अगर वहां के लोगों को सही तरीके से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, तो जल्दी से जल्दी जम्मू-कश्मीर में विधान सभा के चुनाव की भी घोषणा, आज के रिप्लाई में माननीय गृह मंत्री जी करेंगे, ऐसा मैं भरोसा व विश्वास रखता हूं।

मुझे ऐसा विश्वास है, जैसा कि गया कि 41,844 फैमिलीज वहाँ से माइग्रेट हो चुके हैं। जो युद्ध हुए, चाहे वह 1965 का युद्ध हो या 1971 का युद्ध हो, ऐसे युद्ध के काल में 41,844 फैमिलीज जब माइग्रेट हुए, तो वे लोग अपनी सारी सम्पत्तियाँ, सारी जायदाद को छोड़कर दूसरे स्थानों पर अपनी जान बचाने के लिए गए। उनको जहाँ भी जगह मिली, वे वहाँ रहे और आज भी रह रहे हैं। मुम्बई में भी कई ऐसी कई बस्तियाँ हैं। मेरा प्रश्न यह है कि लगभग 42 हजार फैमिलीज की जो सम्पत्तियाँ थीं, उनकी जो प्रॉपर्टीज थीं, जिसे उन लोगों ने छोड़ दिया था, वैसी प्रॉपर्टीज को खोज करके, उन लोगों को एक बार फिर से वहाँ पर बसाने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का पुनर्वसन जम्मू-कश्मीर में किया जाएगा, ऐसा एलान पंत प्रधान आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने किया था। मेरी जानकारी के लिए या पूरे देशवासियों की जानकारी के लिए यह स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि चाहे कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी माइग्रेंट हो या जो लोग भी वहाँ से डर के कारण चले गए हों, उनको एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर में उनकी सम्पत्ति या जायदाद पर उनका पुनर्वास कब करेंगे? उनके पुनर्वास की व्यवस्था हो रही है या नहीं हो रही है? ऐसे लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं, उनका कब्जा किसके पास है, इसकी जानकारी भी देने की आवश्यकता है।

दूसरी बात कश्मीरी लोगों के लिए रिज़र्वेशन बिल की है। यह बहुत अच्छी बात है। सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज के लिए जो रिज़र्वेशन देने का एलान इस बिल के माध्यम से हो रहा है, वह अभिनन्दनीय है। मैं इसका अभिनन्दन करता हूँ।

मेरी दूसरी मांग है कि आज इस देश में कई ऐसे समाज हैं, जो आज भी आरक्षण के लिए तड़प रहे हैं, खास करके महाराष्ट्र में। महोदय, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र में मराठा समाज करोड़ों की संख्या में हैं, धनगर समाज भी लाखों की संख्या में हैं। एक महादेव कोली समाज है यानी फिशरमेन में भी एक कम्युनिटी है, जिसे महादेव कोली कहते हैं। ऐसे कई समाज हैं, जिनको आज भी आरक्षण नहीं मिला है। वहाँ के मराठा समाज, धनगर समाज, महादेव कोली समाज के लोग आरक्षण के लिए लोकशाही के मार्ग से आन्दोलन करते आ रहे हैं। मराठा समाज का आन्दोलन वर्ष 1980 से अभी तक चालू है। लाखों की संख्या में लोग लोकशाही के मार्ग से प्रदर्शन कर रहे हैं, आज तक शांति से

उनका प्रदर्शन होता आ रहा है, इस तरह से इस देश में प्रदर्शन कभी हुआ नहीं था। उसमें दखलंदाजी नहीं हो रही है, वह नज़रअंदाज नहीं हो रहा है। करोड़ों की संख्या में जो ऐसे समाज के लोग हैं, जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, जिस तरह से जम्मू-कश्मीर के सोशियली और एजुकेशनली बैकवर्ड कैटेगरी को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया, वैसे ही महाराष्ट्र के मराठा, धनगर और महादेव कोली समाज के लोगों की मांग है, जो उनका हक है, वह उनको मिलना चाहिए।

दुर्भाग्य से यह हुआ कि राज्य सरकार ने कई बार इसके लिए प्रयास किया, लेकिन यह उसके वश की बात है, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

इस देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से विनती है कि महाराष्ट्र के मराठा, धनगर, महादेव कोली समाज और देश के कई हिस्सों में जो अन्य ऐसे समाज हैं, उनको न्याय देने के लिए आप सहृदय आगे आइए और उनको न्याय देने के लिए आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए संसद में बिल पारित करने की आवश्यकता है ताकि वहाँ के लोगों को न्याय मिले। आप उनको न्याय देने का काम करेंगे, ऐसा मुझे भरोसा है।

जम्मू-कश्मीर के बारे में मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर माननीय रेल मंत्री जी बैठे हैं।

भारतीय रेल के माध्यम से श्रीनगर और कटरा के बीच रेल लाइन का निर्माण करने का काम हो रहा है। कई पहाड़ों को खोदकर उनमें टनल तैयार करने का काम हो रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार, जिसे आश्चर्यजनक कहा जाएगा, यह है कि चेनाब रिवर के ऊपर सबसे बड़ा ब्रिज बनाया जा रहा है। यह काम हमारे कोंकण रेलवे के माध्यम से हो रहा है। जब हम वहां गए, तो वहां के लोगों ने हमसे कहा। मैं उनके भरोसे के कारण बताना चाहता हूं। उन्होंने हमसे कहा कि जम्मू और कश्मीर, खासकर कश्मीर के लोग विकास के विरोध में नहीं है। जहां-जहां विकास होता है, वहां-वहां वे उसका समर्थन करते हैं। जब कोंकण रेलवे का निर्माण हो रहा था, तब ही कोंकण रेलवे ने कई पहाड़ों में टनल बनाकर कई गांवों को नजदीक लाने का काम किया। सैंकड़ों वर्ष के बाद जब वे गांव वाले इकट्ठा हो गए, तब उन्होंने कहा कि हमारे लिए ऐसा विकास आवश्यक है, ऐसे विकास का हम समर्थन करेंगे।

आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर) : सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर नंबर - 372 है। आदरणीय डॉ. निशिकांत दुबे जी ने अपने भाषण में एक व्यक्ति के बारे में कहा कि ... * और तब वे हटा दिए गए'। यह शब्द एक्सपंज होना चाहिए। ... (व्यवधान) उन्होंने अभी अपने भाषण में कहा। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसा कुछ नहीं कहा है। मैं देख लूंगा।

... (व्यवधान)

श्री रितेश पाण्डेय : सर, यदि बोला गया है, तो उसको हटा दिया जाए। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। आप प्लीज बैठ जाइए। यदि कुछ होगा, तो हम उसको देख लेंगे।

... (व्यवधान)

---

* Expunged as ordered by the Chair.

*SHRI K. NAVASKANI (RAMANATHAPURAM): Hon. Chairman Sir, Vanakkam, Thank you for this opportunity for allowing me to take part in the discussion on the Jammu and Kashmir Amendment Bill. The State of Jammu and Kashmir has been destroyed due to BJP Government's craving for power. This Union Government is handling the issues relating to Kashmir in a way that is against the Representation of People Act 1952 and the Constitution of India. As the Jammu and Kashmir Reorganisation Act is already pending with the Constitutional Bench of the Hon Supreme Court, it is improper to discuss on such a Bill in this august House. There is no elected Government in that Territory. Elections are not held and the voice of the people is not heard through their mandate in forming a Government of their choice and an Assembly for that purpose. It will be apt only when such motions should be first passed in the Legislative Assemblies of the two Union territories. Only then it should be brought to Parliament. While enacting the law for the bifurcation of Jammu and Kashmir State into two Union territories, Hon Union Minister of Home Affairs assured that elections will be held there very soon. But Elections were not held till now. When you say peace is prevailing in that State, I don't understand as to why elections are not held there. Elections should be held as soon as possible in Jammu and Kashmir. I want to raise an important issue. Yesterday, my friend Shri Senthilkumar while taking part in this discussion, uttered a word inadvertently in this House. As the DMK Leader and Hon Chief Minister of Tamil Nadu reprimanded him for this utterance. Moreover the DMK Parliamentary Party Leader also reprimanded him and asked him to regret for the same in this

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

House. Hon Member also regretted. At the same time, a Member of this House Shri Ramesh Biduri used offensive words against another Member of this House Shri Danish Ali such as ... * affecting the sentiments of the minority people of this country. But there is no action against him till now for using such offensive words in this House. He has not even offered his apologies for usage of such words by him. This is partiality. There is a partiality in giving justice to the minorities and the majority group. There is a partiality in giving justice to the Ruling party and Opposition party. Sengol, the Sceptre is kept near the Chair of this august House. I am reminding you of that. I want to know what action this Government will take against Shri Biduri. Such laws should be brought only after an elected Government come in place in those Union territories. In the States and Union Territories ruled by Parties other than BJP, this ...* BJP led Union Government is trying to put hurdles by using Hon Governor. I urge that Elections should be held soon there. In States like Tamil Nadu and Kerala, where the BJP is not in power, Hon Governors of these States are interfering in the affairs of the smooth functioning of the State Government. This Union Government wants to run the administration non-BJP ruled States, in the backdoor, by using the powers of Hon Governor. This is a wrong precedence. It should be given up. Thank you Sir.

माननीय सभापति : ... * शब्द रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान)

* Expunged as ordered by the Chair.

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, Sir. On behalf of my party All India Trinamool Congress, I rise to speak on the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

Sir, before delving into the aspects of this Bill, I would like to share something. This year, I along with my daughter visited Kashmir and some parts of Ladakh. After crossing the Kargil War Memorial, when were approaching Kargil market, suddenly I noticed a big picture. When we went to the market, almost at every shop and at every nook and corner, I found that picture and that was not the picture of our hon. Prime Minister and hon. President but we found only one picture and that was the picture of Mr. Khomeini. We found not a single Tiranga jhanda there except in the military camp.

सर, यह कभी महसूस नहीं हुआ कि हम दोनों हमारे देश में हैं।

माननीय सभापति : बाकी जम्मू-कश्मीर में कैसा फील हुआ? उस स्थान को छोड़कर के बाकी जम्मू-कश्मीर में कैसा अनुभव हुआ? आपको वह भी बोलना चाहिए।

श्रीमती प्रतिमा मण्डल : सर, हमारी बात सुनिए।

सर, उसके बारे में भी बोलेंगे, लेकिन हमें बोलने तो दीजिए। जब मैं वहाँ गई तो कभी मुझे यह महसूस नहीं हुआ, कभी मैंने यह देखा भी नहीं कि वहाँ पर हमारा तिरंगा झंडा है। हमारे प्रधानमंत्री जी की या हमारे राष्ट्रपति जी की कोई पिक्चर है। वहाँ के किसी लोकल लीडर की पिक्चर भी वहाँ नहीं थी।… (व्यवधान) यह मुझे महसूस नहीं हुआ। यह हकीकत है। हम भारत में हैं, वहाँ जाकर यह कभी महसूस नहीं हुआ। कल हमारे माननीय स्पीकर सर बोल रहे थे कि अनुच्छेद 370 का ऐब्रोगैशन होने के बाद सभी स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स को कश्मीर भेजा गया था। हाँ सर, मैं भी स्टैंडिंग कमेटी के साथ गई थी। फिर एक दिन अचानक बहुत जल्दी हमारी मीटिंग खत्म हो गई। मैं और राज्य सभा के एक मेंबर, दोनों ने

तय किया कि हम लोग सोनमर्ग घूमने जाएंगे। पहले तो उन्होंने ना किया। फिर एक घंटे बाद उन्होंने बोला कि ठीक है अरेंजमेंट हो गया है, आप जा सकते हो। हमारा अरेंजमेंट ऐसा था कि हमारी गाड़ी के सामने एक ब्लैक कलर की गाड़ी थी। उसका हुड खुला था, वहाँ पर एक फौजी राइफल लेकर उस पर सवार था। जब हम जा रहे थे तो सभी लोग हमारी उस गाड़ी की तरफ देख रहे थे कि यह कौन जा रहा है और कहाँ जा रहा है। जब मैं शाम को वापस होटल में लौट आई तब हमारी कमेटी के एक मेंबर ने बोला कि आप कहाँ गए थे? उन्होंने बताया कि यहाँ के जो माननीय राज्यपाल महोदय हैं, वे हमसे मिलने आए थे। वे आपके बारे में पूछ रहे थे कि इतनी शाम हो गई है, आप लौटे क्यों नहीं। मैं उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में पूछताछ की, लेकिन सर मैं एक स्टैंडिंग कमेटी के साथ थी, फौजी मेरे साथ था, मैं इतने लोगों के साथ थी, फिर भी मुझे वहाँ पर जाकर यह महसूस नहीं हुआ कि कश्मीर में शांति लौट आई है। जब मैं अकेली अपनी बेटी के साथ भी गई थी तब भी मुझे यह महसूस नहीं हुआ कि यह मेरा देश है और हम यहाँ आजादी से भयमुक्त होकर घूम सकते हैं। अगर कभी कोई सोचे कि चलो कश्मीर में घूमने जाते हैं तो उसके घरवाले उससे कहते हैं कि हमारे देश में इतनी सारी अच्छी जगहें हैं, तुम कश्मीर क्यों जाना चाहते हो और वे कहते हैं कि तुम किसी दूसरी जगह पर घूमने जाओ।

सभापति जी, यदि किसी फौजी की कश्मीर में ट्रांसफर हो जाती है, तो उसके परिवार के सदस्य यह सोचते हैं कि हमारे देश की किसी अन्य देश के साथ लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन क्या हमारा बेटा वापस लौटेगा या नहीं। हम रोज अखबारों में फौजियों के शहीद होने की खबरें पढ़ते हैं। डिमोनिटाइजेशन के बाद इस सदन में ट्रेजरी बैंच के कई सदस्यों ने कहा कि 2000 के नोटों का यूज कश्मीर में आतंकवादी बंदूकें खरीदने में कर रहे हैं। क्या आज आतंकवाद खत्म हो गया है? अनुच्छेद 370 को खत्म करते समय आपने इस सदन में बोला कि कश्मीर में एम्प्लायमेंट मिलेगा और बेरोजगारी खत्म होगी। इससे आतंकवाद भी खत्म होगा और कश्मीर में शांति लौट आएगी। क्वालिटी एजुकेशन ही उन लोगों को रोजगार दे सकती है और कश्मीरी लोगों के हाथों में जो जादू है वह पश्मीना शाल और लकड़ी के काम में देखने को मिलता है। ये चीजें देश में मशहूर हैं और ये विदेशों में भी मशहूर हो सकती हैं, यदि लोगों को पैसा देकर एनकरेजमेंट किया जाए। क्वालिटी एजुकेशन रोजगार दे सकती है और आतंकवाद

भी दूर हो सकता है, इसके लिए एंटरप्रयोनोरशिप को मजबूत करना है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के समय फारूख अब्दुल्ला साहब और मुफ्ती महबूबा जी तथा कई अन्य नेताओं की गृह बंदी की गई। गृह बंदी किसी मसले का हल नहीं है। हमें साथ मिलकर डिस्कशन करना चाहिए तभी कश्मीर में शांति होगी।

महोदय, इस सैशन के पहले दिन जब प्रधानमंत्री जी सदन में आए थे, तब सदन के सभी सदस्यों ने बहुत जोरदार से स्वागत किया। ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि आपने तीन विधान सभाओं के चुनाव जीते हैं और हवा भी आपकी तरफ है। मैं जानना चाहती हूं कि कश्मीर में कब इलेक्शन होंगे? कश्मीर के सभी लोग यह चाहते हैं कि कश्मीर में शांति आ जाए लेकिन वहां कब इलेक्शन होंगे और कब वे अपने जनप्रतिनिधि चुनेंगे, यह जनता जानना चाहती है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

DR. SANJEEV KUMAR SINGARI (KURNOOL): Thank you, hon. Chairperson, for giving me this opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

The Amendment Bill proposes to increase the total number of Assembly seats from 83 to 90. It also proposes to reserve seven seats for Scheduled Castes and nine seats for Scheduled Tribes. The Bill ensures political representation of all communities within the region and also proposes allocation of Assembly seats for Kashmiri Pandits and migrants from Pakistan Occupied Kashmir. Henceforth, people can participate in democratic process and raise genuine issues of people in the Legislative Assembly. The Bill also authorises the Lieutenant Governor to appoint two migrant Kashmiri Pandits and one Kashmiri migrant of POK.

Sir, there are many positive aspects of the Bill. The historical blunders are being corrected. More than 40,000 families were affected since 1965. The Bill promotes inclusivity of all sections of Jammu and Kashmir, including migrant Kashmiri Pandits and migrants from POK because the horrific tales of people losing their ancestral homes, cultural identity and heritage are heart wrenching.

India suffered thousand years of slavery under various invaders. Residual British Raj attitude still exists in certain parts of India which should be taken care of by our hon. Prime Minister. As a child, I used to ask my elders as to how 30 crore Indians were enslaved by a few thousand foreigners. After seeing the histrionics of various AC-room scholars, now it is clear that a few selfish Indians helped the invaders. Thank God India is blessed with great leaders like Shri Narendra Modi ji. Majority of Indians believe that Modi ji is a God's gift to India.

Sir, this Amendment Bill can bring political stability which is essential in the strategically-sensitive Jammu and Kashmir. A fair representation of all sections of Jammu and Kashmir will certainly ensure political stability. The security of nation is also guaranteed with these measures.

Sir, there are a few suggestions regarding this Bill. The Government of India should emphasize on development and reconciliation. This approach aims to build trust and inclusivity among all communities of Jammu and Kashmir. It should promote dialogue and evolve a consensus. Various Standing Committees of Parliament, which visited Jammu and Kashmir since 2019, stated that the local Government is doing an excellent job.

14.00 hrs

It is essential to engage all the stakeholders, including the regional parties and the community representatives in a meaningful conversation. Consensual efforts on all issues will win the hearts of the people and guarantee a long-term peace.

Sir, to conclude, as per the *Economic Survey* of 2022-23, the GSDP of Jammu and Kashmir is likely to double in the next five years. The economic growth of 14.64 per cent and 1.88 crore tourists' visit to Jammu and Kashmir stand testimony to this fact.

We acknowledge the efforts of the Government of India towards political and social stability in Jammu and Kashmir. Things are moving in the right direction for Jammu and Kashmir and for India as a whole. The YSR Congress Party under the

able leadership of hon. CM Shri Y.S. Jagan Mohan Reddy appreciates the excellent work done by the Government of India in Jammu and Kashmir.

Sir, I take this opportunity to request the Government of India to implement all the promises made to Andhra Pradesh in 2014 during the discussion on the AP Reorganisation Bill. Special status may be granted to Andhra Pradesh.

We support these Bills, and we believe all the Bills related to Jammu and Kashmir are historical. Thank you, Sir.

Jai Hind.

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): सभापति महोदय, आपने मुझे दो महत्वपूर्ण विधेयकों - जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 – पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इन दोनों विधेयकों के समर्थन में अपनी बात रखूंगा।

सभापति महोदय, 6 अगस्त, 2019 पूरे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। उस दिन अनुच्छेद-370 को हटाकर, भारत के संविधान के जो कई प्रावधान जम्मू-कश्मीर पर लागू नहीं होते थे, उन्हें लागू किया। जम्मू-कश्मीर में जो लोग हाशिए पर खड़े थे, उनको समानता का अधिकार मिला, भारत के कानून उन पर भी लागू हुए। भारत के ऐसे कानून, जो मानवता के आधार पर पूरे विश्व में माने जाते थे, वे कानून पहले जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं थे, लेकिन प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री जी ने एक ऐतिहासिक कदम के द्वारा अनुच्छेद-370 को हटाने का निर्णय किया, जिसे हम एक कठोर निर्णय कह सकते हैं। इसके माध्यम से उन्होंने देश में एक बहुत बड़ी पहल की। इससे भारत के अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर में विकास के रास्ते प्रशस्त हुए। अब हम देख रहे हैं कि उसके बाद वहां अभूतपूर्व विकास हुआ, एक सकारात्मक सोच का विकास हुआ और संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हुए। आज ये दोनों विधेयक यहां आए हैं, जिसमें एक पुनर्गठन का विधेयक है और दूसरा आरक्षण का है।

जहां तक पुनर्गठन विधेयक की बात करें तो इसमें ऐसे कश्मीरी विस्थापितों, जो कई कारणों से वहां से विस्थापित हुए हैं, उनके लिए इस बिल में नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया है। ऐसे पीड़ित लोग, जिन्हें उनकी राजनीतिक सोच के लिए, विचार के लिए माइग्रेट होना पड़ा, उनके लिए इसमें दो सीटों का प्रावधान रखा गया है, जिसमें एक महिला हो सकती है। पाक अधिकृत कश्मीर से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स के लिए एक सीट के नॉमिनेशन का प्रावधान रखा गया है। पूरे देश में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण था, लेकिन जम्मू-कश्मीर में शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग दशकों से हाशिए पर थे। उनके लिए वहां पर कोई प्रावधान नहीं था। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के मेरे साथियों ने यहां बोला, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जम्मू-कश्मीर में कभी भी इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए चिंता नहीं की। इन्हें खड़े होकर यहां

अपनी भूल को स्वीकार करना चाहिए कि जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों के साथ लगातार अन्याय हुआ। उन्हें जो फायदा मिलना चाहिए था, वह फायदा उन्हें नहीं मिल पाया।

यह स्थिति क्यों आई? क्योंकि हम देखते हैं कि वर्ष 1989 और 1990 के दशक में जिस हिसाब से आतंकवाद की वजह से जम्मू और कश्मीर के हिंदु, कश्मीरी पंडित, सिख और मुस्लिम समेत लगभग 1 लाख 58 हज़ार 976 लोग वहां से माइग्रेट हुए। यही नहीं उनके माइग्रेशन के अलावा पाकिस्तान आक्रमण के द्वारा सन् 1945, 1965, 1971 में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र से करीब 41, 844 लोग माइग्रेट हुए हैं। इन लोगों की कठिनाई को ध्यान में रखते हुए आज जिस रीऑर्गनाइज़ेशन का इस बिल में प्रावधान किया गया है, क्योंकि उनको अपने पैतृक स्थान छोड़ने पड़े, अपनी जड़ों से दूर रहना पड़ा और उन्होंने लगातार इतने सालों तक जो पीड़ा सहन की, यह मानवता के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकवाद था। एक राष्ट्रवाद की भावना इन लोगों में थी तो इस वज़ह से एक परिसीमन आयोग गठित किया गया और उस आयोग ने यह अनुशंसा दी कि इन लोगों के साथ न्याय करने के लिए नॉमिनेशन का प्रावधान होना चाहिए। आयोग के मुताबिक 2 सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होनी चाहिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के विस्थापितों के लिए होनी चाहिए, जो दशकों से यह पीड़ा झेल रहे थे। इसी तरह से 9 सीटें उन लोगों के लिए होनी चाहिए, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। यह प्रावधान कर के इस बिल के द्वारा बहुत बड़ी राहत इस वर्ग को पहुंचाई है। इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। पूरा देश उनका ऋणी है। पूरा जम्मू-कश्मीर उनका ऋणी है। जहां तक आरक्षण की बात करें, जम्मू-कश्मीर रिज़र्वेशन एक्ट, 2004 के इस बिल में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उसमें अपॉइंटमेंट और एडमिशन का मामला है। एडमिशन का मामला प्रोफेशनल संस्थानों में है। वर्ष 2004 के एक्ट के द्वारा एससी, एसटी और सोशल एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज़ के लिए है। जम्मू-कश्मीर रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट के द्वारा मैं मानता हूँ कि यह रिज़र्वेशन एक्ट्स एप्लिकेबल हैं। लेकिन जम्मू-कश्मीर की विधान सभा अभी नहीं है, उस वजह से राष्ट्रपति के प्रोक्लेमेशन के द्वारा पार्लियामेंट को पॉवर है, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है। यह कहना कि पार्लियामेंट को पॉवर नहीं है और लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। इसके साथ-साथ जो अमेंडमेंट किया जा रहा है, वह सैक्शन 2

में इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा किया जा रहा है। उसमें सिर्फ और सिर्फ एक कनफ्यूज़न है। चूंकि सैक्शन 2 में एक कनफ्यूज़न ऐसा बना हुआ था कि उसमें वीक एण्ड अण्डरप्रिविलेज्ड क्लासेज़ वर्ड यूज़ था। यह जनरल पब्लिक में भी कनफ्यूज़न था। इस कनफ्यूज़न को हटाने के लिए अथॉरिटी जो सर्टिफिकेट यूज़ करती थी, उनके लिए भी कनफ्यूज़न था कि जो वीक एण्ड अण्डरप्रिविलेज क्लासेज़ हैं, उसका इंटरप्रिटेशन क्या दिया जाए? इसको हमने इस बिल के द्वारा, बेसिकली इसमें सोशल एण्ड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज़ कमीशन के द्वारा रिक्मेंडेशन है कि इसको पैरिटी पर लाया जाए और इसको ओबीसी किया जाए, जिससे कि यह भारत के संविधान की स्पिरिट के रूप में हों।

महोदय, मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि जो पहले यह – 2 बातें बताई गईं थीं कि रीऑर्गनाइज़ेशन की कॉम्पिटेंस पार्लियामेंट को नहीं है और इस रिज़र्वेशन बिल के लिए माननीय सदस्य, मनीष तिवारी जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि उन्होंने आर्टिकल 3 की बात बताई थी। आर्टिकल 3 इस बिल से रिलेटिड नहीं है। Formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing states, इस बिल का स्कोप नहीं है, इसलिए यह लागू नहीं होता है और उनका कहना है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में यह मैटर सबज्यूडिस है, रीऑर्गनाइज़ेशन एक्ट की वैलिडिटी का है।

If it is a question of validity, Parliament is not precluded, Parliament is not powerless; Parliament is fully competent and powerful to enact any law. कोर्ट के द्वारा उस एक्ट को कहीं किसी रूप में स्टे नहीं किया गया है। अगर पार्लियामेंट में रिस्ट्रिक्शन है तो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 121 की है which deals with restriction on discussion in Parliament which says that ‘no discussion shall take place in Parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or the High Court in discharge of his duty except upon a motion presented and addressed to the President praying for the removal of the judge or as hereinafter provided’. इसके अलावा, भारत के संविधान में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है, जो पार्लियामेंट को रोकता हो, इसलिए पार्लियामेंट भारत के संविधान के

तहत फुली कॉम्पिटेन्ट है to enact the law as per Article 3 of the Constitution of India and as per Article 121 of the Constitution of India. Apart from that, there is no such provision in the Constitution which stops the Parliament from enacting such type of a law. इसीलिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गनाइजेशन (अमेंडमेंट) बिल और जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल पास करने के लिए पार्लियामेंट फुली कॉम्पिटेन्ट है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

DR. K. JAYAKUMAR (TIRUVALLUR): Hon. Chairperson, Sir, I thank you for giving me this opportunity to speak on these two Bills.

Sir, I am from deep South standing in front of you to speak for the topmost erstwhile Northern State of Jammu and Kashmir, and its reorganisation. This situation came into existence because of the already existing Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 dated 5.8.2019. But for that, today's discussion is not required. I find a symmetry of actions or a pattern of actions by this Government in implementing things – they first disorganise and then come for organising the same. That is what they are doing here. This is for the first time, perhaps, in Independent India that a State was bifurcated, reduced to the level of Union Territories and then we are now engaged in passing a Bill to reorganise this situation. I am at a loss to understand that under the same Constitution, for the last 70 years, the State was in existence and every action was going through. People of that State were safe and the borders were kept safe to a large extent. There is nothing much to say that there was a need to go for reorganisation of these things for the last 70 years. I would like to know from the hon. Home Minister, thanks to him that he is present over here during my presentation, what has compelled him to go for this situation. Where is the necessity for it? What went wrong?

14.14 hrs (Hon. Speaker *in the Chair)*

Every action here is happening like this. Article 370 has been removed. It is not that our forefathers, the Constitution-builders, those who built this nation, were not aware of the situation of what would happen to Article 370. Therefore, they have given a protective clause in this. When we talk about the procedure, they

have made a clear provision for this State, which has been given special provisions, that the State will unite with the mainland completely and they have kept the doors open for it by giving such a procedure, and as per that procedure, the only thing, what you have done and what we did not accept, is that it should have been done through the will of the people. The will of the people is represented by a House like this. This will of the Kashmiri people was represented by the MLAs and the Legislative Assembly.

What you did on the contrary was, first, the Government was pulled down for various reasons. Then, the Assembly was closed. Then, a Governor was nominated over there. Who is the Governor? He is your representative, the Union representative even if you take it legitimately. His opinion is taken and you have brought the Bill on 5th August, 2019. You take anything for that matter. Demonetisation was done in a great hurry. No procedure was followed. No Cabinet meeting was there for such a big thing. What have you achieved through that? Nothing, simply nothing. You have only destroyed the economy of this country. Even today, the beating given by demonetisation is in existence. Even the economy has not been repaired. What was the need? You said there were three reasons. I take one of the reasons – I leave the rest for the time constraint – that black money will be curtailed. There would not be any black money available for the Pakistanis and other people across the border. This would help to establish peace in this country had it happened in the first place. Is there no counterfeit currency available in the country today? Through this demonetisation, we have achieved nothing but seeing people die at the gates of the banks. You talked about

women's reservation. When will women's reservation actually happen? It will happen in 2031. The 84th Amendment of the Constitution clearly says that any delimitation, any adjustment of seats, any creation or decrease in seats can be effected if and only if a Census was taken at the earliest after 2026. So, it will be in 2031. Today, you are talking about reorganisation; you are talking about creation of seats; and you are talking about reservation. I am here for all sorts of reservation in this country because I myself stand in this place because of the benefits of reservation. Otherwise, I would not have had the opportunity to enter this House and stand before you all to speak my mind over here. Any reservation which is required in this country should be given and the people should be helped. One Member of the House said that the Congress Party was not for reservation for tribal people, they can celebrate Deepavali again in their house and all. When has the Congress Party objected to any reservation in this country? When was it? Out of all the reservations in the globe, the largest amount of reservation has been created by the Congress and the Congress Party only. There is 22.5 per cent of reservation for the SCs and STs. Also, as regards EWS reservation, we were party to it and we approved it, though I have some reservations about EWS. Therefore, Sir, whether the 84th Amendment is taken into consideration or not is a point of discussion because before 2026 nothing can be done unless and until you go in for amendment of the Constitution. Three or four amendments are required to do this.

Thank you very much for the opportunity given to me, Sir.

श्री रवि शंकर प्रसाद (पटना साहिब): माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत अनुगृहीत हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण बिल पर अपने विचार रखने का मुझे अवसर दिया है। बिल की पृष्ठभूमि क्या है, वह बता दी गई है। अगर एक वाक्य में कहा जाए तो 70 सालों में जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, आज इस बिल के माध्यम से उनको आवाज दी जा रही है, चाहे वे पीओके से आए हुए हों, चाहे वे आतंकवाद से विस्थापित हों, चाहे वे 1965, 1971 की लड़ाई के विस्थापित हों। जिनकी कोई आवाज नहीं थी, डीलिमिटेशन कमीशन ने उनकी आवाज सुनी, अनुशंसा की। मैं माननीय गृह मंत्री और प्रधान मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, उनको वह सम्मान देंगे, जो आज तक नहीं दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने उधर के मित्रों से कमाल की बहस सुनी। थोड़ा कानून का छात्र मैं भी हूं। यह कहा गया कि यह बिल आप क्यों लेकर आए हैं? यह मामला सुप्रीम कोर्ट में है। कोई स्टे है क्या? लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ, बीडीसी काउंसिल जीते, ग्राम पंचायत के सरपंच जीते, तो क्या आपने कहा कि इसको रोक दीजिए? आज हजारों करोड़ रुपये का इनवेस्टमेंट हो रहा है, कश्मीर में विकास हो रहा है, तो क्या आपने कहा कि स्टे कर दीजिए? क्योंकि वह आपकी हिम्मत नहीं है, आपने स्टे के लिए प्रार्थना की, लेकिन कानून रुका नहीं है। फिर भी कहा जा रहा है कि आप क्यों ला रहे हैं, यह ठीक नहीं है। कहा गया कि कन्टेमप्ट ऑफ कोर्ट है। यह कन्टेमप्ट ऑफ कोर्ट की नयी परिभाषा है। मुझे देखना पड़ेगा कि यह महाज्ञान कहां से आया? क्या यह सार्वभौमिक संसद को कानून बनाने का अधिकार है या नहीं है, यह बड़ा सवाल है? कन्टेमप्ट की बात की जा रही है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कानून जानते हैं, उनके द्वारा यह कहना ठीक नहीं है। यह भी कहा गया कि आप कैसे कर रहे हैं? आर्टिकल 1 में प्रावधान है, मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि आर्टिकल-2 भी पढ़ लें। संसद को अधिकार है कि नया प्रदेश जोड़ सकती है या बांट सकती है। क्या यह पहली बार हुआ है, उस पर भी सवाल किया जा रहा है।

एक बात का मुझे सदन में स्पष्टीकरण देना बहुत जरूरी है। हमारे अंतरंग मित्र मनीष तिवारी जी ने एक बात कही, कश्मीर में जब लड़ाई हुई थी, उसमें जब युद्ध विराम हुआ था तो वह नेहरू जी को सेना की एडवाइस थी। उन्होंने बुशर साहब, जो उस समय सेना के जनरल थे, उनकी बात कही। मैंने

इस बारे में पूरा कागज निकाला है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, उसी में लिखा हुआ है, मैं कोट कर रहा हूं: "… I am authorized, on behalf of the Government of India, to negotiate for a ceasefire …". पाकिस्तान के जनरल को कह रहे हैं, यह कैसे कहा गया कि उनके एडवाइस पर किया गया। मेरे पास भारत पाकिस्तान से बाकी लड़ाइयों का मिलिट्री रिकार्ड है। वैरियर कॉलेज के असोसिएट प्रोफेसर रोहित सिंह ने लिखा है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि सेना को मुजफ्फराबाद की तरफ जाना था, लेकिन यकायक पॉलिटिकल एडवाइस ऐसी आई कि इसको रोक दें।

मैं सदन में बड़े विनम्रता से कहना चाहूंगा कि साढ़े पांच सौ से अधिक रियासतों में एक को छोड़ कर सभी माननीय सरदार पटेल जी ने हैंडल किया, वहां कोई समस्या नहीं है, आज वह भारत का अंग है। एक नेहरू जी ने हैंडल किया, वहां आज तक समस्या है। हम यह क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों नहीं बोलना चाहिए? सॉरी, समस्या थी, जो 2019 में खत्म हो गई। मेरे पास वी.शंकर की सरदार पटेल के अनुभवों की किताब है, वह उनके सेक्रेटरी थे। जब धारा 370 का मामला हुआ तो सरदार पटेल लौट कर घर आए, सर, आपने क्या कर दिया, कांग्रेसी विरोध कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देखो, यदि जवाहरलाल नेहरू मीटिंग में होते तो मैं विरोध करता, गोपाल स्वामी अयंगर कह रहे हैं कि नेहरू जी की प्रतिष्ठा की बात है और वह अमेरिका में हैं तो मैं क्या करूं? जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो सरदार पटेल ने एक बात कही, न शेख अबदुल्ला परमानेंट है, न आर्टिकल 370 परमानेंट है, जिस दिन एक बहादुर सरकार आएगी, यह समाप्त हो जाएगा। यह सब रिकार्ड की बात है, मेरे पास सब कागजात हैं। जब एक बहादुर, साहसी और लोकप्रिय नेता नरेन्द्र मोदी जी आते हैं और कुशल गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं, आज देखिए, धारा 370 इतिहास हो गया।

मैं बहुत संक्षेप में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा, लोग पूछते हैं, 'Why'? हमारा कश्मीर से भावनात्मक लगाव है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। याद कीजिए, मैं इस सदन में कहना चाहूंगा, 51 साल की उम्र, एक ब्रिलिएंट बैरिस्टर, उनके पिताजी आशुतोष मुखर्जी कोलकाता हाई कोर्ट के महान जज थे, लोग आज तक उनके निर्णय याद करते हैं। 33 साल की उम्र में वह बैरिस्टर बनते हैं, उस समय जनसंघ के अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा कि मैं बिना परमिट के कश्मीर जाऊंगा, अपने

यंग सेक्रेटरी को कहा कि जाओ कहो कि मैं बिना परमिट के घुस गया। उस यंग सेक्रेटरी का नाम अटल बिहारी वाजपेयी था। वह मई में गिरफ्तार होते हैं और जून में उनकी संदेहास्पद परिस्थितियों में देहावसान होता है। यह हमारा इतिहास है कि देश की एकता और अखंडता के लिए हमने अपने सर्वोच्च नेता का बलिदान किया। इसका ध्यान रखा जाए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये लोग कश्मीर की कश्मीरियत की बात किसके लिए करते हैं, धारा 370 के लिए? मुझे दो बार कश्मीर की यात्रा करने का सौभाग्य मिला। मैं आज हाउस में कहना चाहता हूं, राजनाथ जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, यहां जितेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, पता नहीं, वह भी इस कमेटी में थे, नंदा जी भी थे, हम 16 या 17 बार कश्मीर गए थे। हमें वहां लोगों ने कहा कि हम पहाड़ी मुसलमान हैं, हमारी तुलना उनसे मत कीजिए, हमारे पुरखों ने भारत की सेना को वर्ष 1948 में रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा - हम गुर्जर बक्करवाल हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती है। डल लेक के आसपास मछुआरे बहुत हैं लेकिन उनको बैकवर्ड क्लास का कोई आरक्षण नहीं मिला। उनको कहा जाता है कि बस, हमसे सवाल न पूछो, खाली मरकज़ से पैसा लाओ, हिसाब मांगोगे तो धारा 370 है, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करोगे तो धारा 370 है। वहां आम आदमी की बात की कोई सुनवाई नहीं थी, यह सच्चाई है। जब धारा 370 समाप्त हुई तो उस समय माननीय प्रधान मंत्री जी के आदेश पर हमें वहां जाने का मौका मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वहां के नौजवानों से मिले और बड़े लोगों से मिले। उन्होंने कहा – जनाब, हमें सच्चाई बताई नहीं गई, ये जो अलगाववाद की बात करते हैं, पत्थर फिंकवाते हैं, उनके बच्चे अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं और हमारे स्कूल जलते हैं। यह उन्होंने हमसे कहा। मैं नौजवान बच्चों से मिला, उन्होंने कहा – आईआईटी खुल रहा है, एम्स खुल रहा है लेकिन हमें बताया क्यों नहीं गया।

सर, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। मुझसे जम्मू में हिंदू लड़की मिली, वह ऑल इंडिया सर्विस की अफसर थी। उसने कहा कि मैं सबसे अधिक कृतज्ञ नरेन्द्र मोदी जी की इसलिए हूं क्योंकि मेरी शादी एक हिंदू से हुई है, जो कश्मीर से बाहर का है। मैं सारी संपत्ति में अपना दखल खो

बैठी हूं क्योंकि मैंने एक गैर-कश्मीरी से शादी कर ली है। अब धारा 370 समाप्त होने के बाद पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा, अवसर मिलेगा और यह हो रहा है।

महोदय, उसी यात्रा में हम विस्थापितों के कैम्प में गए थे। उनको देखकर हमें रोना आ गया लेकिन आज उनकी पीड़ा सुनी गई है। मैं बताना चाहता हूं कि उनके टूटे-फूटे टैंटों में पानी लीक कर रहा है। वे बोले कि सन् 1947 से डिस्प्लेस होकर आए हैं, क्या यही हमारी पीड़ा है कि हम कश्मीर में रह गए? उन्होंने एक बात कही कि मनमोहन सिंह पंजाब चले गए तो भारत के प्रधानमंत्री हो गए, गुजराल साहब पंजाब चले गए तो भारत के प्रधान मंत्री हो गए, आडवाणी जी कराची से चले गए तो भारत के उप-प्रधान मंत्री हो गए। हमने नेहरू जी पर विश्वास किया और कश्मीर में रह गए, लेकिन हमें आज तक नागरिकता नहीं मिली। ऐसा क्यों है? यह दृश्य क्यों छिपाया गया? यह कानून उसका जवाब देता है। मैं बार-बार सुन रहा था कि ये दो कानून क्यों लाए हैं? इसका क्या मतलब है? गुर्जरों को, बक्करवालों को, हिंदू विस्थापितों को, माइग्रेंट्स को, सन् 1965 और 1971 में पीड़ित लोगों को अगर आवाज़ नहीं देंगे तो फिर लोकतंत्र समावेश कैसे होगा? जब हम कहते हैं – सबका साथ, सबका विकास, तो सबको जम्हूरियत में अवसर भी मिलना चाहिए, यह हमारी सोच है।

महोदय, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं, दूसरे कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? पिछड़ों को अगर कुछ देना है तो देश में सोशली और इकोनामिकली बैकवर्ड की जो परिभाषा है, उसी को तो इसमें इनक्लूड किया है।

महोदय, यह बहुत सराहनीय कानून है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, माननीय गृह मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। आपसे एक गुजारिश है कि अब तो सच्चाई को देखिए। 69 साल से सच्चाई नहीं देखी इसलिए आप लोग कहां आ गए और हम कहां पहुंच गए, यह भी तो आप देख रहे हैं। परसों भी तो देखा है और वर्ष 2024 में भी देखिएगा। अभी भी समझेंगे, सोचेंगे तो भला होगा। धन्यवाद।

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): माननीय अध्यक्ष जी, कल से सदन में दोनों बिलों पर चर्चा हो रही है। मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि पूर्व कानून मंत्री, रविशंकर जी, एक और कानून मंत्री किरेन रिजूजी जी और कल एक और मंत्री थे जो कि हर बात पर नेहरू जी की बात लेकर सदन में आते हैं और नेहरू जी के खिलाफ आलोचना करते हुए सोचते हैं कि अपनी सारी बात … (व्यवधान) कल जितेन्द्र सिंह जी भी थे। जब हम कुछ अलग बात पूछ रहे थे तो सब घुमाफिराकर नेहरू जी पर आ जाते हैं।

हम 70 साल-70 साल सुनते-सुनते थक गए हैं। मैं अमित शाह जी और सारे मंत्रियों से गुजारिश करता हूं कि यह सदन चलते-चलते एक दिन ऐसा हो, जिसमें कश्मीर और नेहरू जी, उनकी गलती, उनके सच पर खुले-आम चर्चा की जाए। मैं आपको चुनौती देता हूं।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह): अधीर रंजन जी, आप दरख्वास्त दें, हम तैयार हैं। … (व्यवधान) मैं तो अभी चर्चा करने के लिए तैयार हूं।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैंने अपनी दरख्वास्त दे दी है।

माननीय अध्यक्ष : आपने अभी दरख्वास्त नहीं दी है।

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, मैंने अपनी दरख्वास्त अभी वर्बली दे दी है। … (व्यवधान) मुझे थोड़ा बोलने दीजिए। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कहावत थी, जिसे वाजपेयी डॉक्ट्रिन कहते हैं। 'कश्मीरियत, जम्हूरियत, इंसानियत' का आप पालन करते हैं या नहीं, आप खुद तय करें। हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आप लोगों को यह सलाह दी थी कि दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी हम मिटाकर रखेंगे। क्या दिल की दूरी चली गई है? आप खुद तय कर लीजिए। Now, it is time to have some sort of introspection insofar as Kashmir is concerned. हमारे गृह मंत्री जी ने उस समय सदन में कहा था कि कश्मीर की बात छोड़ो, पीओके, सियाचिन, सबके लिए मैं जान देने के लिए भी तैयार हूं। आप जिंदा हैं, आपको जान नहीं देनी पड़ी। आपने यह भी कहा था कि एप्रोप्रिएट समय पर चुनाव होंगे। बताइए, क्या मैंने कोई गलत बात की? यह मुद्दा जेरीमेंडरिंग करने के लिए है। यानी चुनाव जीतने के लिए नए-नए तरीके आप अपनाते हैं। आपने सोचा था कि लोकल चुनाव तो कराते हैं, लेकिन लोकल चुनाव में आपको हार निश्चित है। उससे बचने के लिए आप नए-नए तरीके

अपनाते हैं। इसे ही जेरीमेंडरिंग कहते हैं। अमित शाह जी, आपने वायदा किया था कि कश्मीर में अमन लाएंगे, शांति लाएंगे, लेकिन जो वायदा किया था, उसे निभाना भूल गए। लोगों के मन में उम्मीद की आग जलाई थी, लेकिन उसे बुझाना भूल गए। आपकी यही समस्या है। अभी रविशंकर प्रसाद जी वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में कह रहे थे। आप बराबर चाहते हैं कि नेहरू जी के साथ वल्लभ भाई जी की दरार किसी भी हालत में पैदा की जाए। Sardar Vallabhbhai Patel, whose legacy the BJP has now appropriated to discredit Nehru, tried to convince Liaquat Ali Khan in the Partition Council to take Kashmir and leave Hyderabad-Deccan. In her book*,* `Kashmir in Conflict', Victoria Schofield says that even Mountbatten's political adviser Sir Conrad Corfield recommended a barter but anything that Corfield said carried no weight against the long-standing determination of Jawaharlal Nehru to keep Kashmir in India. इतिहास गवाह है कि उस समय अगर घाटी के मुसलमानों ने शेख अब्दुल्ला की अगुवाई में तथा नैशनल कांफ्रेंस ने उस समय सहायता न की होती, तो कश्मीर को हमारे साथ रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता था।... (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, history should not be distorted. … (*Interruptions*) I would like to say that let the book that Adhir Ranjan Choudhary referred to be placed on the Table of the House. I would like to repeat that history should not be distorted, especially in this House. The person who had written that book, what are her antecedents? Who is she? Is she a research scholar? When we are referring to Sardar Patel, what format actually has she quoted? From where did she get the information that Liaquat Ali Khan was told by Patel in that manner? If that record is there, let that be placed in the House. … (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Your loyalty or allegiance to the Ruling Party must be appreciated. That is a different issue. … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। स्पीकर के डायरेक्शन 115 में, यदि कोई मेम्बर गलत बात कर रहा है तो किसी मेम्बर को उसको सुधारने का अधिकार है। अभी इन्होंने कश्मीरियत की बात कही है। नया कश्मीर और कश्मीरियत शेख अब्दुल्ला के बाद का नारा था। वह अटल बिहारी वाजपेयी का नारा कभी नहीं रहा है। यह उनका क्वाइन है। ... (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): वह जम्हूरियत और इंसानियत के लिए था। ... (व्यवधान)

In the same way, you are to be corrected. ... (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे : जम्हूरियत और इंसानियत अलग चीज है। कश्मीरियत और नया कश्मीर शेख अब्दुल्ला का नारा था। ... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी (आनंदपुर साहिब): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात इस सदन को बताना चाहता हूं कि जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी अप्रैल, 2003 में श्रीनगर गए थे, चुनाव हो गया था, वहां पर मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार बन गई थी तो उन्होंने कश्मीरियत, इंसानियत और जम्हूरियत का नारा दिया था। मैं वर्ष 2003 की बात कर रहा हूं। यह कहना कि कश्मीरियत की बात श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नहीं की थी, यह आप श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो लिगेसी है, उसके विरुद्ध बात करते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन जी, आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : रवि शंकर प्रसाद जी, आप बहुत बड़े कानून मंत्री रहे हैं, यह हम सब जानते हैं। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो, अधीर रंजन जी आप बोलिए।

... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : रवि शंकर प्रसाद जी, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान) आप सुनिए। Former External Affairs Minister Yashwant Sinha हमारी पार्टी के तो नहीं थे। He said, "It was a mistake, but think also of what would have happened if

India had not. What if Pakistan had gone to the UN first?” यह मैंने नहीं कहा, ये यशवंत सिन्हा जी के बयान हैं।

आप देखिए कि हरि सिंह के साथ स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पाकिस्तान ने किया था। हिन्दुस्तान ने जवाहर लाल नेहरू की अगुवाई में उसको नहीं माना था। क्या यह गलत है? आप एक काम कीजिए, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी राजी हो चुके हैं। चलिए, नेहरू देश के लिए हानिकर हैं और आप देश के लिए कल्याणकारी हैं, दिनभर … (व्यवधान)

श्री अमित शाह: अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। … (व्यवधान) मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नेहरू हानिकारक हैं इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए। मैंने यही कहा है कि कश्मीर समस्या का मूल कौन था और कैसे था। इसमें उस वक्त के सभी लोगों का रोल क्या था, इस पर चर्चा होनी चाहिए। … (व्यवधान)

हमारी बेंचेज़ से कोई नहीं कहता है कि नेहरू हानिकारक थे। मगर अब ये ही कह रहे हैं कि नेहरू हानिकारक थे, तो हम क्या कर सकते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी : ये आप कह रहे हैं। Pandit Jawaharlal Nehru has been treated by you as a whipping boy to heap up all allegations upon his shoulder. This is ironical to note. पंडित नेहरू जी की वजह से आज देश कहां से कहां आ पहुंचा है। आइए न, एक दिन सदन में इसकी चर्चा की जाए। हम लोग यह नहीं कहते हैं कि हमने सब कुछ कर दिया है, लेकिन सुनिए, spare your words, your actions will speak for it.

ये सारी कानूनी बात तो हो चुकी है, मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर में दावा करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हमने ग्रामीण चुनाव कराया है, अर्बन चुनाव कराया है, ये किया है, वो किया है। अगर इतने चुनाव कराए हैं, तो फिर आपको विधान सभा का चुनाव कराने में क्या दिक्कत थी? आपको एक के बाद एक कानून लाने की क्या जरूरत थी? आप चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा चुनाव में आपकी जीत निश्चित हो, इसलिए ये सारी कार्रवाई चल रही है। इसको

इलेक्टोरल जैरीमेंडरिंग कहते हैं। आप ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ताकि जम्मू-कश्मीर विधान सभा के चुनाव में आप जीत हासिल कर पाएं।

अमित शाह जी, आप बताइए। As per a report by the Forum of Human Rights in Jammu and Kashmir, between 2019 and 2022, 71 CRPF troops lost their lives, doubling the toll from the preceding four years from 2014 to 2018 during which 35 fatalities occurred. ये सही है या गलत है?

Between April, 2023 and November, 2023, a total of 23 army and security personnel have lost their lives. On 9th August, 2023, the Ministry of Home Affairs reported to Rajya Sabha that between 2018 and 2020, Jammu and Kashmir experienced 761 terrorist incidents which resulted in 174 civilian deaths. The highest number of 228 attacks occurred in 2018 causing 40 civilian casualties. As per a reply in the Rajya Sabha, 99 security personnel were killed in Jammu and Kashmir between August, 2019 and April 2022. In the preceding five years, 460 security personnel were killed. According to RTI reply, the number of terrorist incidents has only increased after the abrogation of Article 370, increasing from 151 incidents in 2014 to 191 incidents till August, 2022. आप बताइए कि क्या मैं कुछ गलत बोल रहा हूं**?** आप अपने जवाब में जरूर बताइएगा। मैं आपके समक्ष आंकड़े पेश कर सकता हूं।

वर्ष 2014 में 151 घटनाएं घटित हुईं। In 2018, the number of incidents was 417. In 2020, the number of incidents was 244. In 2022, till August, the number of incidents was 191. Forty Jawans were martyred in Pulwama attack in 2019. It was the deadliest attack in three decades, which according to the former Governor Shri Satya Pal Malik was avoidable and was due to the Government's incompetence. क्या हमने कहा? सत्यपाल मलिक जी तो गवर्नर थे। आप उनको तो नकार नहीं सकते हैं। इस वजह से

बालाकोट की घटना भी हुई। अगर हमारी कोई सवाल पूछने की दिलचस्पी हो, तो तुरंत हमें एंटी नेशनल बना देते हैं। देखिए, जो जगजाहिर होता है, उस बारे में तो चर्चा होगी।

सन् 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की अगुआई ने हमारी जांबाज़ फौज ने पाकिस्तान को हराया था, बांग्लादेश को गठित करने में मदद की थी और 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को हिरासत में लिया था। उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। सब जगजाहिर है। अगर बालाकोट के बारे में कुछ पूछा जाए, तो तुरंत हम एंटी नेशनल बन जाते हैं। हमें हमारी जांबाज़ फौज पर पूरा भरोसा है। बालाकोट की वजह से उस समय हमारे हेलीकॉप्टर और हमारे ऑफिसर्स को भी शहादत देनी पड़ी थी।

यह सब तो जगजाहिर है। अगर सवाल किया जाए और जानने की दिलचस्पी हो तो वह गलत नहीं है। आप यह बताइए कि सत्यपाल मलिक ने जो कहा है, क्या वह गलत कहा है? Despite claims of reduced terrorist attacks, information from the Ministry of Home Affairs reveals that between August, 2019 and July, 2022, the region witnessed an average 3.26 terror attack casualties per month compared to 2.8 casualties in about five years preceding the abrogation.

अमित शाह जी, मैं आपको एकदम रीसेंट घटनाएं बता रहा हूं। आप राजौरी एनकाउंटर के बारे बताइए। वहां अनंतनाग एनकाउंटर हुआ या नहीं? वहां कुलगाम टैरर अटैक, राजौरी अटैक और पुंछ अटैक हुआ। हां, घाटी में जरूर कमी आई, लेकिन पीर पंजाल के पार चिनाब वैली, जम्मू रीज़न अब तक तो शांत था, लेकिन वहां इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं? आपने वादा किया था कि टेरेरिस्ट खत्म हो जाएंगे, विकास होता रहेगा, लेकिन यह क्यों हो रहा है? यह सवाल पूछना कोई अन्याय तो नहीं है। हम यह सवाल पूछते हैं। आपने कश्मीरी पंडितों के बारे में वादा किया था। हमारे खिलाफ एक इल्जाम लगता है कि हमारे लिए कश्मीरी पंडितों को घाटी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आपको यह जानकारी जरूर होगी कि वीपी सिंह के जमाने में आपके समर्थन से वीपी सिंह सरकार बनी थी, क्या उस समय कश्मीरी माइग्रेंट का पलायन नहीं होता था? आप यह बताइए। आप सारे इल्जाम हम पर क्यों लगाते हैं?

आप लोगों को हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव देखना चाहिए। आप हिस्टोरिकल परस्पेक्टिव नहीं देखते हैं, आप लोगों की यही गलती है।

आप सेफ्टी ऑफ कश्मीरी पंडित के मुद्दे पर आइए। Launched in 2008, the Prime Minister's Rehabilitation and Return Scheme offered Government jobs to Kashmiri Pandits in order to facilitate their return to Kashmir. Over 6000 Kashmiri Pandits have taken employment under the Scheme and migrated to the valley. However, the targeted killings of individuals like Mahesh Bhatt and Rajini Bala in 2022 prompted many beneficiaries of the scheme to flee from Jammu. Consequently, the JK Administration issued orders to suspend the salaries of Kashmiri Pandit employees who had left the valley. In February, 2023, the Administration issued a directive specifying that salaries would only be released for migrant Kashmiri Pandit employees who had resumed their duties in Kashmir. The Government tried to avoid another exodus of Kashmiri Pandit as it will tarnish the image of BJP and it is the Party that ostensibly champions the cause of the Pandits. वहां भय का माहौल तो है। आप बचा नहीं पाते हैं। पलायन अभी भी जारी है। आप स्टाइपेंड नहीं देते है। वहां टारगेटेड किलिंग अभी भी होती है, लेकिन आप यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। आपने कश्मीर का क्या किया, आपने कश्मीर को खाप पंचायत बना दिया। वहां एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भेज दिए और उनके साथ कुछ ऑफिसर्स हैं, वे जो मर्जी होगी करते हैं। आपने सारी क्षमता केन्द्रित कर ली है। लगभग 6 साल गुजर चुके हैं, लेकिन चुनाव नहीं हो रहे हैं। क्या चुनाव कराने की मांग करना अपराध है? हम आप लोगों से चुनाव कराने की मांग करते हैं। कश्मीर में शांति बहाली हो, यही तो हमारी भी मांग है, लेकिन यह नहीं होता है, इसलिए हमारी परेशानियां बढ़ रही हैं। आपको परेशानी न होती हो, लेकिन हमें परेशानी होना वाजिब है, क्योंकि कश्मीर हमारे देश का क्राउन है।

आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, अभी रवि शंकर प्रसाद जी ने कहा कि इतने लाख करोड़ है और कल जीतेन्द्र सिंह जी बोल रहे थे कि वहां करोड़ों रुपये का इन्वेस्टमेंट होता है। मैं आपको बताता हूं। MHA data from December, 2022 shows that investment in JK fell 55 per cent in four years. The abrogation year was the worst as per MHA data. Investment fell to Rs. 376.76 crore in 2021-22 from Rs. 840.55 crore in 2017-18. While LG has mentioned proposals worth Rs. 66,000 crore, in reality, the MoS Home mentioned that only Rs. 1547 crore worth of investments have been made in the UT. In March, 2023, Emaar invested 60 billion USD. This announcement comes after almost four years since the abrogation of Article 370 and is the only foreign investment to be announced so far.

जहां होते हैं, वहां शिकायत करते हैं, जहां नहीं है, वहां के लिए भी आपको सुनना पड़ता है और आपको सुनना चाहिए। आप रोजगार की बात बड़े जोर-शोर से यहां कर रहे हैं।

As per the Kashmir Chamber of Commerce and Industries, economy suffered a loss of nearly Rs.18,000 crore in four months after the abrogation of Article 370. Jammu and Kashmir ranked 21st among 36 States in Ease of Doing Business Survey of 2020. Despite the identification of 33,426 vacancies in the Government of Jammu of Kashmir, only 25,450 vacancies have been filled in December, 2020. This suggests that a significant number of posts still remain unfilled.

The Government has failed to fulfil their promise of 50,000 jobs for Kashmiris in various Government Departments. In February, 2023, the reply to a parliamentary question shows that while vacancies are being identified and

advertised, the process of filling these vacancies is not immediate. This could result in a time lag between vacancy identification and actual employment.

According to the Period Labour Force Survey of 2022-23 conducted by the National Sample Survey Office, the estimated unemployment rate among individuals aged between 15 and 29 years in Jammu and Kashmir was 13.7 per cent. एजुकेशन का भी वही हाल है।

Prevalence of anaemia in children between six to 59 months of age increased from 53.8 per cent in 2015-16 to 72.7 per cent.

इसीलिए कहता हूं कि सदन के अंदर हां को ना और ना को हां करने में आप लोग माहिर हैं। इस बात को आप कभी-कभी जरूर मानते हैं। सफेद को काला और काले को सफेद करने में आप लोगों की बहुत स्किल है, बड़ी चतुरता है। लेकिन असलियत तो यहां पता चल गयी है। आप लोग एक चुनाव में जीते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने दुनिया जीत ली है। आम लोगों के वोट किसी की जेब के अंदर कोई फिक्स्ड डिपोजिट नहीं है। जेब के अंदर फिक्स्ड डिपोजिट नहीं है आम लोगों के वोट, यह मान के चलिए। आज जीत हुई है तो इसका मतलब यह नहीं है कि कल भी जीत सुनिश्चित है। आप यह मान के चलिए। ज्यादा अहंकारी मत बनो, क्योंकि यह अहंकार आप लोगों को फिर धूल चाटने पर मजबूर कर देगा। आप यह जो दो विधेयक लाए हैं, इसमें एक बड़ी चतुरता है। जम्मू में ज्यादा सुविधा दो और कश्मीर में सुविधा में कटौती करो और सारे पॉप्युलेशन के अंदर एक भेदभाव पैदा करो, यही तो है आपका मकसद। आपने 35ए तो हटा दिया है, लेकिन डोमिसाइल के लिए जम्मू में भी मांग उठ रही है, लद्दाख में भी मांग उठ रही है, क्या इसका कोई जवाब आपके पास है? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप यह जो बिल लाए हैं, हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल ला सकते हैं, लोगों को सुविधा जरूर दीजिए, लेकिन असलियत को छुपाना नहीं चाहिए। अगर असलियत को छुपाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल देश आपको जरूर यह कहेगा कि इन्होंने हमें धोखा दिया है। हम यह बात रखते हुए कहते हैं कि अमित शाह जी ने यह कहा है कि जवाहर लाल नेहरू के मुद्दे पर सारे दिन चर्चा होना जरूरी है। मैंने यह

पेशकश की है और उन्होंने मान ली है। चलिए, एक दिन, दिनभर यह चर्चा हो कि किसने क्या और कैसे किया है, यह लोगों को पता चले। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN (SANGRUR): Mr. Speaker, Sir, please allow me to speak.

माननीय अध्यक्ष : आप कल लिखकर देते तो हम आपको बोलने के लिए बुलाते।

सरदार सिमरन जीत सिंह मान : सर, मैंने लिखकर दिया है।

माननीय अध्यक्ष : मेरे पास नहीं आया है। आपने अभी कहा है। आपको अगले बिल की चर्चा में बोलने का मौका देंगे।

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, आज मैं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 पर इस सदन में जो बहस हुई है, उसका जवाब देने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

मुझे एक बात का आनन्द भी है और यह हमारी संसदीय प्रणाली के लिए अच्छा भी है कि किसी ने इस बिल के तत्व का विरोध नहीं किया है, इस बिल के हृदय का विरोध नहीं किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 6 घंटे तक चर्चा चली है और कांग्रेस के डॉ. अमर सिंह जी से लेकर श्री अधीर रंजन जी तक 29 वक्ताओं ने अपने-अपने तरीके से विचार व्यक्त किए हैं, मगर बिल के उद्देश्यों के साथ सभी ने सहमति व्यक्त की है। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां पर जो बिल लेकर आया हूँ, जो विधेयक लेकर इस महान सदन की सहमति प्राप्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, उसके बारे में बोलना चाहूंगा। 70 सालों से जिन पर अन्याय हुआ है, जो अपमानित हुए हैं और जिनकी अनदेखी की गई है, उन सभी लोगों को न्याय दिलाने का यह बिल है, उनको अधिकार दिलाने का यह बिल है।

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी समाज में जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। यह भारतीय संविधान की मूल भावना है, परंतु उसके साथ-साथ इसका सम्मान कम न हो, उस तरह से आगे बढ़ाना चाहिए। अधिकार देना और अधिकार सम्मान के साथ देना दोनों में बड़ा फर्क है इसलिए

कमजोर और वंचित वर्ग के जगह अन्य पिछड़ा वर्ग का नामकरण बहुत महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीजों को ढेर सारे प्रतिपक्ष के सदस्यों ने अलग-अलग तरीके से थोड़ा कम आँकने का प्रयास भी किया है। किसी ने कहा कि यह पहले से हो रहा था, किसी ने कहा कि सिर्फ नाम बदल रहा है। मैं इन सभी को कहना चाहता हूँ कि अगर हमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जरा भी संवेदना है तो नाम के साथ इसमें उनका सम्मान जुड़ा है, उसे जरूर देखना चाहिए। नाम के साथ सम्मान जुड़ा होना, यह वही लोग देख पाते हैं, जो उनका उत्कर्ष अपना भाई समझकर, अपने से पीछे रह गए व्यक्ति को भाई समझकर संवेदना के साथ ऊँगली पकड़कर आगे बढ़ाना चाहते हैं।

वे लोग इसका नाम नहीं समझ सकते, जो इसका वोट बैंक के नाते उपयोग करके अच्छे लच्छेदार भाषण देकर राजनीति में वोट प्राप्त करने का जरिया और साधन समझते हैं। नरेन्द्र मोदी जी ऐसे नेता है, जो स्वयं एक गरीब से गरीब घर में जन्म लेकर आज देश के प्रधान मंत्री बने हैं। वे पिछड़ों का दर्द भी जानते हैं, वे गरीब का दर्द भी जानते हैं। जब इनको आगे बढ़ाने की बात होती है, तब कई बार तो मदद की जगह सम्मान के मायने बड़े होते हैं। मदद से ज्यादा व्यक्ति का सम्मान उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, उसके आत्मविश्वास को और उसके गौरव को सम्मानित करता है, बढ़ाता है, जो उसके जीवन में आगे बढ़ने का कारण होता है।

15.00 hrs

मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने ढेर सारे माननीय सदस्यों के भाषण सुने भी हैं और पढ़े भी हैं। यह भाव सिर्फ नाम बदलने से क्या होता है, को समझाने के लिए मैं कह रहा हूं।

मान्यवर, मैं आज जो बिल लेकर आया हूं, इस बिल के बारे में थोड़ी पृष्ठभूमि भी बताना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि जम्मू-कश्मीर में जब महाराजा हरि सिंह जी ने भारतीय संघ के साथ इनके विलय का निर्णय किया, उस वक्त से लेकर अब तक कई सारे उतार-चढ़ाव हुए। 80 के दशक के बाद आतंकवाद का एक दौर भी आया और वह बड़ा भयावह दृश्य था। पीढ़ियों से, सदियों से जो लोग अपनी भूमि पर रहते थे, अपना देश समझ कर रहते थे, अपनी जन्मभूमि समझ कर रहते थे, वे मूल समेत उखड़ गए और किसी ने इनकी केयर नहीं की। इनकी चिंता भी नहीं की और न ही इसको रोकने का

प्रयास किया गया। कई बार मान्यवर रोकने की जिनकी जिम्मेवारी थी, वे इंग्लैंड में वैकेशन कर रहे थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं और फिर कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी। आपकी कुर्बानी आंख-माथों पर, अगर दी है, मगर सटीक काम और सटीक उपाय और सख्ती के साथ वोट बैंक की राजनीति के बगैर उस वक्त उसको, आतंकवाद को उगता हुआ खत्म करते, तो आज उनको अपना प्रदेश छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती और न ही मुझे आज सदन के सामने यह बिल लेकर आना पड़ता।

मान्यवर, जब ये विस्थापित हुए, तब देश के अन्य हिस्सों में, उनको अपने ही देश में शरणार्थी बन कर जाना पड़ा। वे दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई न जाने कहां-कहां गए? वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार लगभग 46,631 परिवार और 1,57,967 लोग अपने ही देश में विस्थापित हो गए। वे इस तरह से विस्थापित हुए कि उनकी जड़ें ही अपने खुद के देश से, अपने खुद के प्रदेश से, अपने खुद के वतन से उखड़ गईं। यह बिल उनको अधिकार देने के लिए है, यह बिल उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए है।

मान्यवर, कश्मीर के लिए एक प्रकार से तीन युद्ध हुए। वर्ष 1947 में पाकिस्तान ने कबालियों के नाम से आक्रमण किया। इसमें लगभग 31,779 परिवार पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर से जम्मू-कश्मीर में विस्थापित हुए। इनमें से 26,319 परिवार जम्मू-कश्मीर में और 5,400 परिवार देश भर में फैल गए। वे पाकिस्तान के हमले के शिकार थे। इसके अतिरिक्त वर्ष 1965 और वर्ष 1971 में भी युद्ध हुए, उसमें और 10,065 परिवार विस्थापित हुए। कुल मिला कर वर्ष 1948, 1965 और 1971 इन तीनों युद्धों में 41,844 परिवार विस्थापित हुए। मैं विस्थापितों की स्थिति के बारे में बाद में बात करूंगा। यह बिल उनको अधिकार देने का बिल है, यह बिल उनको प्रतिनिधित्व देने का बिल है। आज वे लोग ऐसी स्थिति में नहीं है कि वे वहां चुनाव लड़ कर वहां की असेम्बली में बैठें। जो कहते हैं कि क्या हुआ - धारा 370 का? कहां हुआ 5 अगस्त और 6 अगस्त तो 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 में यह हुआ कि इनकी सालों से न सुनने वाली आवाज नरेन्द्र मोदी जी ने सुनी और आज उनको अधिकार मिला।

मान्यवर, जिस 5 अगस्त और 6 अगस्त, 2019 का बिल कुछ लोगों को जूते में पड़े कंकड़ की तरह खटकता है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इसी बिल का हिस्सा न्यायिक डिलिमिटेशन था। यह

एक शब्द नहीं है बल्कि यह दो शब्द जोड़ कर बना है। क्योंकि पहले जो डिलिमिटेशन हुआ था, वह इस तरह से था कि एक कॉंस्टीटूएंसी यहां बनी है और दूसरा, वह कॉंस्टीटूएंसी का हिस्सा 15 किलोमीटर दूर है क्यों, क्योंकि मुझे चुनाव जीतना है। इस तरह से डिलिमिटेशन हुआ। यह डिलिमिटेशन के सामने मैंने जान-बूझकर एज ए लेजिस्लेटर न्यायिक डिलिमिटेशन लिखा था, वह आज मैं सदन को बताना चाहता हूं। डिलिमिटेशन कमीशन, डिलिमिटेशन और डिमार्केटेड असेम्बली, यह लोकतंत्र का मूल है, जनप्रतिनिधि को चुनने की इकाई तय करने की प्रक्रिया है। असेम्बली जो बनती है, वहीं से मतदाता अपना प्रतिनिधि विधान सभा में भेजते हैं। अगर डिलिमिटेशन की प्रक्रिया ही पवित्र नहीं है, तो लोकतंत्र कभी पवित्र नहीं रह सकता। इसलिए हमने इस बिल के अंदर व्यवस्था की थी कि डिलिमिटेशन, न्यायिक डिलिमिटेशन फिर से किया जाएगा। सभी की सुनवाई हुई, डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू-कश्मीर में सब जगह पर गया। अंतिम जिले से लेकर पहले जिले तक, सब जगह घूमे। कई समुदायों के प्रतिनिधियों ने इनको आवदेन-पत्र दिए थे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से आए हुए लोगों ने भी दिए थे और कश्मीर घाटी से भाग कर जम्मू में शरण लेने वाले लोगों ने तथा कश्मीर घाटी से भाग कर देश भर में फैले हुए कश्मीरियों ने भी आवदेन दिए थे कि हमारे प्रतिनिधित्व का डिलिमिटेशन कमीशन संज्ञान लें।

मान्यवर, मुझे आनंद है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने इसका संज्ञान लिया। भारत के इलैक्शन कमिश्नर ने विधान सभा में दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए नामांकन की जा सकें और ऑक्युपाइड कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान लेकर बैठा है, वहां से विस्थापितों लोगों में से एक व्यक्ति को नोमिनेट करना पड़ेगा। यह इसका एक भाग है। अब इसमें क्या है, पहले भी मिलता था। नहीं, पहले नहीं मिलता था। पहले सिर्फ जरूरत लगे या प्रतिनिधित्व न हो, तो महिलाओं को दो सीट दी जाती थीं। तीन सीटें अपॉइंट करने की डिलिमिटेशन कमीशन की जो सिफारिश है, उसको बिल में परिवर्तित करके, कानूनीजामा पहनाकर आज मैं इस महान सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं।

मान्यवर, इसमें से दो सीटें कश्मीरी विस्थापितों के लिए होंगी, जो घाटी से विस्थापित हुए हैं और एक सीट पाक ऑक्युपाइड जम्मू-कश्मीर के विस्थापित व्यक्तियों के लिए नामित की जाएगी। इसमें

से एक महिला का होना जरूरी है। इस प्रकार एक कानूनी सुधार लेकर आज मैं यहां पर आया हूं। डिलिमिटेशन कमीशन के इतिहास में पहली बार 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब्स (एसटी) के लिए आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 16 सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो नई स्कीम बनी है, जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, यह भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थीं, अब 43 हुई हैं। कश्मीर में पहले 46 थीं, अब 47 हुई हैं और पाक आक्युपाइड कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वह हमारा है, हमने रिजर्व रखी हैं। इस तरह से पहले 107 सीटें जम्मू**-**कश्मीर विधान सभा में थीं, अब 114 सीटें हुई हैं। पहले 2 नोमिनेटेड मैम्बर हुए करते थे, अब **5** नोमिनेटेड मैम्बर होंगे। जम्मू-कश्मीर के कानून के हिसाब से दो महिलाओं को उप राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है और धारा 15 के अनुसार किया जाता है। अब इसमें कश्मीरी प्रवासियों में से दो, जिसमें से एक महिला और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से एक नामांकन किया जाएगा।

मान्यवर, यह इसलिए सम्भव हुआ है कि 5 और 6 अगस्त को यह ऐतिहासिक बिल नरेन्द्र भाई ने कैबिनेट में पारित किया और इस सदन ने इसकी परमिशन दी, इसको मान्यता दी तथा अनुच्छेद 370 चला गया। डिलिमिटेशन कमीशन इसी का हिस्सा था।

मान्यवर, सुरक्षा के परिदृश्य पर मैं बाद में बात करूंगा। ढेर सारे सदस्यों ने इसकी चिंता भी व्यक्त की है। मैं भी चिंतित हूं, परन्तु क्या हुआ है**,** वह बताना मेरा फर्ज है। क्योंकि एक ओर से रिकॉर्ड पर चीजें आ गई हैं**,** तो मुझे जवाब तो जरूर उसका देना पड़ेगा।

आज धारा 370 हटने के बाद क्या विकास हुआ, आतंकवाद तो अब भी चल रहा है, कश्मीरियत का कितना नुकसान हुआ, इन सारे सवालों के जवाब, मैं बहुत ही डिटेल में दूँगा। ये जो दोनों संशोधन हैं, आने वाले दिनों में इतिहास इस सदन के प्रयास को और इस सदन के आशीर्वाद को हर कश्मीरी, जो प्रताड़ित है, वह याद रखेगा, हर कश्मीरी, जो पिछड़ा है, वह इस बात को याद रखेगा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने सत्तर साल से दर-दर की ठोकरें खाने वाले भटकते हुए अपने ही देश के भाइयों-बहनों को न्याय दिलाने के लिए, उनके लिए दो सीटों का रिज़र्वेशन दिया और अपना देश छोड़कर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के यहाँ शरणार्थी बने हुए लोगों को रिज़र्वेशन दिया। जो लोग डिप्राइव्ड थे, ऐसे

कमजोर लोगों के लिए अपमानित करने वाले शब्द की जगह 'पिछड़ा वर्ग' का संवैधानिक शब्द इनके लिए रखकर आज यह बिल लाया गया है।

इन्होंने क्या कहा? कई सदस्यों ने पूछा कि विस्थापितों के लिए क्या हुआ है? इनको रिज़र्वेशन देने से क्या होगा? उनको रिज़र्वेशन देने से उनकी आवाज़ कश्मीर की विधान सभा में गूँजेगी और यदि फिर से कोई ऐसी स्थिति करने जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। वे उसको रोकेंगे क्योंकि वहाँ उनकी आवाज़ होगी।

मान्यवर, इसके अलावा आज 5,675 कश्मीरी विस्थापित परिवार रोज़गार पैकेज का फायदा उठा रहे हैं। ऐसे कर्मचारियों के लिए छ: हजार फ्लैट्स बनाने का प्रोजेक्ट था, जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह वर्ष 2015 से शुरू हुआ था। अब राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद लगभग 880 फ्लैट्स वहाँ बन गये हैं और उनको हैंडओवर करने की प्रक्रिया चालू है। इनकी ऑनलाइन शिकायत संबंधी निवारण का पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण कानून, यहाँ पर कश्मीर के जो सांसद बैठे हैं, मैं उनको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं- क्या हुआ, क्या हुआ, उनको मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। जब आतंकवाद चालू हुआ, लोगों को निशाना बनाकर जब उनको वहाँ से भगाने का काम शुरू हुआ, तो घड़ियाली आँसू बहाने वाले लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, शब्दों से सांत्वना देने वाले नेताओं को मैंने बहुत देखा है, मगर नरेन्द्र मोदी एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्होंने इनके आँसू सार्थक रूप से पोंछने का काम किया है।

मान्यवर, हम उनकी पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो लोग अपनी जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी वहाँ छोड़कर देश के विभिन्न हिस्सों में, बेंगलुरू, अहमदाबाद, दिल्ली और जम्मू में कैम्पों में रहे हैं, वे अपने स्तर से बहुत नीचे का जीवन जी रहे हैं। हम उनकी पीड़ा की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वे वहाँ से भागे, तो उनकी करोड़ों रुपए की सम्पत्ति किसी ने कब्जा ली। उनकी सम्पत्ति कब्जा लेने के बाद उनसे कहा कि अब तुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं जो देता हूँ, वह ले लो। एक प्रकार से, औने-पौने दाम में करोड़ों रुपए की सम्पत्ति छीन ली गई और प्रशासन चुपचाप बैठा रहा। इसके विरुद्ध कोई कदम नहीं उठाया गया।

मान्यवर, हमने इसका रास्ता ढूंढ़ा। एक नया पोर्टल बनाया और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उनको वह वापस देने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। ये पूछते हैं क्या हुआ। क्या हुआ था, मैंने वह भी बताया और अब क्या हुआ है, मैंने वह भी बताया। आप लोगों ने बहुत बोला है, आज आप सुनने के लिए थोड़ा धैर्य रखना। आप लोग धैर्य रखकर सुनना। मेरा निवेदन है कि जितने लोग भी बैठे हैं, वैसे तो कम लोग ही बैठे हैं, फिर भी जो बैठे हैं, वे चले न जाएं।

मान्यवर, लगभग 1.6 लाख लोगों को अधिवास प्रमाणपत्र देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रति व्यक्ति 3,250 रुपए कैश राहत के रूप में दिये जाते हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 13 हजार रुपए प्रति परिवार है। इसके अलावा, प्रति व्यक्ति 9 किलो चावल, 2 किलो आटा और 1 किलो मासिक चीनी देने का काम हमारी सरकार करती है।

पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग आए थे, उनको एकमुश्त 5,50,000 रुपए एक साथ देने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है। … (व्यवधान) जो लोग कहते थे कि क्या हुआ? साहब, आप तो मूल से ही कटे हो। जब मूल के साथ संपर्क ही नहीं, तो कैसे मालूम पड़ेगा कि क्या बदलाव हुआ है? इंग्लैंड में वैकेशन करके जम्मू कश्मीर के बदलाव का अनुभव नहीं कर सकते। … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : आप किसके बारे में कह रहे हैं? … (व्यवधान)

श्री अमित शाह : दादा, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, आप बैठ जाइए। आप कहां कश्मीरी हैं? … (व्यवधान)

मान्यवर, एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया गया। सहभागिता की बहुत एप्रोच बैकवर्ड क्लास कमीशन ने ली। हितधारकों के साथ कई दौर की बैठकें कीं। 198 प्रतिनिधि मंडल और 16,000 लोगों की सुनवाई हुई। 750 दिन यह प्रकिया चली। सभी 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जाकर यह सुनवाई की गई। लगभग 26,000 से ज्यादा पोस्ट में मिली हुई लिखित अर्जियों को भी संज्ञान में ले लिया गया और जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, जो अभी आया है, उसमें से एक मूल तत्व, बाकी के दो बिल तो

शेड्यूल ट्राइब डिपार्टमेंट और पिछड़ा वर्ग डिपार्टमेंट लेकर आएंगे, मगर अभी एक तत्वत: पार किया है, बदलाव किया है। जो मूसदी साहब कह रहे थे कि पहले भी था। हां था, पहले भी था, परंतु कमजोर वर्गों के लिए था। इसकी जगह संवैधानिक नाम 'अन्य पिछड़ा वर्ग' देकर उनका सम्मान करने का काम श्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। … (व्यवधान)

यहां कांग्रेस के ढेर सारे मित्र बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास करते हैं। कुछ नेता होते हैं, जिनको कुछ लिखकर हाथ में पकड़ा दो, तो छ: महीने तक नया कागज न आए, तब भी वही बोलते रहते हैं - बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास। भाई, पहले अपना इतिहास तो देखो।

मान्यवर, मैं ऐतिहासिक सत्य के साथ इस सदन के अंदर यह स्टेटमेंट देने में झिझक नहीं रहा हूं कि बैकवर्ड क्लास का सबसे बड़ा विरोध और बैकवर्ड क्लास को रोकने का काम किसी एक पार्टी ने किया है, तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आज इस पवित्र सदन के अंदर खड़े रहकर पूछना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल से संवैधानिक मान्यता नहीं दी जाती थी। क्यों नहीं दी जाती थी? क्यों उनको यह सम्मान नहीं मिलता था? जबकि संविधान का यह मेनडेट था, मगर नहीं दिया गया। … (व्यवधान) श्री नरेन्द्र मोदी जी ने इसको संवैधानिक मान्यता देने का काम किया। … (व्यवधान)

मान्यवर, मैं आज इस सदन के अंदर पूछना चाहता हूं कि जो आम सभाओं में बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास, बैकवर्ड क्लास करते घूमते हैं, मैं फिर से कहता हूं कि उनको मालूम नहीं है कि उनकी पार्टी ने क्या किया है? किसने काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट रोककर रखी, वह जवाब देना चाहिए। देश की जनता को मालूम पड़ना चाहिए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट तक, जब तक ये सत्ता के बाहर नहीं गए, तब तक लागू नहीं हुई और बाद में लागू हुई भी तो विपक्ष के नेता के नाते स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने इसका विरोध किया। … (व्यवधान) आज ये बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं? … (व्यवधान) सेंट्रल एडमिशन स्कीम के अंदर बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन देने का काम कांग्रेस पार्टी ने कभी भी नहीं किया। केवल और केवल श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने यह काम किया। … (व्यवधान) सैनिक स्कूलों में भी दिया जाता है, नीट के अंदर भी दिया जाता है और सेंट्रल

स्कूल्स के अंदर भी पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए सम्मान के साथ पढ़ने की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है। ... (व्यवधान)

मान्यवर, आप इनको बैठा दीजिए। ... (व्यवधान) अब तक ये डिप्राइव्ड लोगों की बात करते हैं। अब तक ईडब्ल्यूएस – इकोनॉमिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने की बात कभी नहीं सोची गई। पहली बार श्री नरेन्द्र मोदी जी ने अनारक्षित जातियों के गरीब बच्चों को दस प्रतिशत रिजर्वेशन देने का काम किया।

मान्यवर, आज यह नामकरण में भिन्नता से क्या होता है, यह इनको मालूम नहीं है। इनको मालूम नहीं है। मानो मेरी माँ का नाम कुसुम है, मैं उनको कुसुम बोलता हूँ और माँ कहता हूँ, दोनों के बीच में कितना अंतर है, यह माँ को ही मालूम पड़ता है और किसी को मालूम नहीं पड़ता है। नाम तो वही है, व्यक्ति वही है, मगर किस भाव से बुलाया जाता है, जब बच्चा माँ कहकर बुलाता है तो जो प्यार, स्नेह और वात्सल्य आता है, वह माँ कहने से ही आता है, नाम से नहीं आता है। ये यह नहीं समझ पाएंगे। यह भाषा का सुधार नहीं है, यह कॉन्सेप्ट का सुधार है, नजरिये का सुझाव है और देखने के दृष्टिकोण का सुझाव है, जो नरेन्द्र मोदी सरकार कर रही है।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आप यह बताइए कि आप कास्ट सेंसस करवाओगे या नहीं करवाओगे।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अधीर रंजन जी, मैं एक बात कह रहा था कि एक नेता लिखा हुआ पढ़ते ही रह गए, पढ़ते ही रह गए। तुम भी वह स्क्रिप्ट पढ़ने लगे। ऐसा मत करो। अधीर रंजन जी, ऐसा मत करिए। आप माननीय विपक्ष के नेता हैं।... (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: आप भी तो कुछ पढ़ रहे हो।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं जरा सा भी लिखा हुआ नहीं पढ़ता हूँ।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। माननीय अधीर रंजन जी, वे आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं। कृपया, आप बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि मेरे 32 साल किसी न किसी सदन में हो गए, मैंने आज तक कभी लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं है। मैं मन की गहराइयों से बोलता हूँ। मेरे हाथ में जो कागज होता है, वह आंकड़ों और तथ्यों को रैफर करने के लिए होता है, क्योंकि मैं जिम्मेदारी के साथ यहाँ बोलता हूँ… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या कोट करना संविधान में गलत माना गया है? क्या आप यह भी बंद करा दोगे?

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृप्या बैठिए।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, यह विधेयक नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा लाया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा देश में लाए हुए सैंकड़ों सकारात्मक**,** परिवर्तनकारी, प्रगतिशील परिवर्तनों की कड़ी में एक और मोती जोड़ने का काम यह विधेयक करेगा। इसीलिए मैं आज इस सदन से आशीर्वाद माँगने आया हूँ।… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : चुनाव कब होगा, यह बता दीजिए।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : दादा, धैर्य से सुनना पड़ेगा, अंत में बताऊँगा।… (व्यवधान) अंत में बताऊँगा, तब तक आप टोके बगैर बैठिए।… (व्यवधान)

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने वाद के अंदर कुछ कानूनी और संवैधानिक मुद्दे खड़े कर दिए। पहले एक मोरल बात लाए कि जिस कानून के अंदर आप अमेंडमेंट लेकर आए हो, वह कानून ही कोर्ट के सामने चैलेंज में है। मसूदी साहब तो हाई कोर्ट के जज रहे हैं, विद्वान न्यायाधीश रहे हैं। अधिवक्ता अच्छे ही होंगे, तभी तो जज बने होंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि धारा 370 भी काफी साल तक चैलेंज में रही। क्यों नहीं रोका उसको? जब चैलेंज में थी तो धारा 370 को क्यों नहीं रोका गया? आज आपको कानून की मर्यादाएं याद आ रही हैं। फिर भी मैं स्पष्टता करना चाहता हूँ, आपकी ही पिटीशन है, आप पिटीशनर हो, इस पर स्टे माँगा गया था, स्टे पर बहस हुई, न्यायाधीशों ने सुनवाई करके स्टे देने से

इनकार किया।... (व्यवधान) स्टे देने से इनकार किया। मैं बहुत जवाबदेही के साथ यहाँ बोल रहा हूँ। कोई स्टे नहीं है।... (व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी : एडमिट किया है। एडमिट खुद ही यह होता है।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : नहीं-नहीं, पिटीशन एडमिट होने से कुछ नहीं होता है, स्टे करना पड़ता है। आर्डर में स्टे करना पड़ता है।... (व्यवधान) साहब, आप तो जज रहे हैं, ऊपर वाले से तो डरिए। फारूख साहब से इतना मत डरिए।

डॉ. फारूख अब्दुल्ला (श्रीनगर): होम मिनिस्टर साहब, माफी मांगता हूं, मैं किसी को डराता नहीं हूं।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : फिर भी डरते हैं।... (व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : मेरा काम डराना नहीं है। आप लोगों का काम है डराना। हम डराते नहीं हैं। आपने जो कहा है, उसका जवाब मैं आपके बाद दूंगा।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : आप नियमों के अनुसार नहीं दे सकते हैं।... (व्यवधान) मान्यवर, जब कोई भी पेटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने जाती है, यदि सुप्रीम कोर्ट उस पर स्टे नहीं देता है तब तक यथास्थिति बनती है और यथास्थिति यह है कि राष्ट्रपति महोदय ने कानून को बनाने का काम पूर्ण कर दिया है। यही यथास्थिति है और इसके अंदर मैं अमेंडमेंट लेकर किसी भी समय आ सकता हूं।... (व्यवधान)

सरदार सिमरन जीत सिंह मान : आप देश के होम मिनिस्टर हैं। आप इतने गुस्से में क्यों बोलते हैं? ... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, उसके बाद मनीष तिवारी जी के द्वारा कहा गया कि अनुच्छेद 3 में कहीं पर भी यूटी का प्रावधान नहीं है। मान्यवर, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बहुत बड़ी बात माननीय सदस्य ने कही है। मैं अनुच्छेद 3 को इस सदन में पढ़ना चाहता हूं – 'नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन' यह अनुच्छेद की मूल बात है। इसके अंदर आगे 'क - किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करने अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण देश

की संसद कर पाएगी।' मनीष जी ने कहा कि यूटी नहीं है, यूटी का इसमें प्रोविजन नहीं है। शायद उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं है या जानबूझ कर आगे सदन को बताया नहीं। आर्टिकल 3 के नीचे ही स्पष्टीकरण है। इस अनुच्छेद के खंड 'क' से 'ड' में, जिसमें सारी चीजें आती हैं – 'राज्य के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र समाहित है।' वहां राज्य का मतलब संघ राज्य क्षेत्र अपने आप हो जाता है। मैं मनीष जी को थोड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि इतना बड़ा गैर कानूनी काम कम से कम नरेन्द्र मोदी सरकार नहीं कर सकती है। यह कोई इंदिरा गांधी की सरकार नहीं है, जो इस प्रकार के कानून लेकर आए।… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मैं कभी किसी के बीच में नहीं बोलता हूं।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : अभी बहस नहीं हो सकती है। बाद में सवाल… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : आपने नाम लेकर कहा है, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मैं बाद में आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा। अभी आप बैठ जाएं।… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : लेकिन, आपने अभी कहा है कि नियम के अनुसार आपके बाद कोई बोल नहीं सकता है।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मनीश जी, मैं प्रश्न ले सकता हूं। मैं अध्यक्ष जी को अभी कहता हूं कि बाद में मनीष जी का प्रश्न लें।… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, यदि आप अनुमति देने के लिए तैयार हैं, तो ठीक है।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : ठीक है, यह भी नियमों के अंदर।

मान्यवर, बाद में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 3 के परन्तुक को निलम्बित करके राष्ट्रपति शासन लगाया, क्योंकि यह प्री डिजाइन था। मान्यवर, मेरे पास लिस्ट है। आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन वर्ष 1973 में लगा, हम नहीं थे। कांग्रेस की सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। अरूणाचल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया, परन्तुक निलम्बित किया गया, वर्ष 1981 में आंध्र प्रदेश में इनकी सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1990 में भी परन्तुक निलम्बित किया गया था। बिहार में वर्ष 1969 कांग्रेस की सरकार थी, परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1972 परन्तुक निलम्बित किया गया था। वर्ष 1977 परन्तुक निलम्बित किया गया था। फिर गोवा, वर्ष 1990 परन्तुक

निलम्बित किया गया था। मेरे पास लगभग-लगभग 27 राज्यों के 50 से ज्यादा आंकड़े हैं। एक भी राज्य में परन्तुक निलम्बित किए बिना राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया है।... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, आप अब मुझे दो मिनट का समय बोलने के लिए दीजिए, क्योंकि यह संवैधानिक सवाल है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : टाइम तो मैं दूंगा ना।

... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : मान्यवर, मैंने उनको कहा है कि सवाल पूछने दूंगा, वे क्यों इतने विचलित हो रहे हैं?... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मेरे पास सात प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन हैं। उन छ: प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन्स की लैंग्वेज एक है और जम्मू-कश्मीर के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज अलग है। मैं आपको अभी डिमॉन्सट्रेट कर सकता हूं।... (व्यवधान) मैं आपको अभी पढ़ कर सुनाता हूं।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : इस पर बहस ही नहीं है कि लैंग्वेज क्या है, बहस इस पर है कि अनुच्छेद-3 के परंतुक को, जिसमें असेम्बली की पावर यहां पर आती है, इसको निलंबित किया गया है या नहीं किया गया है? हम एक लिमिटेड क्वैश्चन पर हैं। यह बात कहां है? इसकी बात कहां खड़ी होती है?... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : अध्यक्ष जी, मुझे बस दो मिनट पढ़ने का समय दीजिए।... (व्यवधान)

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, मुझे संरक्षण दीजिए, इस तरह से बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीश तिवारी जी, आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

... (व्यवधान)... *

श्री अमित शाह : माननीय अध्यक्ष जी, कृपया आप मुझे व्यवस्था दीजिए। इस तरह से ऐसे महत्वपूर्ण बिल का जवाब नहीं दिया जा सकता है।... (व्यवधान)

---

* Not recorded.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैंने आपको कहा कि मैं आपको सवाल पूछने का मौका दूंगा। प्लीज़, आप बैठ जाइए।

माननीय गृह मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : स्पीकर साहब, मैं दोबारा यह बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि बाकी प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज डिफरेंट है और जम्मू-कश्मीर के प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन की लैंग्वेज डिफरेंट है।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय राम कृपाल जी, प्लीज़, आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मनी**श** तिवारी जी, प्लीज़, आप बैठ जाइए।

श्री अमित शाह: मान्यवर, ढेर सारे सदस्यों ने जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद की चिंता का जिक्र किया। वे चिंतित भी थे। यह अच्छी बात है कि चिंता हो रही है, यह होनी भी चाहिए, सभी को होनी चाहिए। उन्होंने सीधा-सीधा इसे आर्टिकल-370 के निरस्त करने से जोड़ा। उन्होंने कहा, क्या हुआ**,** अभी भी आतंकवाद चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले सेना के कुछ जवान शहीद हो गए।… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : केवल जवान नहीं, मेजर, लेफ्टिनेंट जनरल शहीद हुए।… (व्यवधान)

श्री अमित शाह : सेना के ऑफिसर्स, जवान शहीद हो गए, कुछ घटनाएं भी हुईं।

मान्यवर, किसी ने भी नहीं कहा था कि आर्टिकल-370 के जाने के बाद कश्मीर में आतंकवाद समाप्त हो जाएगा।

श्री अधीर रंजन चौधरी : सदन के अन्दर आपने ही कहा था।

श्री अमित शाह : मैंने कहा था कि आतंकवाद का मूल कारण आर्टिकल-370 के कारण खड़ी हुई अलगाववाद की भावना है, आर्टिकल-370 के जाने से अलगाववाद में बहुत बड़ी कमी आने वाली है और इसके कारण आतंकवादी भावनाओं में कमी आएगी। अधीर रंजन जी, यह तो रिकॉर्ड की बात है।

मान्यवर, अब मैं वर्ष 1994 से लेकर वर्ष 2004 के कालखण्ड के बारे में बताता हूं। इसमें किसका शासन था, इस पर मैं नहीं जा रहा हूं, बल्कि मैं कालखण्ड के बारे में बता रहा हूं। इसके बीच कई शासन आए हैं। इस दौरान आतंकवाद की कुल घटनाएं 40,364 हुईं। इसमें छोटी-छोटी घटनाएं भी हैं और कुछ बड़ी घटनाएं भी हैं। वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक मनमोहन जी और सोनिया जी के शासन का समय था। इस दौरान आतंकवाद की घटनाएं 7,217 हुईं। नरेन्द्र मोदी सरकार में, वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2023 तक ये सिर्फ 2,000 हुईं। इनमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। इसे मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं। ये जो 2,197 हुई हैं, इसमें 45 प्रतिशत घटनाएं पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई के कारण घटित हुई हैं। इसका मतलब कि अगर यह सूचना मिलती है कि वहां आतंकवादी छिपा है, पुलिस उस पर हमला करती है, तब भी वह आतंकवादी मुठभेड़ माना जाता है। वर्ष 2004-2014 की तुलना में वर्ष 2014-2023 में 70 प्रतिशत की कमी आई है। नागरिकों की मृत्यु के अन्दर 81 प्रतिशत की कमी आई है और सिक्योरिटी फोर्सेज़ की मृत्यु में 48 प्रतिशत की कमी नरेन्द्र मोदी सरकार में आई है। इसलिए मैं कहता हूं, मैं ठीक ही कहता था कि अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान आर्टिकल-370 है, अगर वह जाएगा तो अलगाववाद की भावना ओवर-ए-पीरियड-ऑफ-टाइम खत्म होगी और आतंकवाद भी खत्म होगा।

कल पथराव की बात हुई। मैंने दो साल लिए हैं। वर्ष 2010 में 2654 पथराव की घटनाएं हुई थीं, वर्ष 2023 में यह ज़ीरो थी। एक भी पथराव की घटना नहीं हुई।

जो ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल होती थी, जो कॉल देकर होती थी, पाकिस्तान से उनके आका कॉल देते थे और कश्मीर घाटी और जम्मू में बंद हो जाता था। वर्ष 2010 में ऐसी 132 ऑर्गेनाइज्ड हड़तालें हुई थीं और वर्ष 2023 में एक भी हड़ताल नहीं हुई, एक भी बंद नहीं हुआ।

मान्यवर, वर्ष 2010 में पथराव में नागरिकों की मृत्यु 112 हुई थीं, वर्ष 2023 में चूंकि पथराव ही नहीं हुआ है तो इससे कोई भी इन्जर्ड नहीं हुआ, कोई भी मृत्यु नहीं हुई।

मान्यवर, पथराव में नागरिकों की मृत्यु वर्ष 2010 में 112 हुई थीं, तथा 2023 में, चूंकि पथराव नहीं हुआ है तो no injured, no deaths. मान्यवर, सिक्योरिटी फोर्सेज़ के कर्मचारी, पथराव के कारण

6,235 लोग इंजर्ड हुए थे, इस बार चूंकि पथराव ही नहीं हुआ है तो ज़ीरो इंजर्ड है। क्या बदलाव हुआ है? इनको मैं कहता हूँ कि यह बदलाव हुआ है। अरे! इसी सदन में रह कर सारी मर्यादाएं तोड़ कर अगर अनुच्छेद 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी, ऐसा कहते थे। खून की नदियां तो छोड़ो, कंकर चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है, इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है।

मान्यवर, सीज़फायर के वायलेशन की घटना, वर्ष 2010 में 70 थीं, वहीं वर्ष 2023 में 6 ही घटनाएं हुई हैं। घुसपैठ के प्रयास की घटनाएं, वर्ष 2010 में 489 थीं, वहीं वर्ष 2023 में सिर्फ 48 ही हैं। वहीं वर्ष 2010 में 112 आतंकवादी मारे गए थे। कुल मिला कर एवरेज़ निकाल दें तो 278 आतंकवादी मारे गए हैं।

मान्यवर, पहले 18 वापस लौटे थे, अब 281 लोग पाकिस्तान लौट गए हैं। … (व्यवधान) मान्यवर, यह सब ऐसे ही नहीं हुआ है। जम्मू-कश्मीर के लोगों की सुरक्षा और उनको जीवन की क्वालिटी सुधारने के लिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अथाह परिश्रम किया है।

मान्यवर, गृह मंत्रालय हर माह यहां पर सिक्योरिटी रिव्यु करता है और हर 3 माह में मैं वहां जा कर सिक्योरिटी रिव्यु करता हूँ।

मान्यवर, एक जीरो टेरर प्लान बनाया गया है, जिसको हमने इम्पिलिमेंटेशन में लाया है। 3 सालों से वह प्लान एक्शन में है। मान्यवर, मुझे पूरा भरोसा है कि वर्ष 2024 के बाद फिर से मोदी जी आने वाले हैं। वर्ष 2026 आते-आते जीरो टेरर प्लान 100 प्रतिशत लागू होगा।

मान्यवर, इसके साथ-साथ कम्पलीट एरिया डोमिनेशन का प्लान बनाया है, वह भी वर्ष 2026 तक समाप्त हो जाएगा। और पहले सिर्फ टेररिस्टों को मारते थे, हमने इसके ईको सिस्टम को खत्म किया है। इसके साथ-साथ टेरर फाइनेंस पर इको सिस्टम को खत्म करने के लिए केस किए हैं। एनआईए ने 32 केस किए हैं, जिसमें कुछ पार्टियां बड़ा अरण्यरोदन कर रही हैं, हाय-तौबा कर रही हैं कि क्यों केस हो रहे हैं – क्यों केस हो रहे हैं। केस इसलिए हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से पैसा आ रहा है और यह परमिटेड नहीं है। यह नरेंद्र मोदी सरकार है, यह नहीं चलेगा। एनआईए के द्वारा 32 केस हुए, एसआईए द्वारा 51 केस हुए। 83 केस टेरर फण्डिंग और फाइनेंस के हुए हैं। लगभग-लगभग 229 अरेस्ट हुए हैं।

150 करोड़ रुपये मूल्य की 57 प्रापर्टीज़ को सीज़ कर के नीलामी के लिए कोर्ट के सामने दस्तावेज़ उपलब्ध किए गए हैं। 134 बैंक अकाउंट्स सील किए गए हैं, जिसमें 1.22 करोड़ रुपये सीज़ हुए हैं और साढ़े 5 करोड़ रुपये कैश सीज़ हुए हैं। मान्यवर, ये लोग कहते थे कि क्या फर्क पड़ा है। अब्दुल्ला साहब यहां बैठे हुए हैं। अब्दुल्ला, साहब जब आपने मुख्य मंत्री पद छोड़ा, तब से ले कर मोदी जी प्रधान मंत्री बने, तब तक, 2019 तक जम्मू-कश्मीर में थिएटर नहीं चलते थे। यह पूरे देश को मालूम ही नहीं है कि जम्मू कश्मीर में सिनेमा के थिएटर चलते ही नहीं थे। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद, वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर में पहला थिएटर शुरू हुआ और वह भी 30 सालों के बाद हुआ। ये लोग पूछते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यह परिवर्तन हुआ है। श्रीनगर में एक मल्टीप्लेक्स बना, पुलवामा, शोपियां, बारामुला, हंदवाड़ा में चार नए थिएटर खुले हैं। 100 से अधिक फिल्मों की शूटिंग फिर से शुरू हो गई। जो फारुख साहब ने अंतिम देखा होगा, बाद में किसी ने नहीं देखा होगा, अब शूटिंग शुरू हो गई है। अब लगभग-लगभग 100 मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन्स के प्रस्ताव आज बैंक में पेंडिंग पड़े हैं। मान्यवर, ये सब इंडिकेटर्स हैं। थिएटर खोलने की स्थिति ही नहीं थी। मुझे बताओ कि क्यों बंद करने पड़े थे?

ऐसा तो है नहीं कि जम्मू-कश्मीर में कोई पिक्चर देखना नहीं चाहता है। वहां आराम से पिक्चर देखे जाते थे, मगर थियेटर बंद करने पड़े थे।

मान्यवर, ऐसा कहते थे कि क्या हुआ था कि आर्टिकल 370 खत्म करना पड़ा। 45 हजार लोगों की मृत्यु हुई। मैं मानता हूं कि 45 हजार लोगों के मृत्यु की जिम्मेदार यह आर्टिकल 370 थी, जिसे नरेन्द्र मोदी ने उखाड़ कर फेंक दिया।

मान्यवर, ढेर सारे परिवर्तन हुए। जो पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं इसका जवाब देने के लिए खड़ा हूं। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पहले एक अलग संविधान, अलग ध्वज और एक जमाने में दो अलग-अलग राजधानियाँ हुआ करती थीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जिस उद्देश्य के लिए जान दे दी, कुछ सदस्यों ने इसको पोलिटिकल नारा कहा, लेकिन यह पोलिटिकल नारा नहीं, बल्कि इस देश की इच्छा है। इस देश में दो संविधान न हों, दो प्रधानमंत्री न हों, दो झंडे न हों - देश का झंडा, देश का निशान एक ही होना

चाहिए। एक ही निशान के तले पूरा देश होना चाहिए। कुछ सदस्यों ने कहा कि हमसे वादा किया गया था, लेकिन वादा किससे किया था? अंग्रेजों ने जो स्कीम बनाई थी, आजादी के वक्त कांग्रेस ने जिस स्कीम को अप्रूव किया, उसमें पूरा अधिकार महाराजा का था। देश भर में कहीं तो पब्लिक को नहीं पूछा गया, तो क्यों जम्मू-कश्मीर में पूछना? मैं वादे की भी बात करता हूं। चलो, हम मान लेते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं ने वादा किया था, मगर आप आधा-अधूरा पढ़ते हैं, इसलिए कंफ्यूजन होता है। आर्टिकल 370 के ऊपर टेम्परेरी प्रोविजन लिखा गया था। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, क्या आजीवन अधिकार होता है? ना जी, यह कब का जाना चाहिए था, इसके लिए हिम्मत नहीं थी। नरेन्द्र मोदी जी ने हिम्मत की और आर्टिकल 370 को समाप्त किया। कोई वादाखिलाफी नहीं है। संविधान का स्पिरिट था कि आर्टिकल 370 टेम्परेरी है। इस टेम्परेरी का दिन ही नहीं आता था। मोदी जी ने पाँच अगस्त को वह दिन ला दिया और जो टेम्परेरी था, वह चला गया।

मान्यवर, पहली बार कश्मीरी, डोगरी, हिन्दी, अंग्रेजी और उर्दू राज्य की अधिकारिक भाषाएं बनाई गईं… (व्यवधान)

SARDAR SIMRANJIT SINGH MANN: What about Punjabi? Punjabi has been excluded … (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: जब उसकी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। आप बैठ जाइए। राइट टू एजूकेशन एक्ट, भूमि अधिग्रहण और मुआवजे का कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट, व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 रोक कर रखे गए थे। ये सभी अब लागू हो गए हैं। वहां की असेम्बली 6 साल की बनाकर रखी थी, अब वह भी पाँच साल की हो गई। कई बड़े बदलाव हुए हैं।

मान्यवर, मैं आज कहना चाहता हूं कि हम भी लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए गए थे, लेकिन रोक दिया गया था। मोदी जी और हमारे उस वक्त के अध्यक्ष मुरली मनोहर जी गए और लाल चौक पर तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आज हर घर तिरंगा फहर रहा है। घाटी का एक भी घर ऐसा नहीं था, जहां पर तिरंगा न फहराए गया हो।

मान्यवर, यह बदलाव हुआ है। आज लाल चौक पर सारे धर्मों के त्योहारों को मनाया जाता है और सारे धर्म के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। संविधान की स्पिरिट को अब नीचे उतारा गया है। जो पूछते हैं कि क्या हुआ, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं।

मान्यवर, मैं उनको जवाब देना चाहता हूं। जब आर्टिकल 370 गया, उसके पहले जीएसडीपी सिर्फ एक लाख 64 करोड़ रुपये थी। आज 2,27,927 करोड़ रुपये की जीएसडीपी है। सिर्फ पाँच साल में डबल हो गया। रोजगारी ढेर सारी बढ़ी है। पहले 94 डिग्री कॉलेजेज थे, अब 147 हो गए। आईआईटी, आईआईएम और दो एम्स बनाए गए। जो सबसे पहला ऐसा राज्य है, जहां दो एम्स दिए गए, वह हमारा जम्मू-कश्मीर है। 70 साल में चार मेडिकल कॉलेज थे, लेकिन अब सात नए मेडिकल कॉलेजेज बनाए गए। 15 नर्सेस कॉलेज बनाए गए। मेडिकल सीट्स 500 थी, अब नई 800 सीट्स जोड़ने का काम आर्टिकल 370 जाने के बाद हुआ है। 367 पीजी की सीट्स थी, उनमें नई 297 सीट्स जोड़ने का काम नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है।

मान्यवर, मिड-डे-मील लगभग 6 लाख लोगों को मिलता था, अब 9 लाख 13 हजार लोगों को मिड-डे-मील मिलता है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना की एवरेज 1158 किलोमीटर थी, अब यह 8 हजार 68 किलोमीटर चार साल में हो गई। जो पूछते हैं कि क्या हुआ है, उनको मैं बताता हूं। … (व्यवधान) मैं जवाब देता हूं।

मान्यवर, स्मार्ट सिटी मिशन पहले था ही नहीं। अब 173 काम हुए हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना में 70 सालों में 24 हजार घर दिए गए थे, इन पांच सालों में 1 लाख 45 हजार लोगों को घर देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया। 75 सालों में 4 पीढ़ियों को, 7 लाख 82 हजार लोगों को पीने का पानी पहुंचा चुके थे, अब नये 13 लाख परिवारों को पीने का पानी पहुंचाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है।

मान्यवर, शिशु मृत्यु दर 22 थी, वह कम होकर 16.30 पर लाने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। पहले 47 जनऔषधि केन्द्र थे, उसकी जगह 227 जनऔषधि केन्द्रों पर आज सस्ती दवाइयां वहां पांच सालों में मिल रही हैं।

मान्यवर, स्पोर्ट्स में युवाओं की भागीदारी 2 लाख से बढ़कर 60 लाख तक पहुंची है, क्योंकि अब खेल हो सकते हैं। पेंशन के लाभार्थी 6 लाख से 10 लाख तक पहुंचे हैं। यह सारा परिवर्तन केवल और केवल नरेन्द्र मोदी सरकार ने आर्टिकल 370 जाने के बाद किया है। जो राष्ट्रपति शासन को क्रिटिसाइज करते हैं, मैं उनको बताता हूं। … (व्यवधान) दादा, आप कई बार बंगाल में पहुंच जाते हैं। आप यहां बैठे हुए हैं। आर्टिकल 370 जाने के कारण आतंकवाद घटा है। आतंकवाद कम होने के कारण वहां अच्छा वातावरण तैयार हुआ है, इसी के कारण यह सब डेवलपमेंट हुआ है, वरना आईआईएम न होता, न एम्स होता और कुछ न होता। … (व्यवधान) आप नहीं समझ पायेंगे। जब हमारी सरकार बंगाल में आयेगी, वातावरण सुधरेगा और विकास होगा, तब मालूम होगा कि क्या परिवर्तन हुआ।…(व्यवधान)

मान्यवर, यहां से किसी सदस्य ने कहा, एक शब्द प्रयोग पर बहुत बड़ी आपत्ति की। मैं वह शब्द प्रयोग का अनुमोदन करने के लिए आज अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं उस शब्द प्रयोग को सपोर्ट करना चाहता हूं। वह शब्द प्रयोग था नेहरूवियन ब्लंडर। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना पड़ा। मैं इस सदन में खड़ा होकर आपके आसन के सामने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि दो बड़ी गलतियां, जो पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधान मंत्री काल में हुईं, उनके लिये गये निर्णयों से हुईं, जिसके कारण सालों तक कश्मीर को सहन करना पड़ा। एक सबसे बड़ी गलती, जब हमारी सेना जीत रही थी, पंजाब का एरिया आते ही सीज़ फायर कर दिया गया और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का जन्म हुआ। अगर सीज़फायर तीन दिन लेट होता, तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता।… (व्यवधान) यह बात उस दिन चर्चा में करेंगे। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वे किसी का अपमान नहीं कर रहे हैं, संदर्भ बता रहे हैं।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मान्यवर, अभी तो एक ही कहा है, दूसरा तो सुनें। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : जब आजादी की लड़ाई हुई थी, तब आप कहां थे?…(व्यवधान)

श्री अमित शाह: मेरा जन्म नहीं हुआ था।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी ने ऑफिसियल स्टेटमेंट दे दिया था। आजादी के समय का पूरा स्टेटमेंट पूर्व में दे दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप एक बार फिर से बता दीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप दूसरा संदर्भ बता दें।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: मैं सिर्फ दो संदर्भ बताना चाहता हूं, पूरा कश्मीर जीते बगैर सीजफायर कर लिया और दूसरा यूएन के अंदर हमारे मसले को ले जाने की बहुत बड़ी गलती की। मैं एक कोट अनकोट पढ़ना चाहता हूं। यह एक पत्र का हिस्सा है,

> "मैंने बहुत सावधानी से आपके द्वारा उठाए गए बिन्दुओं को देखा है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे विचार आपके … (व्यवधान) यूनाइटेड नेशन्स के अनुभव के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि वहां से कुछ संतोषजनक नतीजे की उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे यह एक अच्छा फैसला लगा (सीजफायर)। लेकिन इस मसले को ठीक से नहीं निपटाया गया, हम सीजफायर पर विचार करके कुछ बेहतर मार्ग निकाल सकते थे। मुझे लगता है कि भूतकाल में हमारे द्वारा की गई गलती है।"

इसमें आपत्ति है? आप नहीं आपत्ति कर सकते हैं, स्वयं जवाहर लाल नेहरू ने कहा है। अब मुझे क्या कह रहे हो, नेहरू जी ने स्वयं कहा है। मैं रेफरेंस भी दे देता हूं। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जवाहर लाल नेहरू कलेक्शन जेएनएसजी 143 के अंदर स्वयं जवाहर लाल नेहरू का शेख अब्दुल्ला जी को लिखा हुआ पत्र है कि मेरी गलती थी। मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूं। … (व्यवधान)

सुरेश जी, यह नेहरू जी ने लिखा है, समझते नहीं हैं। अनुवाद हो या नहीं हो रहा है। यह नेहरू जी ने कहा है, मैंने नहीं कहा है। … (व्यवधान) मान्यवर, मैं तो नेहरू जी का कोट पढ़ रहा हूं, ये क्यों

गुस्सा हो रहे हैं। गुस्सा होना है तो नेहरू जी पर होना चाहिए। यह उनका कोट है, ये मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं। मेरी तो समझ में ही नहीं आता है।

मान्यवर, ये ख्वामख्वाह मुझ पर गुस्सा हो रहे हैं, मैंने जो कहा है वह नेहरू जी ने स्वयं शेख अब्दुल्ला जी को लिखा था। आपको गुस्सा होना है तो जवाहर लाल नेहरू जी पर होना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: प्लीज बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): The words which are being used by the Home Minister for Nehruji are not at all matching with the stature of the Home Minister. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, आप बोलिए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सीनियर मैम्बर कह रहे हैं। आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : आपने जसवंत सिंह की बात कही है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपने इस विषय के बारे में बोल लिया था।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्री जी, सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड में जा रही है।

… (व्यवधान)

श्री अमित शाह: जब यूएन में मामला भेजना था, तब भी निर्णय बहुत आनन-फानन में लिया गया। मामले को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 35 की जगह 51 के तहत ले जाना चाहिए था। मेरा तो मत है कि ले जाना ही नहीं चाहिए था, लेकिन अगर ले जाना था तो अनुच्छेद 51 के तहत ले जाना था, लेकिन

इसकी जगह अनुच्छेद 35 में ले गए। कई लोगों के रिकॉर्ड पर सलाह देने के बाद भी निर्णय कर दिया गया कि अनुच्छेद 35 के तहत ले जाएंगे।

महोदय, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो इस देश की भाषा बोलता हूं। इस देश की भाषा तमिल भी है, बंगाली भी है, हिंदी भी है, मराठी भी है, कन्नड़ भी है, तेलुगू भी है, गुजराती भी तो कोई बोल सकता है। आप तमिल में भी बोल सकते हैं, मगर मैं हिंदी में बोलता हूं तो आप अनुवाद ध्यान से नहीं सुनते हैं। मैंने जो कुछ पढ़ा वह जवाहर लाल नेहरू जी ने लिखा है और नेहरू जी ने उसे थोड़ा कम करके लिखा है कि यह मेरी मिस्टेक थी। मिस्टेक नहीं थी, ब्लंडर था। … (व्यवधान) इस देश की इतनी जमीन चली गई, इस देश की इतनी भूमि चली गई, वह ब्लंडर था। … (व्यवधान) ऐतिहासिक ब्लंडर था। … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। … (व्यवधान) क्या आप अपने आपको पंडित नेहरू से बड़ा व्यक्ति समझते हैं? … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शब्दों की व्याख्या को समझें।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: क्या आप भाषाविद् हैं? … (व्यवधान)

श्री गौरव गोगोई : आप इतने बड़े भी नहीं हैं। … (व्यवधान)

15.59 hrs

At this stage, Shri Adhir Ranjan Chowdhury, Shri A. Raja,Shrimati Supriya Sadanand Sule, Prof. Sougata Ray and some other hon. Members left the House.

16.00 hrs

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): एक और क्षेत्र में ब्लंडर शब्द का प्रयोग किया गया है। वह भी जवाहर लाल नेहरू जी के क्षेत्र में है, जो हिमालयन ब्लंडर है। इसके बारे में भी गृह मंत्री जी थोड़ी बात बोल सकते हैं।

श्री अमित शाह : मान्वयर, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि खाली ब्लंडर से वे इतना नाराज हैं, यदि हिमालयन बोलता तो वे इस्तीफा देकर चले जाते। … (व्यवधान)

मान्यवर, हमारी ट्रेजरी बेंच में बैठे हुए मेरे साथी मंत्री जी ने कहा कि अमित भाई, उन्होंने सुबह आपको बताया था कि चले जाएंगे। यह आप पहले से ही कहते थे। मैं बताना चाहूंगा कि मुझे किसी ने नहीं बताया, मेरी ऐसी बात-चीत ऑफ द रिकॉर्ड कभी होती नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि पिछड़ा वर्ग की जब-जब बात आती है, कांग्रेस कभी सहयोग नहीं करती है, सदन छोड़कर चली जाती है। … (व्यवधान) मुझे यहां तक विश्वास था कि पिछड़ा वर्ग को सम्मान देने की बात पर कांग्रेस वोट दे ही नहीं सकती है। वोट देने की न उनको परमिशन है, न उनको मेनडेट है, न उनकी इच्छा है, इसलिए वे चले गए।

मान्यवर, प्रधान मंत्री जी ने वर्ष 2015 में 80 हजार करोड़ रुपये की लागत से 63 परियोजनाएं लागू कीं। 70 सालों तक कश्मीर को इग्नोर किया गया और समग्रता से कश्मीर के विकास के लिए बिजली, इन्फ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट, इरीगेशन, एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, इन सभी चीजों को समाहित करते हुए 63 परियोजनाएं 80 हजार करोड़ की लागत से बनाईं। इसमें 21 हजार करोड़ की लगभग 9 परियोजनाएं लद्दाख की थीं, जो अलग यूटी में चली गईं, परन्तु जम्मू-कश्मीर की यदि बात करें, तो 58 हजार 477 करोड़ रुपये की 32 परियोजनाएं लगभग पूरी हो गई हैं और 58 हजार करोड़ रुपये में से 45 हजार 8 सौ करोड़ रुपये का व्यय हो गया है। वे कह रहे हैं कि इसके लिए क्या हुआ?

मान्यवर, मैं कुछ योजनाओं का नाम जरूर पढ़ना चाहूंगा। 5 हजार मेगावाट का लक्ष्य रखकर 4 हजार 287 करोड़ रुपये की 624 मेगावाट की कीरू हाइड्रो परियोजना, 5 हजार करोड़ रुपये की 540 मेगावाट की क्वार हाइड्रो परियोजना, 5 हजार दो सौ करोड़ रुपये की 850 मेगावाट की रतले हाइड्रो परियोजना, 8 हजार एक सौ बारह करोड़ रुपये की 1 हजार मेगावाट की दूल हाइड्रो परियोजना, 2 हजार 3 सौ करोड़ रुपये की 1856 मेगावाट की सावलकोट हाइड्रो परियोजना और 2 हजार 793 करोड़ रुपये की शाहपुर कंडी बांध सिंचाई और बिजली परियोजना।

मान्यवर, केवल जल विद्युत के अंदर इतना सारा पैसा इन 10 सालों में इनवेस्ट हुआ है। पहली बार 1600 मेगावाट की सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी वहां पर प्रोजेक्ट डाला गया है। 30 ग्रिड स्टेशनों का निर्माण हुआ है। 467 किमी नई ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई गई हैं। 266 उप स्टेशनों को बनाया गया है और 11 हजार सर्किट किमी की एचटी और एलटी लाइनों को बिछाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। सिंचाई का जहां तक सवाल है, 62 करोड़ की रावी नहर योजना पूरी कर ली गई है। 45 करोड़ रुपये की त्राल सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किया गया है। झेलम और सहायक नदियों के बाढ़ प्रबंधन के लिए 399 करोड़ रुपये के तीसरे चरण का काम पूरा हो गया है। 1623 करोड़ रुपये का दूसरे चरण का काम चल रहा है और चरण एक का काम पूरा होकर 31 हजार 8 सौ क्यूसेक से बढ़कर 41 हजार क्यूसेक के करीब परिवहन की क्षमता आज हो गई है। शाहपुर कंडी बांध परियोजना भी पूरी हो गई है। जम्मू प्रांत की प्रमुख नहरों से 3 पीढ़ियों से गाद नहीं निकाली गई थी। 59 दिनों में ही राष्ट्रपति शासन लगने के बाद गाद निकालने का काम 70 सालों के बाद पूरा हुआ है। रेल नेटवर्क का विस्तार हुआ है। 3 हजार 127 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 8.45 किलोमीटर लंबी काजीगुंड बनिहाल सुरंग का निर्माण हो गया है।

लगभग 8 हजार किलोमीटर नये रोड ग्रामीण सड़क योजना के तहत बने हैं। जम्मू-कश्मीर के 10 सिल्क को जीआई टैग मिला है। डोडा के गुच्छी मशरूम को भी जीआई टैग मिला है। आर एस पुरा के बासमती चावल को जैविक प्रमाण-पत्र जारी किया गया और समग्र कृषि विकास के लिए 5 हजार 13 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है। पूरे देश में सरकार सिर्फ गरीब व्यक्तियों का पाँच लाख रुपये तक स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठाती है। पूरे देश में सिर्फ गरीबों का उठाती है। आज जम्मू-कश्मीर में सभी व्यक्तियों का पाँच लाख का पूरा खर्च सरकार उठा रही है। हमने बहुत रुचिता और संवेदनशीलता के साथ जम्मू-कश्मीर को संभालने का काम किया है। जो लोग कह रहे थे कि क्या हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद अंतिम पर्यटक 14 लाख थे। अब वर्ष 2022-23 में 2 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू-कश्मीर में भ्रमण किया। जून, 2023 तक एक करोड़ का रिकॉर्ड समाप्त हो गया है। मुझे विश्वास है कि दो करोड़ का भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी सरकार ही

समाप्त करेगी। इसी दिसम्बर में यह रिकॉर्ड टूटेगा। जम्मू-कश्मीर एक ऐसा गंतव्य स्थान बना है, जिसका वातावरण प्राकृतिक है, मानांक वैश्विक है, दृष्टिकोण आधुनिक है, आतिथ्य पारंपरिक है और अनुभव में मनोरंजन तथा रोमांच दोनों है, इस प्रकार का एक पर्यटक स्थल आज बना है। होम स्टे और फिल्म की नीति बनी है। हाउस बोट के लिए भी एक पॉलिसी बनाने का काम किया गया है। जम्मू रोपवे परियोजना 75 करोड़ रुपये खर्च करके पूरी कर ली गई है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी पूरी कर ली गई है।

फारूख साहब फिर से आए हैं, इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं कि पूरे देश भर में गरीबों को ही पाँच लाख रुपये का स्वास्थ्य का पूरा खर्च नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है, लेकिन जम्मू-कश्मीर में सभी लोगों का पाँच लाख रुपये का खर्च उठाती है। … (व्यवधान)

डॉ. फारूख अब्दुल्ला : जम्मू में आपकी पाँच लाख रुपये की स्कीम बहुत अच्छी है, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह: आपका धन्यवाद। … (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, a very senior member is speaking and the mic is not on. … (*Interruptions*)

श्री अमित शाह: राजा जी**,** यह टेलीकम्युनिकेशन का विषय नहीं है**,** यह कश्मीर का विषय है। आप क्यों खड़े हो रहे हैं? … (व्यवधान)

SHRI A. RAJA: Sir, I am not talking about Kashmir. I am talking about Farooq ji. … (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: The hospitals are not accepting. … (*Interruptions*) They are refusing to take it and say, हमें पैसा वापस नहीं मिल रहा है। मेहरबानी करके आप इसकी तरफ देखिए। … (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : सर, नेहरू जी के बारे में ब्लंडर बोला गया है। … (व्यवधान)

श्री अमित शाह: दादा आप बैठ जाइए। आपके जाने के बाद एक माननीय सदस्य खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इसके लिए ब्लंडर नहीं हिमालयन ब्लंडर शब्द भी प्रयोग किया गया है।… (व्यवधान)

मान्यवर, मैं जो बिल लेकर आया हूं, वह सालों से, जो अधिकारों से वंचित थे, अपना देश, अपना प्रदेश, अपना घर, अपनी भूमि और अपनी जायदाद छोड़कर अपने ही देश में निराश्रित हो गए थे, वैसे लोगों को अधिकार देने का बिल है। जिनका देश ही छूट गया, वैसे लोगों को अधिकार देने का बिल है। जो वर्षों से सम्मान से वंचित थे, वैसे पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक शब्द अन्य पिछड़ा वर्ग से सम्मानित करने का यह बिल है।

अत: मैं इस सदन से निवेदन करना चाहता हूं, आप मेरी पार्टी का जरूर विरोध कीजिए, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का भी कीजिए, मेरा व्यक्तिगत तौर पर भी कीजिए, मगर बिल का उद्देश्य बहुत पवित्र है, कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग और जो विस्थापित लोग हैं, उनकी ओर देखते हुए इस बिल का समर्थन कीजिए और इसको सर्वानुमति से पास कीजिए।

माननीय अध्यक्ष : श्री हसनैन मसूदी जी।

श्री हसनैन मसूदी : माननीय गृह मंत्री जी ने यहां पर जो बिल पेश किया है, मेरी पहली गुजारिश है कि ज़रा उसमें देखिए कि जो माइग्रेन्ट है, आपने उसकी डेफिनेशन क्या दी है? आप बिल में देखिए। Just have a look at the Bill. जो कश्मीरी माइग्रेन्ट है, आपने खुद एक्सप्लेनेशन में उसकी डेफिनेशन दी है। Please have a look at the Bill.

श्री अमित शाह : आप क्या कहना चाहते हैं? वह बताइए।

श्री हसनैन मसूदी : आप देखिए कि डेफिनेशन क्या है?

श्री अमित शाह : आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री हसनैन मसूदी : आपने जो डेफिनेशन दी है, वह सब जिनको Preservation and Protection of Migrant Properties Act, 1996 में डिफाइन किया गया है। आपने इसमें जो डेफिनेशन दी है, उसको देखिए। वह एक्ट किसने बनाया है? जब आप ये सारे इल्ज़ामात पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं।…(व्यवधान)

श्री अमित शाह : ऐसा है तो विधान सभा में उनको…(व्यवधान) एक्ट बनाने से क्या होता है? मैं तो यही कह रहा हूं कि विस्थापित भी आपने ही किया है।…(व्यवधान)

श्री हसनैन मसूदी : जनाब, आपने कहा कि आपको सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिला। आपने सही कहा है, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन किया है? बल्कि यह ऑब्जर्व किया है कि हम पावरलेस नहीं हैं कि हम अन्डू करें, अगर ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई कदम उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि डिक्लाइन किया।...(व्यवधान) आपने डिक्लाइन नहीं किया, रिफ्यूज नहीं किया है। दूसरा, आपने टेंपरिंग की बात कही।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मनीश तिवारी जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री मनीश तिवारी : महोदय, मैं बोलना चाहता हूं, लेकिन जज साहब अपनी बात तो खत्म करें।...(व्यवधान) अरे, हम वकील हैं और ये जज हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल जब मैंने ये बात कही कि 5-6 अगस्त, 2019 को जो इस सदन में हुआ था, उसकी नींव दिसंबर, 2018 में रखी गई थी, तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस पर आपत्ति उठाई थी। प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। मगर जम्मू और कश्मीर की प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन थी, उसकी जो भाषा है, मैं वह भी पढ़कर सुनाना चाहता हूं। सिर्फ दो मिनट लगेंगे।

जो स्टैंडर्ड प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन है और मेरी पास उसकी कॉपी है। उसमें धारा 3 के संबंध में जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, “So much of the proviso to Article 3 as relates to the reference by the President to the Legislature of the State.” वर्ष 1889 से लेकर 2019 तक हर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन में इसी भाषा का प्रयोग किया गया है।

जम्मू-कश्मीर की जो प्रेसिडेंशियल प्रोक्लामेशन है, उसमें उसका कैसे प्रयोग किया गया - “So much of the first proviso to Article 3 of the Constitution as relates to the reference by the President to the Legislature of the State…”. गृह मंत्री जी, इसको ध्यान से सुनिएगा, “…and the second proviso of that article.” ये सेकेंड प्रोवाइज़ो क्या है? ये सेकेंड प्रोवाइज़ो ये है, जब धारा 3 में आप किसी भी स्टेट को रिऑर्गेनाइज करते हैं, तो बगैर उसकी असेंबली को

कॉन्फिडेंस में लिए आप वह रिऑर्गेनाइजेशन नहीं कर सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, जो आपने 5-6 अगस्त, 2019 को किया था, आपने उसकी नींव दिसंबर, 2018 में रखी थी। यह एक बात है।

दूसरा, जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 निकाला और 367 (4) में प्रावधान किया और कहा कि लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब भारत की संसद है। आप ये भूल गए, जब आपने पार्लियामेंट को जम्मू-कश्मीर की असेंबली में तब्दील किया, तो जम्मू-कश्मीर के संविधान की धारा 147 है, which says that no Bill can be entertained in the Legislative Assembly, which changes the Constitutional arrangements between Jammu and Kashmir and the Union of India.

महोदय, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि…(व्यवधान) बस एक मिनट।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है।

श्री मनीश तिवारी : आपने संविधान की धारा 3 पढ़ी है। जहां-जहां सीट मिली है, वहां-वहां यूनियन टेरिटरी लिखकर देख लीजिए, फिर भी आपके पास अधिकार नहीं है to convert the State into two Union Territories. मैं इस सदन में जिम्मेदारी के साथ यह बात कह रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 18 जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023.

प्रश्न यह है:

"कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

Clause 2 Amendment of section 2

माननीय अध्यक्ष: श्री आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 और 2 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I am moving my amendments No. 1 and 2 to clause 2 of the Bill.

Sir, I beg to move:

Page 1, line 11,-

after "backward classes"

insert "or backward caste". (1)

Page 1, line 14,-

after "socially"

insert ",economically". (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

<u>खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।</u>

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 19 जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023.

प्रश्न यह है:

"कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ</u>

<u>खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।</u>

Clause 3 Insertion of new sections 15A and 15B

माननीय अध्यक्ष: श्री आलोक कुमार सुमन जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 से 3 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

DR. ALOK KUMAR SUMAN (GOPALGANJ): Sir, I am moving my amendments No. 1 to 3 to clause 3 of the Bill.

Sir, beg to move:

Page 2, line 19,-

for "two members"

substitute "three members". (1)

Page 2, line 20,-

after "Kashmiri Migrants"

insert "either from Scheduled Caste or Scheduled Tribe".

(2)

Page 2, lines 26 and 27,-

for "one member"

substitute "three members". (3)

माननीय अध्यक्ष: अब मैं श्री आलोक कुमार सुमन द्वारा खंड 3 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 से 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि खंड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री अमित शाह : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

16.19 hrs

CENTRAL UNIVERSITIES (AMENDMENT) BILL, 2023

माननीय अध्यक्ष : आइटम नं. 20 - केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION (DR. SUBHAS SARKAR): Hon. Speaker, Sir, on behalf of Shri Dharmendra Pradhan, I beg to move*:

"That the Bill further to amend the Central Universities Act, 2009, be taken into consideration."

Hon. Speaker, Sir, I would like to express that the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 is the proposal for amending the Central Universities Act of 2009 for setting up of Sammakka Sarakka Central Tribal University in the State of Telangana.

16.20 hrs (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

If the House recalls, I would like to state that 13th Schedule to the Andhra Pradesh Recognition Act, 2014, that is, no.6 of 2014, *inter alia,* provides that the Government of India shall take steps to establish one Central Tribal University in the State of Telangana.

Then, establishment of the Central Tribal University in Telangana is definitely obligatory under the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. The Union Cabinet in its meeting held on 3rd October, 2023 has approved the proposal for establishment of the University in Telangana.

---

* Moved with the recommendation of the President

The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 provides for establishment of a Central University and a Central Tribal University in Andhra Pradesh also. They gave the land and everything in due time. A Central University and a Central Tribal University in Andhra Pradesh is functional with effect from 05.08.2019.

Later on, the site selection was delayed and ultimately, the Telangana Government has given the site in Mulugu District. The State Government has offered 335.04 acres of land. The University of Hyderabad prepared the detailed project report for the University and as per the detailed project report, the project cost is Rs. 889.07 crore. The project will be completed in two phases of three years and four years.

Very nicely, the name of that University has been kept Sammakka Sarakka Central Tribal University. Our visionary leader Prime Minister Narendra Modi-led Government is always very eager to complete its work 100 per cent. Our Prime Minister always thinks deep and works in the root. The story of nomenclature, the naming of the Central Tribal University, is also very much emotional. The mother and daughter Sammakka and Saralamma, commonly known as Sarakka, are believed to be manifestations of Adi Parashakti who will save and protect the tribal communities of Telangana. To give the rightful honour to the tribal communities of Telangana, the name has been given to the University as the Sammakka Sarakka Central Tribal University. This University will provide facilities for research in tribal art, culture, tradition, language, medicinal systems, customs, forest-based economic activities etc.

Hon. Chairperson, Madam, I would like to invite all the hon. Members to have a positive discussion. I beg your permission to start the discussion on the Bill.

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

SHRI SAPTAGIRI SANKAR ULAKA (KORAPUT): Hon. Chairperson, Madam, I thank you for giving me this opportunity to speak on the Central Universities (Amendment) Bill, 2023 which was introduced in the Lok Sabha on 04.12.2023. It aims to amend the Central Universities Act, 2009.

The Bill seeks to establish a Central Tribal University in Telangana which will be known as Sammakka Sarakka Central Tribal University. The main focus is on enhancing the access, ensuring quality of higher education, fostering research facilities and promoting advanced knowledge in tribal art, culture, customs and technology for the tribal population across India.

Madam, this is a very welcome move and we support the Bill so that the necessary Tribal University is established in Telangana. It will take care of the regional aspirations. Having a Tribal University will foster the tribals to get access to education, research, preserve our culture, increase access and quality of higher education, and promotion of higher education and research. So, we welcome this Bill and we stand in support of the Bill.

At the same time, I would like to highlight a few things which we have seen arising in multiple areas where we have Tribal University and so on. The first thing

which I see is there has been a gross violation of reservation rules. If you take the case of Indira Gandhi National Tribal University Act, the Adivasi enrolment which used to be around 80-90 per cent in 2013, very unfortunately, has come down to mere 7.5 per cent in 2023 under the NDA Government. If you see, there is a drastic drop in the Adivasi students studying in the Tribal University. One of the main reasons is because the admission to this University is linked to the Central University Entrance Test, CUET, which is really inaccessible to tribal students.

मैडम, मैं समझाना चाहता हूँ कि आदिवासी बच्चों को पढ़ाई में क्या समस्या आती है, इनके एनरॉलमेंट में क्या समस्या आती है। आदिवासी तब बनते हैं, जब उनके पास प्रिमिटिव ट्रैट्स होते हैं, इकनॉमिकली बैकवार्ड होते हैं, सोशली बैकवार्ड होते हैं और इनमें एक शायनेस ऑफ कॉन्टैक्ट भी होता है, जो एक आदिवासी की पहचान होती है। When we study in the primary education or the higher education, हमने विभिन्न राज्यों में देखा है कि जो ड्रॉपआउट्स होते हैं, उनको भाषा समझ में नहीं आती है। एक आदिवासी की भाषा अलग होती है। कुई भाषा होती है, सोरा भाषा होती है। ओडिशा में जैसे उडिया भाषा होती है, तेलंगाना में तेलुगू होती है। हर जगह डिफरेंट-डिफरेंट भाषाएं होती हैं। हमने देखा है कि प्राइमरी एजुकेशन में ड्रॉपआउट का मैन रीजन यह है कि उन्हें समझ में ही नहीं आता है। उसके लिए कई सारे इंटरवेंशन हुए हैं कि गांव में स्कूल्स को कैसे बनाना है।

अब हम जब यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो मैं बताना चाहता हूँ कि सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट सीबीएसई करिकुलम के अंतर्गत है और जो एग्जाम सेन्टर्स हैं, these are very far off. If I take an example, एक आदिवासी क्षेत्र पहाड़ों में या गांवों में होता है। इसलिए एक शहर में जाकर, हैदराबाद में जाकर एग्जाम देंगे तो वह उनके लिए बहुत दूर होता है। उस वजह से उनका एनरॉलमेंट भी कम होता है। यह मैन चीज है, जिसे हमें देखना है। केवल बिल्डिंग बनाने से सब कुछ नहीं होता है। हम ऐसा माहौल कैसे बनाएंगे? आदिवासी लोग की जो कला संस्कृति है, उनकी भाषा है, उसके साथ एंटान्गल करके ये कैसे पढ़ाई कर सकते हैं?

मैडम, मैं एक यूनिवर्सिटी का उदाहरण देना चाहता हूँ। यह सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा के कोरापुट में है। वर्ष 2009 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। आज 10-15 साल हो गए हैं, जो पैसे इनिशियली यूपीए के टाइम हम लोगों ने दिए थे, वे पैसे वापस हो गए हैं। अब उस यूनिवर्सिटी के पास पैसे नहीं हैं। तीन साल पहले मैंने पार्लियामेंट में उनके स्टाफ के बारे में मुद्दा उठाया था। वहां के टीचर रिक्रूटमेंट का मुद्दा भी उठाया था। प्रोफेसर की सैंक्शन्ड पोस्ट्स 23 थीं, लेकिन पोस्टेड जीरो थे। एसोसिएट प्रोफेसर की सैंक्शन्ड पोस्ट्स 43 थीं, लेकिन पोस्टेड सिर्फ एक था। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैंक्शन्ड पोस्ट्स 88 थीं, लेकिन पोस्टेड 16 ही थे। ये तीन साल पहले की बात है,

मैंने जीरो ऑवर में भी यह मुद्दा उठाया था। मैं मंत्री जी से भी मिला था। तब कुछ प्रोग्रेस भी हुई थी, लेकिन बड़े दुख के साथ बोलना पड़ता है कि क्या प्रोग्रेस हुई? प्रोफेसर की पोस्ट्स 23 थीं, उनमें से 14 पोस्ट्स के लिए एडवरटाइज किया गया, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती नहीं हुई है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 पोस्ट्स के लिए एडवरटाइज किया गया, लेकिन सिर्फ दो पोस्ट्स पर ही भर्ती हुई। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 45 पोस्ट्स के लिए एडवरटाइज किया गया, लेकिन जीरो भर्ती की गई। इसलिए भर्ती करने में कुछ तो प्रॉब्लम है।

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ये भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं? जब भर्ती नहीं हो रही है तो ये लोग कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयज़ को लेकर संस्था चला रहे हैं। उसमें रिजर्वेशन नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल इंप्लॉयज के लिए उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। They do not come under the purview of reservation. यहां पर यह हालत है। सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी ओडिशा, कोरापुट के लिए मैं बार-बार डिमांड करता आ रहा हूँ कि कुछ फंड्स दे दीजिए, लेकिन नहीं दे रहे हैं। We demand allocation of funds to the Central University, Odisha to build infrastructure. We do not need loan. We need grants through Higher Education Financing Agency, HEFA. हमें HEFA के अंतर्गत एजुकेशन चाहिए।

दूसरा, मैं ड्राप आउट्स के बारे में कहना चाहता हूं। अभी कुछ दिनों पहले सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आईआईटीज, आईआईएम्स हैं, nearly

13,000 students have dropped out. इसमें क्या होता है? उनकी ऐक्सेप्टिबिलिटी नहीं होती है। जो मेन स्ट्रीम में आते हैं, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता है। यह बड़ी दु:खद बात है कि जब सरकार प्रयास कर रही है कि हमारे एससी, एसटी और आदिवासी समुदाय के लोग हायर एजुकेशन प्राप्त करें, तो इनके ड्रॉप-आउट्स को देख कर क्या कर सकते हैं? इसके लिए कुछ करना पड़ेगा।

एक एससी-एसटी सेल होता है। They talk to the counsel. जो आदिवासी और एससी वर्ग के बच्चों की काउंसिलिंग करते हैं। आईआईटी दिल्ली ने अभी पिछले साल ही स्थापित किया है। बहुत सारे सुसाइड्स की घटनाएं आईआईटीज में घटी हैं। उनमें एससी-एसटी वर्ग के लोग ही होते हैं। हमें ये सभी चीजें देखनी पड़ेगी। केवल यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है, इको सिस्टम बनाना पड़ेगा। जब आप ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाते हैं, तो मैं यह आपके माध्यम से मंत्री जी से अपील करना चाहता हूं कि जो करिकुलम होता है, जो रिसर्च होती है, वह ट्राइबल कल्चर के ऊपर हो। इंडिया में 800 से ज्यादा ट्राइब्स हैं। उनकी जो विभिन्न कल्चर्स हैं, उनको कैसे प्रमोट किया जाए? हमारी जो शैली है, जो हमारा डांस है, जिसे हम धीमसा कहते हैं, ये सभी चीजें कैसे की जाए? आप इन सभी पर रिसर्च करें, ताकि लोगों को पता चले की ट्राइबल कल्चर क्या होता है, उनकी आईडेंटिटि, उनकी आईडेंटिटि क्या होती है? उसको बचा कर कैसे रखना चाहिए?

मैडम, यह बहुत अच्छा इंटरवेंशन है, लेकिन केवल बिल्डिंग बनाने से नहीं होता है। हमें पूरा ट्राइबल इको सिस्टम डेवलप करना चाहिए। हम कैसे आगे बढ़ें, हमारी संस्कृति, भाषा और कल्चर को प्रिजर्व करने के साथ एक क्वालिटी एजुकेशन आदिवासी बच्चों को कैसे दे पाएंगे, इसके लिए सरकार को प्रयास करना पड़ेगा।

माननीय मंत्री धर्मेन्द्र जी यहां नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि केन्द्रीय विद्यालय के लिए पिछले दो सालों में सब कुछ हो गया है, लेकिन उनका दस्तख्त पेंडिंग है। हमारे जयपुर के निवासी बार-बार यह कह रहे हैं कि केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर की स्थापना कब की जाएगी? हम लोगों ने बहुत मुश्किल से केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर के लिए लैंड एक्वायर किया है। सारे फॉर्मलिटीज पूरे कर दिए गए हैं, लेकिन केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर का इनऑगरेशन अभी तक नहीं हो पा

रहा है, जो बहुत दुखद बात है। हमें आशा था कि धर्मेन्द्र प्रधान जो ओडिशा के मंत्री होंगे, वे खास कर कोरापुट और जयपुर को देखेंगे, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने जवाब में केन्द्रीय विद्यालय, जयपुर के बारे में भी कुछ अपडेट दें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री सुनीता दुग्गल (सिरसा): सभापति महोदया, बहुत-बहुत धन्यवाद। As regards the Central Universities (Amendment) Bill, 2023, in the Central Universities Act, 2009, जो प्रिंसिपल एक्ट था, उसमें क्लॉज 3एफ के बाद क्लॉज 3जी को इंसर्ट किया गया है। इसके अंतर्गत एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाएगी। जिसका नाम सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा जाएगा।

सभापति महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि यह जो यूनिवर्सिटी बन रही है, इसका टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पूरा तेलंगाना रहेगा। इसमें भारत की मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकती है। इसके साथ-साथ इसमें रिसर्च की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इसको सीरियल नम्बर 17 पर रखा गया है। तेलंगाना में है। सम्मक्का सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी से पूरे तेलंगाना स्टेट को लाभ मिलेगा। यह मुलुगु जिले में स्थापित किया जा रहा है।

सभापति महोदया, 4 अक्टूबर, 2023 को कैबिनेट ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, 2009 में कसके। मैं इसके लिए एचआरडी मिनिस्टर, आदरणीय धर्मेन्द्र प्रधान जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि जब इसको कैबिनेट ने अप्रूव किया, तो उन्होंने पूरे भारतवर्ष को ट्वीट के माध्यम से इसकी जानकारी दी और उसको आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इन्डोर्स किया। मोदी जी ने लिखा कि "The setting up of the Sammakka Sarakka Central Tribal University will be a game changer for the youth of Telangana. It will also deepen understanding of tribal culture as well as encourage innovation".

आदरणीय सभापति महोदया, हम सभी जानते हैं कि अभी जो चुनाव हुए हैं, उसमें हमारी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा मैनडेट प्राप्त किया। जहां पर बहुत ज्यादा हमारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है।

इसके साथ-साथ राजस्थान में भी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है। हालांकि तेलंगाना में हमारी तरक्की हुई है, हम 1 से 8 पर पहुंचे हैं। फिर भी हमारी सरकार ने यह नहीं सोचा कि अगर हम तेलंगाना में सरकार नहीं बना पा रहे हैं तो हम इस यूनिवर्सिटी के बिल को नहीं लेकर आएं। फिर भी हम उस बिल

को लेकर आ रहे हैं, यह दिखाता है कि हमारी सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी चाहते हैं– 'सब का साथ हो, सब का विकास हो, सब का विश्वास हो और सब का प्रयास हो।' इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि इसका नाम सम्मक्का-सरक्का क्यों रखा गया?

सभापति महोदया, उसके पीछे एक सुंदर कहानी है। सम्मक्का-सरक्का मां-बेटी हैं और यह माना जाता है कि जो परा शक्ति अम्बा हैं, ये उनका अवतार हैं।

"या देवी सर्वभूतेषु शक्ति-रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥"

आपको मालूम है कि तेलंगाना में मुलुगु डिस्ट्रिक्ट के अंदर दो साल में एक बार सम्मक्का-सरक्का मेदाराम जतारा निकलती है। यह कहा जाता है कि जो ट्राइबल कम्यूनिटी है, उनका यह सबसे बड़ा त्यौहार है। इसमें करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु अलग-अलग राज्यों से भाग लेते हैं। चाहे वे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और झारखंड से हों, इन सभी राज्यों के ट्राइबल कम्युनिटी के करीब डेढ़ करोड़ श्रद्धालु इस यात्रा में भाग लेते हैं। इसे कुम्भ मेला भी कहा जाता है। जो जनजातीय समुदाय है, इसको उसका कुम्भ मेला भी कहा जाता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का निर्माण उस मंदिर के पास में ही करवाया जा रहा है, जिससे पूरे विश्व के अंदर जो ट्राइबल दैवीय शक्तियां हैं, उनको पहचाना जा सके, समुदाय के अंदर जनजागरण हो और समुदाय को यह लगे कि उनका भी कोई सम्मान है। मैं इस बात के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं।

आज हमारी प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी जनजातीय समुदाय से आती हैं। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि अगर किसी मुस्लिम समुदाय के राष्ट्रपति प्रथम नागरिक बने तो वह हमारी एनडीए की सरकार में बने। अगर दलित समुदाय से कोई राष्ट्रपति बने हैं तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने श्री रामनाथ कोविंद जी को अपनी सरकार में बनाया है। अब जो जनजातीय समुदाय से महामहिम राष्ट्रपति बनी हैं, वह भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर बनी हैं। इससे बिल्कुल यह स्पष्ट होता है कि हमारी सरकार किस तरह से सब को साथ लेकर

चलने वाली है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि वह देश के अंदर केवल चार जातियों को देखते हैं और उन्हीं के उत्थान से ही देश का उत्थान होगा– नारी, युवा, किसान तथा गरीब। इनके उत्थान से ही हमारे देश का उत्थान होगा।

आप सब लोगों को मालूम ही है कि हम सब लोगों ने सुबह-सुबह जाकर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को पुष्पांजलि अर्पित की। आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। मुझे लगता है कि नारी, किसान, युवा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में अगर किसी ने काम किया है तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने किया है। उसके बाद अगर इन सब को कोई आगे लेकर चला है तो हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी हैं।

एजुकेशन के बारे में बाबा साहेब ने कहा था– "Educational endowments and institutions for higher education are the stepping stones in the upward march of our race". इसी तरह से मैं माननीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूं। अभी जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन बिल आया था, इसके अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस तरह से नौ सीटें ट्राइब्स के लिए रिजर्व की हैं। उसके लिए भी मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देती हूं। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा था कि नाम में क्या रखा है? अब ये कहें कि आपने इसका नाम सम्मक्का-सरक्का क्यों रख दिया? नाम से सम्मान होता है। उन्होंने जिक्र किया था कि उनकी माता जी का नाम कुसुम जी हैं। अगर वह अपनी माता जी को कुसुम जी कहकर बोलें या मां कहकर बोलें तो दोनों में कितना अंतर है। इसलिए ये बार-बार कहते हैं कि आप नाम बदल देते हैं, नाम में क्या रखा है? नाम में सम्मान जुड़ा हुआ है। आज इसी समाज को सम्मान देने के लिए इस यूनिवर्सिटी का नाम सम्मक्का-सरक्का ट्राइबल यूनिवर्सिटी रखा गया है।

इसके साथ-साथ मैं कहना चाहती हूं कि ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी की हमेशा यह इच्छा रहती थी कि वह पढ़ाते-पढ़ाते इस संसार से विदा लें और ऐसा हुआ भी। उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या कहा था– "Education is the most powerful weapon which you can use to change the

world". अगर हमें दुनिया या संसार को बदलना है तो हमें इंस्टीट्यूशंस को जगह-जगह पर खासकर हमारी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, उसके लिए जगह-जगह पर स्थापित करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदया, इसके साथ ही, मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले को भी हमें नहीं भूलना चाहिए। सावित्रीबाई फुले पहली महिला शिक्षिका थीं। वह एक साड़ी पहनकर चलती थीं, तो दूसरी साड़ी अपने साथ लेकर चलती थीं। इसका कारण यह है कि वह कई किलोमीटर दूर जाकर, जहाँ पर वह बच्चियों को पढ़ाती थीं, उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा फुले जी ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। उसके बाद सावित्रीबाई फुले ने बच्चियों को पढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। इसमें उनके ऊपर जगह-जगह पत्थर फेंके जाते थे, कहीं पर उनके ऊपर गोबर फेंका जाता था ताकि वे बच्चियों को न पढ़ा सकें, लड़कियों को न पढ़ा सकें। इसलिए वे एक साड़ी पहनती थीं और दूसरी साड़ी हाथ में लेकर जाती थीं। जब पहली साड़ी बिल्कुल खराब हो जाती थी, तो वह उसको बदलती थीं। लेकिन उन्होंने बच्चियों को पढ़ाना नहीं छोड़ा।

इसलिए अगर आज हम कहीं पर पहुंच रहे हैं, तो इसमें उन महान विभूतियों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहती हूँ, जैसाकि ज्योतिबा फुले जी ने कहा था- "Cultivation of mind should be the ultimate aim of human existence. There is no greater deed than the work of education and it is my duty to do it."

चाणक्य ने इसके बारे में क्या कहा था, मैं वह कहना चाहती हूँ:

"Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth."

अगर उन्होंने ब्यूटी और यूथ से भी बढ़कर किसी बात को कहा था, तो वह एजुकेशन को कहा था।

आदरणीय मोदी जी ने जितना सम्मान नारी को दिया है, जितना सम्मान अनुसूचित जाति वर्ग और अनुसूचित जनजाति वर्ग को दिया है, मुझे नहीं लगता कि उतना सम्मान आज से पहले किसी सरकार ने दिया होगा। अगर उन सरकारों ने इतना सम्मान इन सभी वर्गों को दिया होता, तो आज

हमारा देश कब-का विकसित भारत बन चुका होता। सरकार की जो समग्र योजनाएं हैं, अंत्योदय योजना के माध्यम से, हर व्यक्ति तक, जो अंतिम छोर पर बैठा है, उस तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी को ध्यान में रखते हुए, मैं कहना चाहूंगी कि पहले के प्रधानमंत्री जी, आपको तो मालूम ही होगा, ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हम लोग ऊपर से एक सौ रुपये भेजते हैं, तो केवल पन्द्रह रुपए ही जनता तक पहुंचता है। इसलिए हमारी सरकार ने जन-धन के माध्यम से सभी लोगों के एकाउंट खुलवाए। इसी के साथ, डीबीटी के माध्यम से, हर किसी के पास सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं। फिर भी इस अमृतकाल में हमारा देश विकसित देश बने, विकसित भारत बने, इसको ध्यान में रखते हुए 15 नवम्बर को, जो भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मतिथि है, को हमारी सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अन्दर रथ चलाया है ताकि यदि कोई ऐसा इंसान रह जाए, जिसे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला हो, तो उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और वर्ष 2047 तक हमारा देश विकसित भारत बन सके क्योंकि हमारी सरकार 'सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के सूत्र को लेकर चलती है। इसलिए जो समक्का-सरक्का सेन्ट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनी है, मैं इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और एचआरडी मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ।

इसके साथ-साथ, मैं कहना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है सभी को साथ लेकर चलने की। इसलिए अंत में, मैं एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूँगी। यह बात मैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से कह रही हूँ:

"मुश्किलें जरूर हैं, मगर ठहरा नहीं हूँ मैं,
मंज़िलों से कह दो, अभी पहुंचा नहीं हूँ मैं।"

तीसरी बार हमारी जो सरकार बनेगी, उसमें बाकी के जो काम रह गये हैं, उनको भी हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): I must express my thanks to you for permitting me to say a few words on the Bill namely the Central Universities (Amendment) Bill, 2023.

Madam, reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backwards Classes and backward classes dates back to 1950 or even prior to that. As far as Scheduled Castes and Scheduled Tribes are concerned, the reservation started way back in 1943 when Dr. Ambedkar was in the Cabinet in the Viceroy's Council. As far as reservation for backward classes is concerned, in Tamil Nadu, the State pioneered it in 1920s and 1930s itself. Reservation for backward classes started by the Justice Party.

After Independence, the Viceroy's Council reservation continued by virtue of the Constitution amendment. Articles 15 and 16 were inserted in the Constitution by expressing the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950. As far as Backward Class reservation in the Central Government is concerned, everybody knows that it started during the period of V.P. Singh, the former Prime Minister. The matter whether the Mandal Commission Report which was adopted in the Parliament was constitutionally valid or not was heard in the Supreme Court. The Judges heard the matter. Well known legal personality Dr. Nani Palkhiva argued the case against the Mandal Commission. Prime Minister, V.P. Singh said in Parliament that if the judgement came in Government's favour, he would die in peace. To that the other side Counsel in the Supreme Court reacted saying that the country may not be in peace if at all the Prime Minister dies in peace. In Tamil Nadu in 1951, reservation for the backward class was given by the Dravidian

parties and that was challenged before the Supreme Court. We fought politically against that and got the Constitution Amendment made by the Nehru Government and encomiums were showed on Thanthai Periyar and other Dravidian ideological leaders. So, this is the brief history of how reservation to provide social justice to depressed classes – whether it is backward classes or OBCs or SCs or STs – came into existence.

Everybody knows that from the 1940s till the Mandal Commission Report was approved by the Supreme Court, I think that neither the BJP nor the Jana Sangh or the Hindu Mahasabha or RSS never supported reservation. Now, the policy of reservation becomes a compulsion for this Government, not by virtue of convenience.

You are bringing this Bill. I have to appreciate. I will not fail in my duty. But what is the truth? The Mandal Commission judgement came in favour of the Government. V.P. Singh said in this House that he was aware that his Government will be defeated by BJP and others. They had the support of Congress at that time. History cannot be changed. But the quote which was given by V.P. Singh must be born in our minds. It is changing the political climate now. Now, you are also supporting reservation. But the words which were uttered by V.P. Singh in this House were, "I am only a rocket. I am carrying a satellite, that is the reservation for Backward Classes in the name of Mandal Commission. My duty is to place the satellite in the correct orbit and die. I will die politically, but the satellite will be in the orbit to revolve." Such a great man V.P. Singh sacrificed his Government for reservation for Backward Classes. Ambedkar did everything for

SCs, STs and Backward Classes. Periyar stood for all these things and Dravidian ideology stood firm here. After that, Perarignar Anna, our leader Kalaignar, and still our Muthuvel Karunanidhi Stalin, Chief Minister of Tamil Nadu are known for social justice.

I am bringing all these things to the notice of the House briefly because at least, whatever be our past, we must not only protect and patronage the reservation, we must really, heartfully involve in the upliftment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and BCs. This is because they were oppressed for thousands and thousands of years in terms of education, in terms of economic progress. It is okay that you are bringing this Bill. But already you had set up another such as tribal University in Andhra which is not having its own building. It is running in a transit building. So, what concern do you have towards the SCs and STs? This Bill is being brought to the House out of compulsion and to meet the mandate which was given to you earlier by the Government. But, in spirt, I am having my own doubt about the delivery by the Government.

Is the Government really committed to social justice? You can see it please. One of the worst incidents which is hurting my heart has come to my knowledge. I am serving in the Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. When the Head of an IIT, Principal or Dean was summoned by the Committee, we asked some questions. One of the questions was, why frequent suicides were happening among Dalits and OBCs in IIT complexes? The answer which was given by the Head of the IIT was that those students were not able to cope with the curriculum of IIT. I asked them to show me their marks not only in the

selection test but also in the entrance examination. With regard to open competition exam, in terms of percentage, it is 98.5 per cent. For backward classes, it is 97.5 per cent. For Scheduled Castes, it is 96.5 per cent or 96 per cent. The difference between open competition and BCs is 1.5 per cent and the difference between OBCs and SCs is one per cent or 1.5 per cent. A man who is lagging behind by one per cent is not committing suicide, but a man who is lagging behind by 1.5 per cent is committing suicide. I wanted to know whether any comprehensive study has been done by the Government. There was no answer.

Then, I put a very sharp question after looking at data. An Economically Weaker Section (EWS) student who got 192 and who belonged to an upper caste, not OBC, SC and ST, was admitted. A man who got 196 was not mentally disturbed and he had not committed suicide. But a man who got only 1.5 per cent less, when it is compared to BCs or SCs, committed suicide. That was the result given before the Parliamentary Committee.

What is the real reason behind this? What is going on? You are all claiming the pride of Hinduism and Hindu. I am also a Hindu under law. But were you like that right from the school up to the Parliament? In some of the areas, school students are having colour watches and colour ties to show their castes. Shri Ritesh Pandey, from the BSP, got a written answer yesterday in the Parliament. How many dropouts are there in the IITs? How many dropouts belonging to OBCs, SCs and STs are there in the IITs? Please see. About 4,596 OBC students, 2,424 Scheduled Caste students, and 2,622 Scheduled Tribes students have dropped out in the last five years from the Central Universities. This is a statement which

was laid before the Parliament yesterday. You are opening universities, admitting students, but after the completion of three years, there are dropouts. Is this the real upliftment of OBCs, Scheduled Castes and Scheduled Tribes? Not only this, so many other things are happening. It is about professors in the IITs and research institutes. About 27 per cent of reservation might have been given to Backward Classes. But in the IITs, professors have been given only 14 per cent. With regard to Vice Chancellors in the Central Universities, for Scheduled Castes, there is one per cent; for Scheduled Tribes, there is one per cent; and for Backward Classes, there is five per cent. What has happened? How will the students who are studying in the universities, and the people who are working as Assistant Professors have the courage that they can deliver? A sense of courage is important. Ambedkar said, ‘Where is the caste?’ You cannot identify my caste in the Parliament by seeing my face. Nobody can say that I am a Dalit, or he or she belongs to the Backward Class by seeing the face. Ambedkar said that caste is not a barbed wire and caste is not a wall of bricks which can be pulled down in one second. It is a notion in your mind. It will create a notion in your mind by identifying a person’s caste. Unless and until this notion is uprooted from the mind, equality will not come. Have you made any single attempt to remove this notion from the minds of the people in India against those who are belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes? No.

I can accuse you. I can charge you. In the name of religion, do not project caste. Do not use your tool to promote caste identity. Caste Census is something different. It is for providing social justice in terms of reservations in jobs. But

promoting caste for politics is always dangerous. That is being promoted by you. I can accuse. You are entitled to reply.

Madam, what kind of injustice is taking place here? The representation of people from SC/ST/OBC is very low in higher teaching positions. According to the answer given by this Government in this House, Delhi University had 526 reserved category vacancies in March of this year. Out of 526 vacancies, 123 vacancies are for Scheduled Castes, 61 vacancies for Scheduled Tribes, 221 vacancies for OBC, 86 vacancies for EWS and 42 vacancies are for PH category. In addition to this, 5000 teaching positions are lying vacant in Central Universities. Out of the 5000 posts, 4000 posts are reserved for OBC/SC/ST. None of these posts were filled. Not a single attempt was made to fill these vacancies till this day. But you are introducing this Bill for a separate university. You wanted to say something through this House but you are doing something else which is in the opposite direction.

Madam, I have come across through another exercise which was done by some magazines for Ekalavya schools. All these schools were in bad shape without due and appropriate amenities. Another awkward incident took place which has appeared in the press last month. One upper caste student had an SC roommate in the IIT. He strictly asked the Scheduled Caste roommate not to touch and pollute his belongings. The SC roommate had to take a semester off to deal with this kind of casteist bullying. This was the quote available in the newspaper. This is ragging. Has it come to the notice of the Central Government? What type of measures were taken to remove all these inequalities in the higher educational institutes? These are all the issues that are there before this Government. If at all

you want to say that this Government wanted to have a casteless society to be united in the name of Hindutva in real sense, please give due attention. Do not think that making laws and bringing Bills alone will help build an egalitarian society.

With these words, I conclude.

SHRIMATI APARUPA PODDAR (ARAMBAGH): Madam, today, on the death anniversary of Shri Baba Saheb Ambedkar, I would like to start by quoting him.

"I measure the progress of the community by the degree of progress which women have achieved."

Madam, I thank you for allowing me to speak on the Central Universities (Amendment) Bill, 2023. This Bill has a noble intention and I am happy that the Government have brought this legislation. But, why this Government is bringing this legislation after ten years is because it was recommended in Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014. The Bill intends to establish a Central Tribal University named after the legendary mother-daughter duo Sammakka Sarakka, the duo who fought furiously against all odds for their community's well-being. The topic is very close to my heart. On the very first day of this Winter Session, I asked the Government's intention on the issue of a wide range vacancies related to SC/ST/OBC in many Government institutions.

17.00 hrs

Today, while speaking on this Bill, I remember Shri Rohith Vemula, a Dalit Ph.D student and his tragic death. I am reminded of his words and I quote: "The value of a man was reduced to his immediate identity and nearest possibility. To a vote. To a number. To a thing." These are not my words. These were the words of Shri Rohith Vemula. These were his last words.

It is extremely sad that as a society, we have collectively failed to establish equality and deliver social justice. We cannot afford to lose more Rohith Vemulas. In fact, I want to ask this Government a question. Why have they decided to bring

this legislation now? Why did the Government announce setting up of the Central Tribal University in Telangana during the State election? I think everybody knows the answer.

पिछले दिनों में इस देश में दलितों, आदिवासियों के साथ जो घटनाएं घटी हैं, इसके बारे में देश के सभी लोग जानते हैं। मैनडेट मिलना अलग बात है, लेकिन दलितों, आदिवासियों के दिलों में झाँकना, उनके दर्द को समझना कुछ और बात होती है।

आज हम इसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि एनसीआरबी का डेटा कह रहा है कि crimes against tribals are increasing year after year. Just in two years from 2020 to 2022, it has increased nearly by 22 per cent. We are most concerned about this Government's ignorance towards SCs, STs, OBCs in educational institutions. About 13,626 students belonging to SC, ST and OBC categories are studying in the most prestigious institutions like IITs, IIMs, and Central Universities throughout the country. There has been a large dropout rate among them in the last five years.

I think the Minister is taking a note of it. Tragically, 32 students committed suicide everyday between 2019 and 2021. This is not a good picture. But as a parliamentarian, as a human being and as an Indian citizen, it is very concerning and alarming to me.

Shockingly, about 24 per cent of individuals of the secondary level find themselves among those who tragically take their own lives. Similarly, 80 per cent of the students of middle-level education and nearly 60 per cent of higher secondary-level education are the faces of this alarming reality.

The Government is bringing a Central University Bill for Tribals. It is a very good step. आप एकलव्य मॉडल को भी लाये, एकलव्य मॉडल पर नए-नए स्कूल्स बने। Till date,

38,000 vacancies are still there in Ekalavya Schools. Out of 740 Ekalavya Schools, only 401 schools are operational and only 58 per cent teachers are there.

आज पश्चिम बंगाल की हमारी मुख्य मंत्री 'कन्या श्री' के थ्रू 78 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचा रही हैं। यूनाइटेड नेशन्स ने इसको रिकग्निशन दिया है। यह हमारे लिए गर्व का विषय है क्योंकि अगर हम नींव को ही सही से नहीं रखेंगे तो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे कैसे पहुंचेंगे? इसलिए नींव को सही से रखना बहुत जरूरी है।

महोदया, हमारे जो मंत्री डॉ. सुभाष जी हैं, वे बंगाल से आते हैं। वे प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं। हम उनसे कहेंगे कि आप बंगाल से आते हैं और आपको बंगाल का दर्द समझ में नहीं आता है। बंगाल में एक ही सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है, जो विश्व भारती है। यह एक प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है। यहां से देश के पूर्व प्रधान मंत्री पढ़ चुके हैं। यहां से जो लोग पढ़ चुके हैं, उनमें से काफी लोग विदेशों में सेटल्ड हैं। यहां तक कि कुछ लोग इस पार्लियामेंट में भी हैं।... (व्यवधान)

क्या आप सरकार बनाने के लिए काम करेंगे, क्या आप पब्लिक के लिए काम नहीं करेंगे?... (व्यवधान)

महोदया, यूनेस्को ने विश्व भारती को हेरिटेज का स्टेटस दिया है। वहां के वाइस-चांसलर ने कवि गुरु रविन्द्रनाथ जी का नाम नहीं लिखा।

उसके बाद उन्होंने सिर्फ वाइस चांसलर और नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधान मंत्री जी का नाम लिखा है। आप बताइए कि कोई दाढ़ी रखने से रविंद्र नाथ टैगोर नहीं बनता है। आपने रविंद्र नाथ जी का अपमान किया है। यह बंगाल का अपमान है। ... (व्यवधान) यह सिर्फ बंगाल का ही नहीं, पूरे देश और विश्व का अपमान है। ... (व्यवधान)

डॉ. सुभाष सरकार: माननीय सभापति जी, ये गलत कह रही हैं। ... (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मुझे बोलने दीजिए। ... (व्यवधान)

डॉ. सुभाष सरकार : आप गलत कह रही हैं, … * बोल रही हैं। … (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : उसके बाद विश्व भारती में हर साल पौष मेला और वसंत उत्सव होता है। … (व्यवधान)

DR. SUBHAS SARKAR: You are telling …*… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : इन्होंने पौष मेला और वसंत उत्सव को बंद कर दिया।… (व्यवधान)

डॉ. सुभाष सरकार : आप यह …* बोल रही हैं। … (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मैडम, मैं आपसे संरक्षण मांग रही हूं। … (व्यवधान) मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। … (व्यवधान) यह क्या बात है? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मैडम, वे खड़े-खड़े …* बोल रहे हैं। … (व्यवधान) मुझे क्यों नहीं बोलने देंगे? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको कहाँ मना कर रहे हैं? आप बोलिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मैं एक महिला हूँ और एससी घर से आती हूँ, इसीलिए मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा? … (व्यवधान)

माननीय सभापति : ऐसा मत करो। आप आराम से बोलिए।

… (व्यवधान)

श्रीमती अपरूपा पोद्दार : मैडम, विश्व भारती के प्रांगण में हर साल जो पौष मेला होता है, जहां पर बहुत संगीत होता और जहां पर देश-विदेश से पर्यटक आते हैं, वहां पर विश्व भारती के वाइस चांसलर पौष

* Not recorded.

मेला करने नहीं देते हैं। वसंत उत्सव नहीं करने देते हैं। वे सब कुछ अपनी मन-मर्जी से करते हैं। ईवन स्टूडेंट्स के साथ बहुत खराब तरीके से बिहेव करते हैं। हमारे राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स हमारे राज्य के आदिवासी मंत्री को कहते हैं कि उनको पैर के नीचे, जूते के नीचे रखते हैं। यह है इनका आदिवासी दर्द, यह इनका आदिवासी प्रेम।

मंत्री जी, आप यह सब भूल जाइए, आप बंगाल से आते हैं और बंगाल के लिए सोचना चाहिए। मैडम, इन्होंने तारकेश्वर में मेरे केंद्रीय विद्यालय की नींव तक नहीं रखी, जिसके लिए सरकार ने ज़मीन दी है। मैडम, ममता बनर्जी की सरकार ने ज़मीन दे दी, फिर भी इन्होंने तारकेश्वर का केंद्रीय विद्यालय नहीं दिया।

मैडम, खड़े-खड़े पार्लियामेंट में झूठ बोलने से कुछ नहीं होता है। देश के लिए काम करना पड़ता है। जीत तो हर कोई जाता है, लेकिन देश का दिल जीतना पड़ता है। यही बात बोल कर मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद देती हूँ। मैडम, आपका धन्यवाद।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU (NARASARAOPET): Thank you, Madam Chairperson for allowing me to speak on this important Bill. Before I say anything on this subject, I wish to put this on record that I am a Member of the Board of Private Deemed Universities. So, let this go on record.

Madam, the Bill to establish a Central Tribal University in Telangana under the name of Sammakka Sarakka, there is nothing against this Bill and we, the YSR Congress Party, wholeheartedly welcome it. This will give self-respect and educational facilities to tribal students across Telangana.

Before I go into the topic of this Tribal University, I want to touch upon the topic of AP Reorganisation Act under which this Tribal University is being established. The erstwhile State of Andhra Pradesh was divided in 2014 and the AP Reorganisation Act had come in. Under that Act, many institutes were promised to Andhra Pradesh. This was promised to Telangana. Now, it is being established after 10 years. Likewise, many institutes were promised to Andhra Pradesh. In the last 10 years, IIT, NIT, IIM, IISER, IIITDM, IEP, all of these universities have been started but till now, even after ten years of AP Reorganisation Act coming into force, no institute is working from a permanent campus. Also, a tribal university was planned in Vizianagaram, Andhra Pradesh, but till now this does not see the light of the day. I know this that this subject of medical college or medical education might not come under the jurisdiction of Educational Department but it is related to the Government and this is why I am taking it up. There are 13 new medical colleges that have been proposed by the State of Andhra Pradesh. Three of them including one from my constituency have

been sanctioned by the Union Government but another 13 are still in the process. Our Chief Minister has been kept on writing about the same but nothing has been happening.

Even the Regional Institute of Education had been promised in Nellore by the then Minister, Shri M. Venkaiah Naidu ji who later became the Vice President. But whenever we go and meet the Secretary and Under Secretaries, they keep on saying that it is in the DPR stage. We do not understand for how many years it will be in the DPR stage. Yes, you are now announcing one institution for Telangana. But all these institutions had been announced for Andhra Pradesh in ten years but nothing is moving at the pace it is supposed to move.

Next, I come to the point of funding. Yes, establishing an institute or a university is a very easy thing but funding of the institute and making sure it comes into existence is a completely different thing. That requires a lot of funding. Yes, giving funding for the new ones takes some time but what about the existing ones? There was a RUSA funding in which there were huge cuts in the last three-four years. Almost 31 per cent of the actual budget has been utilised under RUSA in the last two-three years. This is atrocious. This was supposed to be used to actually upgrade the State Government universities so that they can provide better facilities for the students across the States.

Coming to the Higher Education Financing Agency (HEFA), it is a new thing that the Union Government has conjured up and brought in. But this funding has only been given to the IITs and no other institutes are eligible under this. Earlier, there was a grant that was given to the IITs. But now, you are saying that you are

not going to give a grant. Instead, you are going to give a loan to the IITs. After they use this loan to build up infrastructure, they have to repay the loan. So, what has happened after the IITs have taken this loan?

माननीय सभापति : आपका समय पूरा हो गया। अब आप बैठ जाइए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Madam, I have been allotted ten minutes' time. … (*Interruptions*) I can give you one example. The IIT, Bombay has taken a loan of Rs. 520 crore. The fee has been raised for the students by almost 100 per cent. As they have to pay back this loan, they are collecting it from the students. Instead of grant, you are giving loan. Who is bearing the burden of that loan? It is being borne by the students of this country. So, why is the funding under HEFA being given only to the IITs and that too as a loan and not as a grant? Why can it not be given to the NITs, Central Universities and State Universities? So, I would request the hon. Minister to answer that.

Madam, I have last two points. When we talk about all these things, they say that they are going to improve the educational facilities in India and invite foreign universities in India. That is the new mantra that the Union Government has been bringing about. There were 4.4 lakh students who were studying abroad in 2021. The number was increased to 7.5 lakh in 2022. It will continue to increase for the next four-five years. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: आप कनक्लूड कीजिए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: It happened in Korea; it happened in Japan. When the country was developing, it had happened in China also. But at

some point, it will come back. But the first thing that the Government has to understand is this. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: कृष्णा जी, आप बैठ जाइए।

SHRI LAVU SRIKRISHNA DEVARAYALU: Madam, I have one last point. The Government has to understand that the students who are going abroad are going there not just for education but actually, for their lifestyle as well. The Union Government is talking about Atmanirbhar Bharat in every other industry. But when it comes to universities of this country, they want to outsource the whole thing to the foreign universities. So, I would request the Union Government to relook into it.

Madam, my last point is with regard to the Higher Education Commission of India (HECI). This has been brought about in 2018 so that there will be 'Minimum Government, Maximum Governance'. There will be hand-holding for all the higher education institutes. That is what was promised. But what had happened? In 2015-16, there were 276 State Private Universities and in 2019-20, the number of State Private Universities increased to 407. So, there was an increase of 47 per cent. But when it comes to the Central Universities, in 2015-16, there were only 43 Central Universities and in 2019-20, the number of Central Universities increased to 48. So, it increased by only 12 per cent. When the State Private Universities are increasing at the rate of 48 per cent, the Central Universities are only increasing at the rate of 12 per cent. … (*Interruptions*)

Now, coming to the deemed-to-be-public universities, which are under the Central Government, in 2015-16, there were 32 universities and in 2019-20, the

number increased to only 36. … (*Interruptions*) There is only 12 per cent increase. … (*Interruptions*) Again, I would say, it is in your hands. … (*Interruptions*)

माननीय सभापति: अब आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही है।

… (व्यवधान) *

माननीय सभापति: श्री चंद्र शेखर साहू।

… (व्यवधान)

* Not recorded.

*__SHRI CHANDRA SEKHAR SAHU (BERHAMPUR):__ Thank you Madam for allowing me to speak on the Central University (Amendment) Bill 2023 on behalf of my party, Biju Janata Dal. Under the leadership of our party leader and honourable Chief Minister Naveen Patnaik, many things have been done for development of tribals in Odisha, be it about education, safety and social condition of tribals or be it about the culture of tribals and maintenance of their places of worship.Chief Minister Naveen Patnaik has set-up Special Development Councils in tribal dominated districts through which arrangements have been made for education of tribals and protection of their religion and culture. Highest provisions have also been made for them in the Budget.This Bill has been brought today due to the obligation made after Andhra Pradesh reorganization. The obligation was for setting up of Sammakka Sarakka Central University in Telangana.

Madam, In Odisha, there is a central university in tribal dominated Koraput but it is not a tribal university. It is a central university. The university is not in good condition. The honourable Minister himself several times in his reply has said that there is staff shortage and for this recruitment process is underway. But, the process has been long delayed, many posts are lying vacant and there is a huge vacancy in faculty positions. I request him to give attention to this issue.

As per 2011 census, Odisha has 22.84 percent (one-third) tribal population which constitute 11 percent of India's tribal population. Among Odisha's tribals, Gajapati district has more Kondh population. Likewise, there are there are Kondhs, Sauras, Santhals and Ho tribals in Rayagada, Koraput, Balangir, Boudh,

* English translation of the speech originally delivered in Odia.

Mayurbhanj, Keonjhar, Jajpur, Balasore, Bhadrak, Sambalpur, Jharsuguda, Sonpur, Deogarh, Dhenkanal, Angul, Sundargarh and Kandhamal. Even in coastal districts like Ganjam and Puri, there is tribal population. If we look at the history of freedom struggle in India, then we can find that tribal leaders had a big role in the struggle. For this, Odisha's Laxman Nayak and many other tribal leaders are being worshipped today.

Madam, In view of all these and since India's 11 percent tribal population is in Odisha, it is important to set-up a tribal university in Odisha. So, I request the honourable minister to set-up a tribal university in any tribal dominated district in Odisha. Due to the efforts of our honorable Chief Minister, there is a private institute in Bhubaneswar named Kalinga Institute of Social Sciences. Till date, about 40 thousand tribal children have studied in the institute, starting from kindergarten to graduation. Every year, 3000 students are passing out from the institute. Currently 30000 students are studying there. Under the leadership of honourable Chief Minister Naveen Patnaik, Odisha government is doing everything for safety, culture and religion of tribals. Initiatives are also being taken for tribal museums. So, I request the honourable minister to take efforts for opening a tribal university in Odisha. I on behalf of my party fully support this Bill. Thank you

श्रीमती संगीता आजाद (लालगंज): सभापति महोदया, आज मैं अपनी बात शुरू करने से पहले ज्ञान के प्रति महान वैज्ञानिक, मानवतावादी, शिक्षाविद्, विधिवेता, भारतीय संविधान के निर्माता, बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात शुरू करती हूं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2023 के अंतर्गत तेलंगाना राज्य में एक आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान करना चाहते हैं। खंड-3 जी के तहत सम्मिलित करने के साथ विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की तेरहवीं अनुसूची के अनुसार तेलंगाना में एक विश्वविद्यालय की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी-देवताओं के नाम पर सम्मका, सरक्का, जनजाति विश्वविद्यालय रखा गया है। सम्मक्का और सरक्का को साहस और बलिदान की देवी के रूप में जाना जाता है। प्रस्तावित विधेयक में आगे कहा गया है कि जनजाति विश्वविद्यालय का अधिकार क्षेत्र पूरे तेलंगाना राज्य तक विस्तारित होगा और विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 889.07 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं, जो एक स्वागत योग्य है। हम इस विधेयक का समर्थन करते हैं। यह अच्छी बात है कि सरकार इस तरह के विश्वविद्यालय खोल रही है।

लेकिन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम पर विश्वविद्यालय खोल कर भी इन संस्थाओं को चलाने वाले डीन, प्रधानाचार्य, लेक्चरार और एचओडी और अन्य कर्मचारी न तो अनुसूचित जाति के होते हैं और न ही अनुसूचित जनजाति के होते हैं, न अन्य पिछड़ा वर्ग के होते हैं।

चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, चाहे मेडिकल कॉलेजज हो, चाहे केन्द्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य के विश्वविद्यालय हों, इन सभी विश्वविद्यालयों में लाखों पद खाली हैं, जिसमें एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों की नियुक्तियां नहीं की गई हैं। ये पद कई वर्षों से खाली हैं। मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार के पास कोई बैकलॉग ड्राइव चलाकर इन रिक्त पदों को भरने का कोई प्रावधान है? मेरे लोकसभा क्षेत्र में ब्लॉक लालगंज में मान्यवर कांशीराम जी के नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने मान्यवर कांशीराम साहेब का नाम हटाकर राजकीय

इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया जो कि बेहद दुखद है। मेरी सरकार से मांग है कि इसका नाम फिर से कांशी राम इंजीनियरिंग कॉलेज किया जाए। इस संस्थान की स्थापना एससी, एसटी विशेष कम्पोनेंट योजना के तहत की गई थी। मैंने इस संस्थान में विजिट भी किया था। यह दुर्भाग्य की बात है कि आरक्षण के अनुपात में यहां किसी पद को भरा नहीं गया है और सारे पदों को आउटसोर्सिंग और संविदा के नाम पर भरा गया है। मैं चाहती हूं कि सरकार इसकी जांच कराए।

मेरे जनपद आजमगढ़ में महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है जो कि स्वागत योग्य है। मेरी सरकार से मांग है कि इस विश्वविद्यालय में महाराजा सुहेल देव जी की मूर्ति की स्थापना भी की जाए।

महोदया, देश में एससी, एसटी और ओबीसी के संस्थानों की स्थापना विशेष कम्पोनेंट योजना के तहत भारत सरकार एवं राज्य सरकार के फंड से की जाती है, लेकिन इन संस्थानों में जो भर्तियां की गई हैं, वे आउटसोर्सिंग से है। मेरा सवाल है कि क्या सरकार इन संविदा और आउटसोर्सिंग द्वारा भर्तियों में आरक्षण लागू करेगी?

महोदया, इससे पहले की सरकारों में, जब उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी की सरकार थी, चाहे डिप्लोमा, आईआईटी, मेडिकल, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना होता था तो शून्य बैलेंस पर एडमिशन होता था, लेकिन अब मोटी रकम जमा करने के लिए कहा जाता है। गरीब, एससी, एसटी और ओबीसी के छात्र एकमुश्त इतनी बड़ी रकम नहीं जमा कर पाते इसलिए ड्रॉपआउट रेट बढ़ रहा है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूं, जिस प्रकार माननीय बहन जी की सरकार के समय में उत्तर प्रदेश में वर्ष 2007-12 में शून्य बैलेंस में एससी, एसटी और ओबीसी के छात्रों का एडमिशन दिया जाता था, उसी प्रकार वर्तमान सरकार एक नई योजना लाए ताकि एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों का जो ड्रॉपआउट रेट बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी आ सके।

महोदया, मैं एक और अनुरोध करूंगी कि एससी, एसटी और ओबीसी विश्वविद्यालयों, आईआईटी, आईआईएम और मेडिकल कॉलेजों में रिक्त पदों को सरकार जल्द से जल्द बैकलॉग का

ड्राइव चलाकर भरने का काम करे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

डॉ. आलोक कुमार सुमन (गोपालगंज): माननीय सभापति जी, आपने मुझे द सैंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल, 2023 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

इंडिया प्राचीन काल से शिक्षा के क्षेत्र में हब रहा है। यहां तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला और पल्लवी विश्वविद्यालय थे और यहां देश-विदेश से बच्चे पढ़ने आते थे। आज ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे देश के बच्चे बड़ी संख्या में विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं? वर्ष 2023 के आंकड़े के अनुसार लगभग 15 लाख बच्चे विदेशों में ऊंची शिक्षा के लिए जा रहे हैं। इस संबंध में मेरा कहना है कि द सैंट्रल यूनिवर्सिटी बिल में सैक्शन 2 के सब-सैक्शन-3जी में 'कारपोरेट' शब्द का उपयोग किया गया है, उसे बदलकर 'सैंट्रल गवर्नमेंट' कर दिया जाए। महोदया, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्वालिटी एजुकेशन की बात कही गई है, इसे सभी देशों ने वर्ष 2030 तक पूरा करने का संकल्प लिया है, लेकिन यह तभी संभव है जब शिक्षा सस्ती हो और साथ ही गरीब, आदिवासी, एससी बच्चों को सुविधाएं दी जाएं। मैं द सैंट्रल यूनिवर्सिटी बिल, 2023 में सुझाव देना चाहता हूं कि सैक्शन-2 के सब-सैक्शन-3 में 'प्राइमरी' शब्द को बदलकर 'ओनली' शब्द कर दिया जाए।

महोदया, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पटना विश्वविद्यालय को सैंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाने के लिए पिछले 18 सालों से भारत सरकार से निवेदन कर रहे हैं। कभी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाने वाला पटना विश्वविद्यालय वर्ष 1917 यानी 107 साल पहले ही सत्य की खोज करने की इच्छा सिद्धांत के साथ स्थापित किया गया था, इसकी परिभाषित खोज होनी चाहिए।

जो आज 181.58 एकड़ में फैले हैं या भारतीय उप महाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, लेकिन इसको सेंट्रल विश्व विद्यालय का दर्जा अभी तक नहीं दिया गया है। यह दुख की बात है। जैसे 2019 में बी+ ग्रेड दिया था, फिर भी ध्यान नहीं दिया गया। अत: माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि

मंत्री जी बिहार से पूरी तरह वाकिफ हैं, इसलिए निवेदन है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के हम लोगों के निवेदन को स्वीकृत करें। महोदया, नीति आयोग ने 3 सालों के एक्शन एजेंडा में कहा है कि "The crisis in higher education is perhaps worse than the school system." नीति आयोग के अनुसार सरकारी विश्वविद्यालय को हाई फंडिंग किया जाए, ताकि वहां सुविधा बढ़े और गरीब बच्चे भी पढ़ें। डॉक्टर अम्बेडकर साहब, जिनका आज परिनिर्वाण दिवस भी है, उनको नमन करते हुए मैं उनके शब्दों को क्वोट कर रहा हूं, जो उन्होंने संविधान सभा में कहा था-

> ""Knowledge is the basis of human life. To enhance the intellectual capacity of the students; Also, every effort should be made to increase their intelligence.""

अत: उपर्युक्त सुझावों के साथ-साथ मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बी. बी. पाटील (जहीराबाद): सभापति महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 शीर्षक वाला यह नया विधेयक, तेलंगाना के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता है, जो हमारी बीआरएस पार्टी के अध्यक्ष केसीआर साहब के साथ हमारे लोक सभा के नेता नागेश्वर राव जी ने भी लंबे समय से मांग रही है। खंड 3जी को शामिल करने के साथ, विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की 13वीं अनुसूची के अनुसार तेलंगाना में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की लंबे समय से चली आ रही आवश्यकता को संबोधित करना है। प्रस्तावित विश्वविद्यालय का नाम आदिवासी देवी समक्का और सरक्का के नाम पर सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय रखा गया है, जिन्हें साहस और बलिदान की देवी के रूप में जाना जाता है।

महोदया, सदियों से, आदिवासी आबादी को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, आदिवासी आबादी में साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम थी, जो कि कुल दर 73% की तुलना में 59% ही है। यह शैक्षिक असमानता उच्च शिक्षा के लिए संघर्ष को और बढ़ा देती है, क्योंकि आदिवासी छात्रों के बीच उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन दर बेहद कम है। इसके अलावा, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, तेलंगाना में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 7.8% था, जो 18.9% के राष्ट्रीय जीईआर से काफी कम है, इसलिए सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना, सामान्य रूप से देश की जनजातीय आबादी और विशेष रूप से तेलंगाना के लिए विशाल क्षेत्रीय और शैक्षिक अंतराल को संबोधित करेगी। प्रस्तावित विश्वविद्यालय न केवल जनजातीय आबादी की उच्च शिक्षा के लिए पहुंच और बुनियादी ढांचे को बढ़ाएगा, बल्कि उन्नत ज्ञान और अनुसंधान के अवसरों का भी सृजन करेगा। यह आदिवासी कला, पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों और संस्कृति को बनाए रखने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति में मदद करेगा।

महोदया, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की योजना बनाना, जनजातीय भाषाओं, कला और शिल्प पर कक्षाएं प्रदान करना और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को पाठ्यक्रम में लाना शामिल होगा। यह

विश्वविद्यालय जनजातीय आबादी के व्यावसायिक और कौशल विकास प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यह आदिवासी युवाओं को रोजगार के अवसरों के लिए आवश्यक कौशल के साथ सशक्त बनाने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार सृजन में योगदान मिलेगा, इसलिए केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना न केवल जनजातीय छात्रों के लिए शैक्षिक अवसरों का एक अवसर है, बल्कि देश भर में जनजातीय समुदायों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि 2014 में जब से तेलंगाना राज्य बना है, तब से राज्य सरकार केंद्र से सम्मक्का सरलम्मा जतारा को राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा देने का अनुरोध कर रही है, सम्मक्का सरक्का जथारा सबसे प्रसिद्ध आदिवासी त्योहारों में से एक बन गया है। विश्व भर से करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। इसे अक्सर आदिवासियों का कुंभ मेला भी जाना जाता है। अत: इसे राष्ट्रीय त्योहार का दर्जा दिया जाए, ऐसी मेरी मांग है। तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना में 23 जिले बने हैं। 23 जिलों में नवोदय विद्यालय की हमने बड़ी लंबी मांग रखी है, लेकिन अभी तक कोई नवोदय विद्यालय नहीं दिया गया है।

उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी मांग है, उसके लिए आप काम करें। मैं आपसे यथाशीघ्र विचार करने का अनुरोध करता हूं। इसी के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र धेड्या गावित (पालघर): धन्यवाद सभापति महोदया। आज मैं यहां केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 पर चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। संशोधन विधेयक पर चर्चा शुरू करने से पहले, देश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात करना महत्वपूर्ण है। भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये संस्थान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापक रूप से फैले हुए हैं, इसलिए वे भौगोलिक रूप से आबादी की एक श्रृंखला को कवर करने में सक्षम हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो। मैं देश के पंत प्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके नेतृत्व में सरकार ने सभी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा को किफायती, सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में काफी काम किया है। वर्ष 2014 से सरकार ने नए आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटीज, एनआईटी और एनआईडीज की स्थापना की घोषणा की है। वर्ष 2014 से हर साल एक नया आईआईटी और आईआईएम खोला जा रहा है। वर्तमान में, देश में 23 आईआईटी और 20 आईआईएम हैं। इस विकास के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यार्थियों की संख्या जो वर्ष 2015-16 में 3.45 करोड़ थी, वह वर्ष 2019-20 में बढ़कर 3.85 करोड़ हो गई है। इसके अलावा, मुझे इस सदन के सामने यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि हमारी सरकार के अथक प्रयासों से ही लद्दाख को पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय, पहला फॉरेसिंक विश्वविद्यालय और रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय मिला। नया केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023, केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन करता है और तेलंगाना के मुलुगु जिले में सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव करता है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने घोषणा की है कि विश्वविद्यालय की स्थापना 889.07 करोड़ रुपये की लागत से की जानी है। नए संशोधन विधेयक के बारे में बात करते समय मेरे लिए राज्य में एक समर्पित आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना पर चर्चा करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज तेलंगाना में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला गया है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी पूरे देश से सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है। जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी है, उसको भी केंद्रीय विश्वविद्यालय के तौर पर स्थापित किया जाना चाहिए। वहां जो गोंड ट्राइबल कल्चर

है, जैसे जो वर्ली कम्युनिटी है, भील कम्युनिटी है और कोंकण कम्युनिटी है, जिस तरह से तेलंगाना में ट्राइबल में संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, उसी तरह से महाराष्ट्र में, पालघर में, जो मेरा संसदीय क्षेत्र है, वहां एक आदिवासी विश्वविद्यालय खोला जाए। आज 10वीं और 12वीं कक्षा में, पूरे हिन्दुस्तान में आदिवासियों के एजुकेशन में जो ड्रॉपआउट है, 10वीं और 12वीं कक्षा में ड्रापआउट होने वालों की संख्या काफी बड़ी है।

इसलिए उसको कम करने के लिए पालघर में एक कौशल विकास जैसा केन्द्रीय विद्यालय खोला जाए। मेरी मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट है कि महाराष्ट्र में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोला जाए।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, I was listening to the hon. Minister while he was introducing the Bill. The Government is bringing this Bill especially on such an important day, the *Mahanirvan Din* of *Bharat Ratna* Dr. Baba Saheb Ambedkar. मैं उनको आदरांजलि अर्पित करती हूं। उन्होंने शिक्षा के बारे में जो कहा है, "It is education which is the right weapon to cut social slavery and it is education which has enlightened the downtrodden masses to come up the social status, economic betterment, and political freedom". So, I think that is the whole idea of bringing this Bill today.

I would like to ask the hon. Minister a few questions. I am making a completely academic speech, not political. I would like to make that point very clear because education is a very serious subject. It is not BJP versus NCP. I am standing here as a citizen, as a mother, and also as a person who is keen on education. I have a few pointed questions to ask from the hon. Minister.

In the previous speech, Raja ji spoke about ST, SC, OBC, and their dropout rate. I would add two or three more points to what he suggested. What is going to be the curriculum of this university? My colleague from Andhra Pradesh mentioned that you started this curriculum in Andhra but it was there in some old dilapidated building. I do not want to get into the merits of that. उसको शुरू हुए 10 साल हो गए हैं। फिर ये जो नए कॉलेज शुरू कर रहे हैं, उसके बाद नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। You have written about inclusion over here. Why have we started this? We have started this to provide avenues of higher education and research facilities primarily to the tribal population of India. What is going to be the quality of education? Is it going to be research about the tribals but advanced education? That is my first question. So,

how are we going to fund the curriculum and what is the way forward? मुझे याद है कि अटल जी की सरकार के समय सर्वशिक्षा अभियान लाया गया था। वह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। उस समय एजुकेशन सेक्रेटरी कुमुद बंसल जी थीं। One of the finest officers the Government of India has had is Kumud Bansal ji who started Sarva Shiksha Abhiyan.

उसी समय सरकार ने 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' नामक एक नया प्रोग्राम शुरू किया था। 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' किसके लिए शुरू की गई थी? It was for tribal girls from standard 5th to 8th. मुख्य बात यह है कि ट्राइबल गर्ल्स के लिए वह बहुत अच्छा प्रोग्राम था। अगर आप उसको हॉस्टल में लाएंगे, नई दुनिया दिखाएंगे, तो वह 5वीं कक्षा में आ जाएगी, लेकिन उस लड़की का 8वीं कक्षा के बाद क्या होगा? इस देश में प्रथम इंस्टीट्यूट असर रिपोर्ट रिलीज करता है, which is almost like a Bible for education. Even the Government of India uses ASER reports. ASER report says, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का प्रोग्राम है, उसको 5वीं से 12वीं कक्षा तक करना है। And then connect it to these universities. My colleague, Mr. Saptagiri asked, "How will these children qualify to join?" जो 'कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना' है, उसको क्यों न इस यूनिवर्सिटी से जोड़ा जाए? अगर आप इतना बदलाव करना चाहते हैं, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाना चाहते हैं, why do we not use these debates? It is not to just make कि 70 सालों में क्या हुआ। Let us look forward and give each other some fine suggestions to improve the education to make it equal. That way, only we have the right to take Dr. Baba Saheb Ambedkar's name. We will have to work that out. Why do you not expand this Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya and connect it to all these universities that you are opening? There are many tribal schools and *ashramshalas* pan India. मैं महाराष्ट्र राज्य से आती हूं, वहां बहुत अच्छी आश्रमशालाएं हैं। देश में सभी जगहों पर हैं। But what is the quality? Has the Government ever outside of ASER report quantified the quality of education that is

provided? I have this opinion, and I am proposing this to the Government. आप सब कहते हैं और आपकी जो लीड स्पीकर सुनीता जी थीं, उन्होंने कहा उनकी सिर्फ चार जातियां हैं। उन्होंने काफी एक्स्प्लेन किया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। I want to take this forward. If you have it only for *jatis*, why are we making separate education systems?

While we are looking forward to artificial intelligence, are we looking at the world? We want to make our children global citizens. So, why are we having such a narrow outlook for these children? मेरे ख्याल से आरटीई मनमोहन सिंह जी की सरकार में लाए थे। 25 per cent children go to private schools on subsidized payment under RTE. वहां पर जाति या धर्म नहीं देखा जा सकता है। If it is an elite school, as we call it, डीपीएस हो या कोई भी बड़ा स्कूल इस देश में हो, उसमें आरटीई की 25 प्रतिशत सीट्स रखी जाती हैं। Why not include these children also in this, so that they come on to the main highway? Why should they be left aside in a tribal school? Why do you remind them every day, तुम ट्राइबल बच्ची हो और तुमको ट्राइबल ही करना है। Why? In the global world, how will technology help this child? Why not make it inclusive? I am just suggesting; I am not taking away from the intent of the Government. The intent may be very good, but with changing technology, with mobile which has given us so much power in our hands now, why not find a better way right now? Maybe in five or 10 years this idea may become completely obsolete. Why not make this Central University for Tribals as a research institute? ऐसा नहीं है कि ट्राइबल बच्चों को ही ट्राइबल का करना चाहिए, दूसरा भी कोई चाह सकता है कि मैं ट्राइबल के लिए सीख लूं। If you really want to preserve their values, their traditions, why should only a tribal learn Warli painting? Why cannot somebody else who is a wonderful artist can learn

Warli painting? Why cannot somebody else learn their languages, their culture, or why cannot somebody else do a scholarship or a Ph.D on tribal life of India and map all of them? I am just making a larger point today. I do not want to repeat points, but I have two or three quick questions. For all the SCs and STs, you have a National Overseas Scholarship Scheme. The reply which the Government has given is that there are restrictions on topics. Here you want the tribal girls or the boys to fly. If you want them to fly and become global citizens, then why is there a restriction on subjects? If you are opening it, आप बड़ा दिल करके खोल दीजिए। Let them fly all over the world. Why can we not give them an opportunity? Why is there a restriction on subjects?

Then again, I want to talk about the stipend given to them. That proposal has been sent by the Ministry of Social Justice and Empowerment and the Committee, but the Finance Ministry has not approved it. What is the allocation? A lot of scholarship allocations are given. Have you given all of them because States do not get these allocations? I think one of my colleagues talked about Eklavya Schools. Has anybody assessed the Eklavya Schools to see what is the quality of education in these schools? It is not quantified anywhere. We have to constantly go back to the ASER report which Pratham does. Pratham is an outsider. You are the real insider. You can take help from Pratham which is a wonderful NGO and improve your Eklavya schools. There is no point in just announcing new lovely schemes when the old schemes are not giving us results that we are looking for. The other thing is about vacancies. I think a lot of people have spoken about dropouts. So, I will not repeat the point. But I would like to ask one more question.

Under the New Education Policy, we are looking at making education inclusive, modernizing it using technology, we want our tribal children to be the President of India. As your lead speaker said, she is so proud of her. There are many tribal Members here now, and there have been many in the past also. They earned their merit and have done extraordinarily well. Even Mr. Gavit who just spoke is a highly qualified Member of Parliament from Maharashtra. We are very proud of him. My question to you is this. UGC is an independent body, according to the best of my knowledge. UGC has come up with a new directive which says, universities should have a selfie point. Now, why should our colleges be looking at selfie points? I send my children to college पढ़ाई करने के लिए। सेल्फी निकालने के लिए बच्चों को नहीं भेजती हूं। It is a very serious thing. UGC decides my child’s future. … (*Interruptions*) Rudy ji, I would like to expand it since he is asking me. UGC has taken out an order that colleges in India should put up selfie points with the hon. Prime Minister’s photograph in the background. That is the explanation. … (*Interruptions*) I did not want to say it because I have a very high regard for him. He is not only your Prime Minister; he is my Prime Minister also. So, I was trying to keep this point away. But I really do not send my child to college to learn how to take a selfie? Do not politicize. … (*Interruptions*) I can table it. … (*Interruptions*) It is in the news. … (*Interruptions*) I am happy to yield. … (*Interruptions*) hon. Minister is replying. … (*Interruptions*) I am happy to yield. … (*Interruptions*)

DR. SUBHAS SARKAR: Answer will be given in due time. … (*Interruptions*) Answer will be given in due time. … (*Interruptions*)

It is not required to be repeated again. It is the Prime Minister's photograph. Students have been encouraged to serve for the Viksit Bharat. … (*Interruptions*)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: What is this? He is confirming it. … (*Interruptions*)

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): आपको क्या तकलीफ है अगर बच्चे प्रधानमंत्री जी के साथ फोटो खिंचवाते हैं।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE: All I am trying to say is that let us make our education inclusive. That was my limited point. That was the suggestion which I made. I appreciate the hon. Minister also for honestly telling us what the UGC plan was. I am very grateful to you. So, the record is set for the country what the truth is.

Lastly, I would like to quote Mahatma Jyotiba Phule. Even the speaker from the Treasury Bench quoted Mahatma Jyotiba Phule. He comes from the State where I come from. I was fortunate enough to be the only child of my parents, a girl child born out of their choice. Education-wise, I am well qualified. So, I am one of those lucky girl children. I do not call myself a girl child. I was born as a single child to my parents out of their choice. But I was fortunate to be born in a liberal family and married into an even more liberal family where education is very, very forward. So, I would like to quote Mahatma Jyotiba Phule because of whom I stand here today. He said: "Without education, wisdom was lost; without wisdom, morals were lost; without morals, development was lost; without development, wealth was lost". Such thing has happened due to lack of education. So, that is my limited point. If you are making this intervention for the tribals, we welcome

that step, we support it. But we should make them global citizens and include them in the new education policy. You should come back with a more detailed and comprehensive Bill to make to more effective. It is my limited choice. Thank you, Madam.

श्री राजीव प्रताप रूडी (सारण): महोदया, डॉ. भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपना वक्तव्य प्रारम्भ करता हूं।

सभापति महोदया, यह शब्द सम्मक्का-सरक्का का जो स्वरूप है, उसके बारे में मैंने बगल में बैठकर अपने मित्रों से जानना चाहा कि ये कौन हैं और काफी परिश्रम के बाद मैं यह समझ पाया कि यह आदिवासियों के लिए दर्शनीय और प्रेरणा के प्रतीक थे, जहां आज भी आंध्र प्रदेश में करोड़ों लोग उस स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं। वह स्थान पूजनीय है। सरकार ने वर्ष 2014 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यह विधेयक लेकर आए हैं और यह केन्द्रीय विश्वविद्यालय, ट्राइबल विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाएगा। जहां तक मैं समझता हूं और यह स्पष्ट है कि देश में कोई भी विश्वविद्यालय किसी एक समाज के लिए नहीं है। चूंकि यह एस्पिरेशनल है और मुझे लगता है कि सुप्रिया जी इसी को रखने का तरीका अलग से बता रही थीं।

Saying that it is a tribal university is basically to put that as an aspirational university. It cannot confine to a particular section of the society, and that is the vision of the hon. Prime Minister.

मैं समझता हूँ कि एक राजनीतिक जीवन में, एक सामाजिक जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि शिक्षा की होती है। हम सब यहां पर बैठते हैं। हम सब सदन में आते हैं। सबसे पहले संस्कार घर में मिलता है, उसके बाद स्कूल में मिलता है, फिर विश्वविद्यालय में मिलता है और उसके बाद अपने जीवन में अपनी संगत के साथ मिलता है। हम अपने प्रारंभिक जीवन के लगभग 15 वर्ष से 18 वर्ष शिक्षा में व्यतीत करते हैं और वहीं से हमारे जीवन की शुरूआत होती है। हमारे जैसे लोग सदन में आते हैं, कागज पलटकर पढ़ते हैं, आपसी संवाद कायम करते हैं, मित्रों से बात करते हैं और भाषण देते हैं तो इसकी ताकत मूलत: उसी शिक्षा से मिली है, जिसकी चर्चा हम बार-बार कर रहे हैं।

मैं इसलिए संदर्भित हूँ, क्योंकि सदन को पता नहीं होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे पास चार प्रोफेशन्स हैं। मैं पेशे से पिछले 30 सालों से राजनीति में हूँ, विधायक हूँ, सांसद रहा हूँ और यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हूँ। यह बहुत कम लोगों को पता होगा।… (व्यवधान) मैं इसलिए कह रहा हूँ,

क्योंकि शिक्षा का संदर्भ हमारे जैसे छोटे आदमी से है। मैं जब पांच वर्ष का था, तब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद मेरी माँ ने हमें सिर्फ शिक्षा दी। हम बिहार में बहुत बड़े घर के लोग नहीं थे। मेरी माँ ने हमें एक चीज दी और वह शिक्षा थी। वह पढ़ी-लिखी नहीं थी। अब वह इस धरती पर नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें शिक्षा दी। अगर आज मेरे पास चार प्रोफेशन हैं, मैं पायलट भी हूँ, वकील भी हूँ, आपके बीच सदस्य भी हूँ और सामान्य रूप से ठीक-ठाक राजनीति भी कर लेता हूँ तो मुझे लगता है कि इसका पूरा का पूरा श्रेय शिक्षा को जाता है। मैं समझता हूँ कि देश में वे चार करोड़ बच्चे जो विश्वविद्यालय में हैं और अगर हम सब यहां पर ट्राइबल यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी चर्चा कर रहे हैं तो उन चार करोड़ बच्चों के बारे में कर रहे हैं, जिनके भविष्य के निर्माण की बात है। हमारे जैसे लोग इस विषय में बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर हम दूरदर्शिता और दूरदृष्टि रखें तो बिहार में हजारों वर्ष पुराना नालंदा विश्वविद्यालय है। विक्रमशिला है, जहां माननीय निशिकांत जी हमें पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ लेकर गए थे। ये सब स्थान हैं। दुनिया में हर कुछ अलग है। हर चीज, जो यहां पर अंकित है, दिखती हैं, वे सब शिक्षा से जुड़ी हुई हैं, चाहे उनका स्वरूप कुछ भी हो। हमारे लिए कुछ विषयों की चिंता यह है कि आज देश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय 56 हैं और अब 57वें विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। सरकार ने समय-समय पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। आखिर में शिक्षा तो स्टेट का सब्जेक्ट है, फिर केन्द्रीय विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों पड़ी? मैं उसका संदर्भ सीधे बिहार की तरफ लेकर जाऊँगा, जहां से महोदया आप भी आती हैं।

मैं पिछले कई वर्षों से अपने विश्वविद्यालयों में और अपने स्थानों पर जाता हूँ, हालांकि मेरी बिहार में स्कूलिंग हुई और फिर मैं पंजाब विश्वविद्यालय में था, जो एक प्रकार से चंड़ीगढ़ की सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके पश्चात मेरी छात्र के तौर पर राजनीति करने की धरोहर भी वहीं बनी। शिक्षा के माध्यम से ही राजनीति की धरोहर बनी। मैं समझता हूँ कि यह शिक्षा के तहत बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, लेकिन अगर मैं बिहार की तरफ लौट कर आता हूं तो मुझे थोड़ी सी चिंता होती है। आज बिहार में लगभग 34-35 विश्वविद्यालय हैं। मैं आपको एक संदर्भ में बताना चाहूंगा कि जहां लगभग 4 लाख विद्यार्थी हैं और किसी भी विद्यार्थी का सेशन 4 साल, 5 साल से कम विलंबित रूप से नहीं चल रहा है।

जब सेशन आता है, बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और परीक्षा देने जाते हैं तो हमारे जैसे नेताओं पर इस बात का दबाव पड़ता है कि हमारी परीक्षा करवा दीजिए। जब विश्वविद्यालयों में परीक्षा की बात की जाती है तो वे कहते हैं कि इनका सेशन कम्पलीट नहीं है और सेशन का मतलब होता है कि सेशन कराने के लिए अटेंडेंस कम्पलीट नहीं है, लेकिन यह जिम्मेवारी किसकी होती है? आप कहीं भी कॉलेज में चले जाइए और वहीं चाहे बिहार का हो या कोटा का हो या देश के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खचाखच भरे दिखते हैं। भारत में नौकरी के लिए अगर डिग्री की बाध्यता न हो तो बच्चे कम से कम मेरे राज्य में तो कॉलेज में न जाए, वह कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही डिग्री लेकर निकल जाए, क्योंकि सरकार और संविधान की बाध्यता है कि आपको डिग्री लेकर आना है इसलिए कॉलेजों में जाकर परीक्षा देने के लिए वह कहते हैं कि मेरी परीक्षा आ गई है, मुझे डिग्री चाहिए। आखिर इस व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है। अगर मैं बिहार के बारे में थोड़ा सा कह रहा हूं तो हो सकता है कि देश के अन्य कोने में भी इस प्रकार की समस्या होगी।

18.00 hrs

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नहीं होगी। जब कोचिंग क्लासेज के माध्यम से बच्चे परीक्षा की तैयारी करके यूपीएससी तक जाते हैं, तो आखिर डिग्रीज की महिमा क्या रह जाएगी?…(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपका यह भाषण कल भी जारी रहेगा। आप कल बोलिएगा।

सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 7 दिसम्बर, 2023 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

18.01 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, December 7, 2023/ Agrahayana 16, 1945 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following address:

www.sansad.in/ls

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)